



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे (2020-21)



लोकहितार्थं सत्यमिच्छा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2020-21

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

पृष्ठ सं०

विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	4
03 मंत्रिपरिषद	6
04 न्याय प्रशासन	9
05 निर्वाचन	15
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	18
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	28
08 आबकारी	52
09 लोक सेवा आयोग	54
10 पुलिस एवं जेल	56
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	64
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	92
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	107
14 सूचना	116
15 कल्याण योजनायें	120
16 श्रम और रोजगार	138
17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान	143
18 सहकारिता	150
19 ग्राम्य विकास	153
20 सिंचाई एवं बाढ़	160
21 ऊर्जा	173
22 लोक निर्माण कार्य	176
23 उद्योग	183
24 परिवहन	193
25 खाद्य	200
26 पर्यटन	204
27 वन	208
28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य	216
29 औद्योगिक विकास	223
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	228
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	248

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2020-2021 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई।	269
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	270
परिशिष्ट III	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	272
परिशिष्ट IV	उच्चत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूँजीगत प्रभाग।	273
परिशिष्ट V	उच्चत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	274

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2020-2021 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं।

टिप्पणियों पर चयन का मानक

बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूँजीगत-दत्तमत, पूँजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रतिशत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो।
- (ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो।

आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूँजीगत-दत्तमत, पूँजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है।
- (ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियाँ।

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. विधान सभा				
दत्तमत	67,02,44	10,60,00	59,74,19	1,83,32
भारित	2,37,22	--	2,32,35	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	11,97,07	--	9,91,19	--
03. मंत्रिपरिषद				
दत्तमत	62,20,20	60,00,00	50,27,30	54,48,69
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	2,47,10,55	55,80,00	1,80,47,03	24,63,43
भारित	50,98,00	--	39,56,66	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	45,40,63	10,00,00	37,33,67	10,00,00
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	18,40,21,41	3,53,96,73	16,34,51,65	1,77,76,12
भारित	3,67,25	--	1,98,48	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें				
दत्तमत	97,91,84,66	5,84,67,02	90,91,88,07	4,45,32,07
भारित	60,45,73,95	35,03,31,00	49,24,35,83	82,69,59,14
08. आबकारी				
दत्तमत	33,05,07	--	27,57,91	--
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	17,44,99	5,28,19	15,95,14	92,00
भारित	32,71,43	--	17,37,00	--
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	21,42,74,66	50,50,00	18,65,14,58	31,73,90
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	90,35,10,19	4,24,21,28	77,91,75,03	3,52,53,08
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	23,83,41,58	3,05,43,42	20,99,04,32	1,72,94,21
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	17,43,20,61	17,33,80,60	10,12,60,98	11,00,40,43
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	1,31,29,42	1,00,00	1,06,43,21	--
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनायें				
दत्तमत	19,72,95,72	1,51,98,16	14,94,45,28	72,75,05
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	4,90,59,96	45,00,01	3,34,85,12	35,85,31
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान				
दत्तमत	11,76,45,59	11,03,05	9,88,47,75	27,21,63
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	99,68,68	1,00,00,00	1,05,21,98	--
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	10,24,82,02	19,08,06,40	7,72,91,18	19,21,13,24
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	5,59,26,05	7,19,95,08	4,30,72,99	2,59,17,79
भारित	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	24,31,70	3,53,00,03	20,54,48	1,70,55,87
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	9,86,85,65	12,79,70,02	7,69,69,95	10,44,63,80
भारित	11,00,00	1	7,53,89	--
23. उद्योग				
दत्तमत	3,68,47,68	1,10,50,04	2,22,20,87	10,10,71
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	2,34,92,16	4,48,06,02	1,79,27,10	48,85,88
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. खाद्य				
दत्तमत	2,23,14,17	12,00,00	92,13,81	93,17,41
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	1,04,91,05	1,80,54,20	64,90,35	1,23,30,69
भारित	--	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	10,67,16,11	84,45,07	7,79,99,33	48,24,91
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य				
दत्तमत	4,02,45,98	28,95,55	3,21,83,80	8,48,89
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	4,20,67,36	12,00,00	3,23,51,15	14,31,08
भारित	1,57,55	--	1,45,66	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	12,11,66,22	4,28,18,73	9,32,89,04	3,03,20,38
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	3,92,64,30	1,57,66,54	2,80,14,30	85,89,47
भारित	--	--	--	--
योग				
दत्तमत	3,83,01,06,81	96,26,36,14	3,20,86,51,56	66,39,49,36
भारित	61,60,02,47	35,03,31,01	50,04,51,06	82,69,59,14
कुल योग	4,44,61,09,28	1,31,29,67,15	3,70,91,02,62	1,49,09,08,50

का सारांश (क्रमशः)

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	2020-21		2019-20	
(6)	(7)	(8)	(9)	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)				(10)	(11)	(12)	(13)
1,31,00,36	--	--	81,17,41	(-58.71	(+676.45	(-78.49	(+3447.63
--	--	--	(81,17,40,841)	--	--	--	--
40,00,70	57,23,51	--	--	(-38.13	(-31.70	(-41.75	(-33.11
--	--	--	--	--	--	--	--
2,87,16,78	36,20,16	--	--	(-26.91	(-42.87	(-38.73	(-59.42
--	--	--	--	--	--	--	--
80,62,18	20,46,66	--	--	(-20.03	(-70.68	(-14.62	(-64.85
--	--	--	--	--	--	--	--
97,16,21	--	--	2,31,08	(-23.10	(+19.26	(-20.67	(-25.96
11,89	--	--	(2,31,07,765)	(-7.55	--	(-38.56	--
2,78,77,18	1,24,98,35	--	--	(-23.01	(-29.19	(-31.41	(-27.14
--	--	--	--	--	--	--	--
1,12,50,00	71,77,07	--	--	(-28.65	(-45.52	(-37.81	(-26.05
--	--	--	--	--	--	--	--
62,20,08,55	30,99,60,69	5,53,30	1,12,73,91	(-16.23	(-31.03	(-19.08	(-22.66
11,55,51,41	1	--	47,66,28,14	(-18.76	(+136.05	(-18.14	(+216.13
73,75,59,96	30,99,60,70	5,53,30	48,79,02,05	(-16.58	(+13.55	(-18.95	(+41.80

विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रभाग

18-सहकारिता

पूँजीगत प्रभाग

- (i) 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान
- (ii) 19-ग्राम्य विकास
- (iii) 25-खाद्य
- (iv) 29-औद्योगिक विकास

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

इसके अतिरिक्त कुल व्ययों के अंतर्गत पिछले वर्षों के ₹ 15 हजार के आपत्तिगत बही उचंत के समायोजन सम्मिलित है। आपत्तिगत बही उचंत के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित है, के अंतर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 2,26,22,89 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2020-21 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 1,51,90 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में हुई। अनुदानों जिससे यह सम्बन्धित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं।

चूँकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (ब्यौरेवार परिशिष्ट-II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2020-21 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	50,04,51,06	82,69,59,14	3,20,86,51,56	66,39,49,36
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	63,72,61
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	50,04,51,06	82,69,59,14	3,20,86,51,56	65,75,76,75

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्ति एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो सार्वजनिक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने तथा इन लेखों की सटीकता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पाँच अनुदानों और एक विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकार पर ₹ 4884.55 करोड़ का अधिक संवितरण था। वर्ष 2005-06 से 2019-20 की अवधि से सम्बंधित ₹ 42873.61 करोड़ के अधिक संवितरण का नियमितीकरण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के विधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा समेकित निधि से किसी राशि का संवितरण नहीं किया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मुद्दे पर लेखा परीक्षा अवलोकन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विस्तृत रूप से वर्णित है।



दिनांक: 16.12.2021

स्थान: नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

		अनुदान सं० 01 विधान सभा			
मुख्य लेखा शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)	
राजस्व:					
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल				
दत्तमत-					
	मूल	67,02,44			
	पूरक	...	67,02,44	59,74,19	(-)7,28,25
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...
भारित-					
	मूल	2,37,22			
	पूरक	...	2,37,22	2,32,35	(-)4,87
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...
पूँजीगत:					
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय				
दत्तमत-					
	मूल	10,60,00			
	पूरक	...	10,60,00	1,83,32	(-)8,76,68
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 7,28.25 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	31,45.81	28,64.91	2,80.90
2016-17	35,30.18	31,74.93	3,55.25
2017-18	43,64.73	43,18.90	45.83
2018-19	72,34.35	69,15.19	3,19.16
2019-20	70,68.51	64,65.44	6,03.07

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	--------------------------------------

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल 34,45.21

32,95.21 28,88.31 (-)4,06.90

पुनर्वि० (-)1,50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2021 को ₹ 1,50.00 लाख की कमी यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किये गए।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

राजस्व:

भारत-

(iv) ₹ 4.87 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 8,76.68 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	25,50.00	2,00.00	23,50.00
2016-17	20,20.00	10,27.29	9,92.71
2017-18	20,20.00	19,74.12	45.88
2018-19	31,50.00	31,45.00	5.00
2019-20	15,60.00	12,00.09	3,59.91

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	--------------------------------------

(vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

03 गैरसैण में ग्रीष्मकालीन विधान सभा भवन का निर्माण

मूल	10,00.00	10,00.00	1,23.33	(-)8,76.67
-----	----------	----------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	02 राज्यपाल कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	----------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

भारित-

मूल	11,97,07			
		11,97,07	9,91,19	(-)2,05,88
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

- ₹ 2,05.88 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2015-16	8,26.06	6,95.12	1,30.94
2016-17	12,24.91	7,43.68	4,81.23
2017-18	10,40.07	8,21.64	2,18.43
2018-19	12,52.95	9,37.41	3,15.54
2019-20	12,93.19	9,30.99	3,62.20

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	------------------	--------------------------------------

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

090 सचिवालय

- 03 अधिष्ठान व्यय

मूल	7,24.83	7,24.83	5,94.29	(-)1,30.54
-----	---------	---------	---------	------------

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त. कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(2)	103 पारिवारिक स्थापना 02 राज्य भवन की स्वच्छता मूल	23.07	23.07	17.74	(-)5.33
(3)	03 कर्मचारीवर्ग मूल	2,68.31	2,68.31	2,19.01	(-)49.30
(4)	105 चिकित्सा सुविधाएं 03 चिकित्सा संबन्धी व्यय मूल	60.86	60.86	47.45	(-)13.41
(5)	108 दौरा खर्च 03 दौरा खर्च मूल	10.00	10.00	4.71	(-)5.29

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	---------------------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2013 मंत्रिपरिषद

दत्तमत-

मूल	40,20,20			
		62,20,20	50,27,30	(-)11,92,90
पूरक	22,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	60,00,00			
		60,00,00	54,48,69	(-)5,51,31
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 11,92.90 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 11,92.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 22,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	1,57,65.67	1,16,66.47	40,99.20
2016-17	84,58.00	67,03.16	17,54.84
2017-18	64,29.99	52,31.05	11,98.94
2018-19	76,71.59	64,46.14	12,25.45
2019-20	46,51.90	36,70.68	9,81.22

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2013 मंत्रिपरिषद

00

(1)	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन 03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते मूल	4,40.00	4,40.00	2,99.14	(-),1,40.86
(2)	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते 03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च मूल	2,60.00	2,60.00	62.21	(-),1,97.79
(3)	04 मुख्यमंत्री कार्यालय में सत्कार व्यय मूल	2,00.00	2,00.00	87.38	(-),1,12.62
(4)	108 दौरा खर्च 03 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का यात्रा व्यय मूल	1,10.00	1,10.00	65.77	(-),44.23
(5)	800 अन्य व्यय 03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय मूल	5,00.20	7,00.20	3,09.51	(-),3,90.69
	पूरक	2,00.00			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2013 मंत्रिपरिषद

00

	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन 04 भारत सरकार को देय आयकर धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी मूल	10.00	10.00	0.00	(-),10.00
--	--	-------	-------	------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	--------------------------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

(vi) ₹ 5,51.31 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान/ विनियोग			

राजस्व:

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत-

मूल	2,39,17,67			
		2,47,10,55	1,80,47,03	(-)66,63,52
पूरक	7,92,88			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,05,78 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

भारित-

मूल	50,50,00			
		50,98,00	39,56,66	(-)11,41,34
पूरक	48,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

विनियोग के राजस्व भारत अनुभाग में ₹ 1,81,60 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	55,80,00			
		55,80,00	24,63,43	(-)31,16,57
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 66,63.52 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 66,63.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 7,92.88 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	1,36,99.62	1,07,32.38	29,67.24
2016-17	1,77,25.17	1,22,58.19	54,66.98
2017-18	1,63,72.26	1,44,34.60	19,37.66
2018-19	2,07,64.85	1,67,91.61	39,73.24
2019-20	2,20,28.61	1,61,64.54	58,64.07

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

105 सिविल और सेशन न्यायालय

- 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,23.30

2,16.70 1,66.86 (-)49.84

पूरक 93.40

- 03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश

मूल 1,39,64.20

पूरक 12.00 1,41,66.36 1,10,03.67 (-)31,62.69

पुनर्वि० 1,90.16

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2021 को ₹ 1,74.48 लाख तथा दिनांक 09 मार्च 2021 को ₹ 15.68 लाख की वृद्धि अनुरक्षण व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	04 पारिवारिक न्यायालय मूल	12,62.37		
	पुनर्वि०	(-80.08)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2021 को ₹ 76.45 लाख तथा दिनांक 09 मार्च 2021 को ₹ 3.63 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए।	11,82.29	7,94.21	(-3,88.08)
(4)	06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय मूल	70.89	70.89	40.69
				(-30.20)
(5)	108 दण्ड न्यायालय 03 नियमित अधिष्ठान मूल	24,71.72		
	पूरक	1.00	23,62.64	16,18.86
	पुनर्वि०	(-1,10.08)		(-7,43.78)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2021 को ₹ 98.03 लाख तथा दिनांक 09 मार्च 2021 को ₹ 12.05 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए।			
(6)	114 विधि सलाहकार और परामर्श परिषद् 03 महाधिवक्ता मूल	18,87.38		
	पूरक	57.20	19,44.58	15,82.80
				(-3,61.78)
(7)	04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता मूल	13,72.55	13,72.55	10,80.05
				(-2,92.50)
(8)	05 राज्य विधि आयोग मूल	14.40	14.40	7.70
				(-6.70)
(9)	800 अन्य व्यय 04 लोक सेवा अधिकरण मूल	7,17.75	7,17.75	3,87.85
				(-3,29.90)

		अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...		
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	3,61.50		
			3,76.53	1,65.35
	पूरक	15.03		(-)2,11.18
(11)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
	मूल	8,33.50		
			8,92.34	5,27.86
	पूरक	58.84		(-)3,64.48
(12)	07 महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल			
	मूल	33.05	33.05	16.69
				(-)16.36
(13)	09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी			
	मूल	3,99.31		
			4,61.56	3,54.06
	पूरक	62.25		(-)1,07.50
(14)	10 लोक अदालत			
	मूल	3,70.75		
			3,90.75	92.23
	पूरक	20.00		(-)2,98.52

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2014 न्याय प्रशासन

00

800 अन्य व्यय

13 पीड़ित महिला क्षतिपूर्ति कोष

मूल 0.00

3,00.00 0.00 (-)3,00.00

पूरक 3,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	--------------------	----------------------	---

**राजस्व:
भारित-**

- (vi) ₹ 11,41.34 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 11,41.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 48.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2015-16	32,66.00	23,88.77	8,77.23
2016-17	52,21.50	24,09.71	28,11.79
2017-18	39,41.50	32,21.84	7,19.66
2018-19	53,76.42	35,67.28	18,09.14
2019-20	47,25.64	36,44.96	10,80.68

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल

50,50.00

50,98.00

39,56.66

(-)11,41.34

पूरक

48.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (x) ₹ 31,16.57 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2015-16	72,00.00	42,94.21	29,05.79	
2016-17	48,00.02	9,33.50	38,66.52	
2017-18	18,50.02	14,74.01	3,76.01	
2018-19	45,10.00	40,45.78	4,64.22	
2019-20	55,40.00	26,41.31	28,98.69	

(xii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	40,00.00	40,00.00	24,00.20	(-)15,99.80
(2)	05 न्यायिक कार्यों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास				
	मूल	15,00.00	15,00.00	37.08	(-)14,62.92

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 देहरादून में उच्च न्यायालय अतिथि गृह का निर्माण

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 05 निर्वाचन	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2015 निर्वाचन

दत्तमत-

मूल	45,40,63			
		45,40,63	37,33,67	(-)8,06,96
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	10,00,00			
		10,00,00	10,00,00	...
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 8,06.96 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	24,01.39	22,96.90	1,04.49
2016-17	65,86.80	56,76.14	9,10.66
2017-18	44,34.78	41,13.04	3,21.74
2018-19	46,88.29	35,92.92	10,95.37
2019-20	1,51,98.97	1,19,72.30	32,26.67

अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
2015 निर्वाचन			
	00		
	103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण		
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	12,00.00	
		10,77.00	10,55.23
	पुनर्वि०	(-1,23.00)	(-21.77)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2021 को ₹ 1,23.00 लाख की कमी अनुसंधान में हुई बचत के कारण किये गए।		
(2)	03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत के०पो०)		
	मूल	90.00	
		80.00	67.30
	पुनर्वि०	(-10.00)	(-12.70)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2021 को ₹ 10.00 लाख की कमी मानदेय तथा कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।		
(3)	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत के०पो०)		
	मूल	13,60.87	
		13,05.36	11,52.28
	पुनर्वि०	(-55.51)	(-1,53.08)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2021 को ₹ 55.51 लाख की कमी मानदेय, लेखन सामग्री एवं छपाई में हुई बचत के कारण किये गए।		
(4)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार		
	05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा		
	मूल	42.03	
		30.93	29.93
	पुनर्वि०	(-11.10)	(-1.00)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2021 को ₹ 11.10 लाख की कमी कार्यालय व्यय, विज्ञापन, बिक्री एवं प्रकाशन में हुई बचत के कारण किये गए।		

अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(5)	109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार 02 राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकायों आदि हेतु) मूल	3,21.13	3,21.13	2,38.22	(-)82.91
(6)	03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय मूल	11,76.33	11,76.33	6,67.65	(-)5,08.68

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2015 निर्वाचन

00

(1)	105 संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार 03 सामान्य निर्वाचन मूल	3,50.07	5,38.58	5,19.18	(-)19.40
	पुनर्वि०	1,88.51			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2021 को ₹ 1,85.51 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				
(2)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव करने के लिए प्रभार 03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा मूल	0.10	11.20	3.87	(-)7.33
	पुनर्वि०	11.10			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2021 को ₹ 11.10 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, विज्ञापन, बिक्री एवं प्रकाशन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2029	भू - राजस्व		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2053	जिला प्रशासन		
2062	सतर्कता		
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत		
2506	भूमि सुधार		

दत्तमत-

मूल	11,80,61,53			
		18,40,21,41	16,34,51,65	(-)2,05,69,76
पूरक	6,59,59,88			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

भारित-

मूल	3,67,25			
		3,67,25	1,98,48	(-)1,68,77
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			

दत्तमत-

मूल	3,53,96,73			
		3,53,96,73	1,77,76,12	(-)1,76,20,61
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,05,69.76 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,05,69.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 6,59,59.88 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2015-16	23,64,88.40	16,95,02.56	6,69,85.84	
2016-17	28,66,81.41	15,81,83.13	12,84,98.28	
2017-18	17,52,66.79	9,29,37.44	8,23,29.35	
2018-19	12,34,40.67	8,61,86.63	3,72,54.04	
2019-20	11,21,42.36	8,30,37.99	2,91,04.37	

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2029 भू - राजस्व

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय

मूल	5,43.34			
पूरक	6,65.00	11,93.34	3,69.30	(-)8,24.04
पुनर्वि०	(-)15.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 15.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण किये गए।
- (2) 05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण

मूल	42.01	42.01	5.55	(-)36.46
-----	-------	-------	------	----------
- (3) 06 भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण

मूल	76.31	76.31	34.37	(-)41.94
-----	-------	-------	-------	----------

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
101 संग्रहण प्रभार			
(4) 03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार			
मूल	79,83.28		
पुनर्वि०	15.00	79,98.28	71,41.87 (-)8,56.41
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
103 भू-अभिलेख			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	20,42.34	20,42.34	19.69 (-)20,22.65
(6) 03 जिला अधिष्ठान			
मूल	1,49,05.65		
पूरक	1,00.00	1,49,97.65	1,31,26.80 (-)18,70.85
पुनर्वि०	(-8.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2021 को ₹ 8.00 लाख की कमी यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किये गए			
(7) 07 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र			
मूल	1,57.80	1,57.80	78.87 (-)78.93
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
099 राजस्व परिषद			
(8) 02 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान			
मूल	4,87.76	4,87.76	3,87.22 (-)1,00.54
2053 जिला प्रशासन			
00			
093 जिला स्थापनाएं			
(9) 03 कलक्टरी स्थापना			
मूल	1,63,47.78		
पूरक	2.00	1,63,57.78	1,33,84.69 (-)29,73.09
पुनर्वि०	8.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2021 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	05 जिला चमोली के तहसील गैरसैण (भराड़ीसैण) में विधानसभा सत्र के दौरान व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में			
	मूल	1,50.00	1,50.00	67.86
				(-)82.14
(11)	101 आयुक्त 03 मुख्य कार्यालय			
	मूल	6,19.36	6,19.36	4,14.70
				(-)2,04.66
	2062 सतर्कता			
	00			
(12)	105 अन्य सतर्कता एजेसियाँ 02 सतर्कता अधिष्ठान			
	मूल	12,75.10		
			12,83.11	9,91.15
				(-)2,91.96
	पूरक	8.01		
(13)	04 सेवा का अधिकार आयोग			
	मूल	2,81.51	2,81.51	1,74.47
				(-)1,07.04
	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
	00			
(14)	003 प्रशिक्षण 03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल			
	मूल	8,73.71	8,73.71	7,82.48
				(-)91.23
(15)	106 सिविल रक्षा 03 स्थापना (25 प्रतिशत के0 पो0)			
	मूल	97.90		
			99.27	72.63
				(-)26.64
	पूरक	1.37		
(16)	107 होमगार्ड्स 11 कुम्भ मेला व्यवस्था			
	मूल	19,00.50	19,00.50	8,29.20
				(-)10,71.30

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			
05 राज्य आपदा मोचन निधि			
901 घटाइयेँ एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि			
(17) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	(-7,00,00.00	(-7,00,00.00	(-9,51,09.75
			(-2,51,09.75
₹ 9,51,09.75 लाख राज्य आपदा मोचन निधि से राहत सहायता पर व्यय के लिए प्राप्त हुए, जो कि प्रारम्भ में लेखा शीर्ष-2245 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी।			
80 सामान्य			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(18) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	7,00.01	7,00.01	1,13.09
			(-5,86.92
(19) 02 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण			
मूल	9,03.01		
		9,03.02	3,28.35
			(-5,74.67
	पूरक	0.01	
(20) 04 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास			
मूल	20,00.00	20,00.00	11,56.71
			(-8,43.29
(21) 05 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन			
मूल	5,63.01		
		5,83.01	2,60.22
			(-3,22.79
	पूरक	20.00	
(22) 07 जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण			
मूल	5,79.54	5,79.54	2,36.25
			(-3,43.29
(23) 97 बाह्य सहायतित योजनाएं (एस.डी.एम.ए.)			
मूल	15,00.00	15,00.00	13,00.00
			(-2,00.00

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(24) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	64,50.00	64,50.00	12,87.57 (-)51,62.43
2506 भूमि सुधार			
00			
102 चकबंदी			
(25) 03 खेतों की चकबंदी			
मूल	14,12.55	14,12.55	12,00.31 (-)2,12.24
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)			
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
2029 भू - राजस्व			
00			
103 भू-अभिलेख			
(1) 06 राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) के रिक्त पदों पर चयन/ प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हेतु व्यय			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
00			
105 विशेष जाँच आयोग			
(2) 03 राज्य आयोग और समितियाँ			
मूल	7.16	7.16	0.00 (-)7.16
वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
107 होमगार्डस			
(3) 10 होमगार्ड बीमा हेतु प्रीमियम अदायगी			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
800 अन्य व्यय			
(4) 16 सेना भर्ती रैली एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन			
मूल	6.00	6.00	0.00 (-)6.00
वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

80 सामान्य

(5)	102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
	09 प० दीन दयाल उपाध्याय एकीकृत भूकम्प सुरक्षा कार्यक्रम			
	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00
				(-)7,00.00
(6)	10 राज्य राहत निधि			
	मूल	5,00.00		
			1,50.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)3,50.00		(-)1,50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर 2020 को ₹ 1,00.00 लाख तथा 02 मार्च 2021 को ₹ 2,50.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए | वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

05 राज्य आपदा मोचन निधि

(1)	101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,00,00.00	7,00,00.00	9,37,00.00
				(+)2,37,00.00
(2)	02 आपदा राहत निधि से व्यय			
	मूल	4,00,00.00		
			10,41,00.00	10,55,09.75
	पूरक	6,41,00.00		(+)14,09.75

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	-----------------------------------

80 सामान्य			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(3) 11 आपदा न्यूनीकरण निधि			
मूल	13,00.00		
		16,50.00	14,99.76
			(-)1,50.24
पुनर्वि०	3,50.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर 2020 को ₹ 1,00.00 लाख तथा 02 मार्च 2021 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) एवं (2) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (3) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 1,68.77 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	2,02.48	1,33.52	68.96
2016-17	2,59.37	1,76.89	82.48
2017-18	2,39.23	1,88.29	50.94
2018-19	2,19.31	2,13.46	5.85
2019-20	2,82.50	2,09.51	72.99

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2062 सतर्कता

00

103 लोकायुक्त/ उपलोकायुक्त

02 लोक आयुक्त संगठन

मूल	3,67.25	3,67.25	1,98.48	(-)1,68.77
-----	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत-
दत्तमत-

- (x) ₹ 1,76,20.61 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2015-16	13,30.02	8,87.53	4,42.49
2016-17	81,70.02	7,09.20	74,60.82
2017-18	7,28,90.06	5,82,75.23	1,46,14.83
2018-19	4,42,75.03	1,70,23.97	2,72,51.06
2019-20	4,10,25.01	1,97,90.25	2,12,34.76

- (xii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

- | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|---------------|
| (1) | 03 तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण | | | | |
| | मूल | 10,00.00 | 10,00.00 | 8,89.31 | (-)1,10.69 |
| (2) | 09 पटवारी/कानूनगों चौकियों का निर्माण | | | | |
| | मूल | 1,00.00 | 1,00.00 | 30.97 | (-)69.03 |
| (3) | 15 जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रत परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण | | | | |
| | मूल | 26,00.00 | 26,00.00 | 10,69.93 | (-)15,30.07 |
| (4) | 97 बाह्य सहायतित योजनाएं | | | | |
| | मूल | 3,00,00.00 | 3,00,00.00 | 1,55,00.00 | (-)1,45,00.00 |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
60 अन्य भवन			
051 निर्माण			
(1) 16 एटीआई में निर्माण कार्य			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
			(-),2,00.00
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
101 प्राकृतिक आपदाएं			
(2) 02 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत तम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य			
मूल	8,00.00	8,00.00	0.00
			(-),8,00.00
			वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे
(3) 04 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का निर्माण			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
			(-),2,00.00
(4) 05 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण			
मूल	2,00.01	2,00.01	0.00
			(-),2,00.01

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें			
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर		
2043	राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण		
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		

दत्तमत-

मूल	97,81,02,96			
		97,91,84,66	90,91,88,07	(-)6,99,96,59
पूरक	10,81,70			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,37,82 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

भारित-

मूल	60,45,73,95			
		60,45,73,95	49,24,35,83	(-)11,21,38,12
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

पूँजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
7615	विविध कर्ज

दत्तमत-

मूल	1,24,67,02			
		5,84,67,02	4,45,32,07	(-)1,39,34,95
पूरक	4,60,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,14,20,25 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

भारित-

मूल	35,03,31,00			
		35,03,31,00	82,69,59,14	(+)47,66,28,14
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 6,99,96.59 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 6,99,96.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 10,81.70 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2015-16	52,70,37.29	44,84,23.95	7,86,13.34	
2016-17	59,38,55.86	49,18,02.89	10,20,52.97	
2017-18	76,29,63.29	74,03,48.58	2,26,14.71	
2018-19	84,39,99.02	77,42,29.83	6,97,69.19	
2019-20	95,54,41.34	81,49,42.08	14,04,99.26	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

<i>01 स्टाम्प न्यायिक</i>				
101 स्टाम्पों की लागत				
(1)	03 न्यायिक स्टाम्प			
	मूल	1,00.00	1,00.00	83.89 (-)16.11

<i>02 स्टाम्प न्यायिकेतर</i>				
102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय				
(2)	03 गैर अदालती स्टाम्प			
	मूल	5,00.00		
			3,45.00	1,35.09 (-)2,09.91
	पुनर्वि०	(-)1,55.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2021 को ₹ 1,55.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।

<i>03 पंजीकरण</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(3)	04 जिला व्यय			
	मूल	10,85.25	10,85.25	9,04.51 (-)1,80.74

2040 बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

<i>00</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(4)	04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान			
	मूल	1,64.86	1,64.86	1,19.82 (-)45.04

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2043 राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	03 अधिष्ठान			
	मूल	11,37.73		
			11,45.97	8,16.39
	पूरक	8.24		(-)3,29.58
(6)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना			
	मूल	80.00	80.00	29.47
				(-)50.53
	101 संग्रहण प्रभार			
(7)	03 वाणिज्य कर अधिष्ठान			
	मूल	91,06.88	91,06.88	77,46.24
				(-)13,60.64
	800 अन्य व्यय			
(8)	02 राज्य का जी.एस.टी.एन. में अंश			
	मूल	4,50.00	4,50.00	4,00.25
				(-)49.75
	वर्ष 2020-21 के लेखे बंद होने के उपरांत उपरोक्त क्रम सं० (5) से (8) पर ₹ 4,54.75 लाख के पुनर्विनियोग आदेश प्राप्त हुए।			
	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
	00			
	103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क			
(9)	03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय			
	मूल	2,48.54	2,48.54	1,79.18
				(-)69.36
	2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
	00			
	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
(10)	03 राज्य अल्प बचत संगठन			
	मूल	5,05.99	5,05.99	3,32.95
				(-)1,73.04
	800 अन्य व्यय			
(11)	03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान			
	मूल	1,72.60	1,72.60	1,27.06
				(-)45.54

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
00			
090 सचिवालय			
(12) 03 सचिवालय अधिष्ठान			
मूल	1,58,46.25		
		1,65,71.25	1,47,07.89
पूरक	7,25.00		(-)18,63.36
(13) 05 रैसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान			
मूल	1,36.12	1,36.12	1,02.32
(14) 08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय			
मूल	40.00	40.00	17.88
(15) 11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान			
मूल	41.03	41.03	6.46
(16) 12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
मूल	90.69	90.69	57.44
(17) 18 मुख्यमंत्री कार्यालय			
मूल	1,70.03	1,70.03	76.50
091 संलग्न कार्यालय			
(18) 03 राज्य सम्पत्ति विभाग			
मूल	68,27.78	68,27.78	49,87.05
(19) 04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय			
मूल	1,51.44		
		1,58.44	1,01.31
पूरक	7.00		(-)57.13
(20) 05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक (सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था			
मूल	56.17	56.17	42.01
			(-)14.16

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	07 कार्यालय निरीक्षणालय मूल	71.79	71.79	41.90 (-)29.89
(22)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	54.75	54.75	7.38 (-)47.37
(23)	10 वित्त आयोग निदेशालय मूल	1,73.34		
	पूरक	18.46	1,91.80	1,45.43 (-)46.37
(24)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	65.89	65.89	49.68 (-)16.21
	092 अन्य कार्यालय			
(25)	02 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल	2,00.00	2,00.00	43.97 (-)1,56.03
	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन 00			
	003 प्रशिक्षण			
(26)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल	3,00.00	3,00.00	2,00.00 (-)1,00.00
(27)	97 यू०एस०ए०आई०डी० द्वारा पोषित परियोजना मूल	60,00.00		
	पुनर्वि०	(-)1,05.00	58,95.00	5,00.00 (-)53,95.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को ₹ 1,05.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
(28)	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	57.14	57.14	39.97 (-)17.17

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(29)	03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान			
	मूल	6,32.25		
			6,52.28	(-),1,36.00
	पूरक	20.03		
(30)	05 विभागीय लेखा अधिष्ठान			
	मूल	2,04.64		
			2,19.64	(-),73.86
	पूरक	15.00		
(31)	07 वित्तीय डाटा सेंटर			
	मूल	2,00.00		
	पूरक	2,50.00	5,55.00	(-),1,83.70
	पुनर्वि०	1,05.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को ₹ 1,05.00 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिल के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	097 खजाना स्थापना			
(32)	03 कोषागार अधिष्ठान			
	मूल	77,14.73		
			77,19.73	(-),19,61.14
	पूरक	5.00		
(33)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय			
	मूल	1,58.49		
			1,76.49	(-),33.70
	पूरक	18.00		
	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
(34)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन			
	मूल	2,86.99	2,86.99	(-),33.32
(35)	06 आडिट निदेशालय			
	मूल	11,60.50	11,60.50	(-),2,57.97

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01 सिविल			
101 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते			
(36) 07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक			
मूल	75.00	75.00	65.18 (-)9.82
104 उपादान			
(37) 03 उपादान			
मूल	5,62,00.00	5,61,50.00	13,05.49 (-)5,48,44.51
पुनर्वि०	(-)50.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 80,50.00 लाख की कमी पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण किये गए। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 80,00.00 लाख की वृद्धि पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
105 परिवार पेंशन			
(38) 07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक			
मूल	27.00	27.00	15.23 (-)11.77
109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन			
(39) 06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ			
मूल	7,25,00.01	3,85,00.01	5,51,42.31 (+)1,66,42.30
पुनर्वि०	(-)3,40,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 3,40,00.00 लाख की कमी पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण किये गए। शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,66,42.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			
111 विधायकों को पेंशन			
(40) 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य			
मूल	15,00.00	15,00.00	7,34.14 (-)7,65.86

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
115 अवकाश नकदीकरण हितलाभ			
(41) 03 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ			
मूल	3,25,00.03	3,25,00.03	2,79,84.77 (-)45,15.26
200 अन्य पेंशन			
(42) 06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान			
मूल	3,00.00	3,00.00	94.59 (-)2,05.41
800 अन्य व्यय			
(43) 04 राज्य सरकार के सेवा निवृत्ति कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड)			
मूल	25,00.00	25,00.00	22,25.39 (-)2,74.61
3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण			
03 पर्यावरण अनुसन्धान और पारिस्थितिकी उत्थान			
102 पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय			
(44) 02 पर्यावरण निदेशालय			
मूल	12,92.50	12,92.50	35.90 (-)12,56.60
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
00			
092 अन्य कार्यालय			
(45) 03 नियोजन अधिष्ठान			
मूल	3,90.67	4,05.67	3,34.03 (-)71.64
पुनर्वि०	15.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2021 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(46) 04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन			
मूल	3,00.00	2,85.00	88.55 (-)1,96.45
पुनर्वि०	(-)15.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2021 को ₹ 15.00 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(47)	08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण योजना मूल	4,25.00	4,25.00	2,00.00 (-)2,25.00
(48)	10 पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का गठन मूल	1,15.20	1,15.20	60.00 (-)55.20
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
<i>01 जनगणना</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(49)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	22,00.00	22,00.04	6,15.50 (-)15,84.54
	पूरक	0.04		
<i>02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी</i>				
112 आर्थिक सलाह और सांख्यिकी				
(50)	03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान मूल	21,83.25	21,83.25	17,86.90 (-)3,96.35
(51)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	1,17.79	1,23.52	1,02.76 (-)20.76
	पूरक	5.73		
800 अन्य व्यय				
(52)	05 जी०आई०एस० प्रकोष्ठ एवं जिओं पोर्टल की स्थापना मूल	2,76.54	2,76.54	60.57 (-)2,15.97
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन				
<i>00</i>				
200 अन्य विविध क्षतिपूर्तियां एवं समनुदेशन				
(53)	02 राज्य वित्त आयोग मूल	14,31,78.00	14,31,78.00	10,80,19.50 (-)3,51,58.50

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

02 स्टाम्प न्यायिकेतर

101 स्टांपों की लागत

(1) 03 गैर अदालती स्टाम्प

मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

00

090 सचिवालय

(3) 13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय

मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

091 संलग्न कार्यालय

(4) 16 डी०बी०टी० सेल

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

01 सिविल

102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य

(5) 03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्यूटेड वैल्यु आफ पेंशन)

मूल	6,50,50.00	2,20,50.00	0.00	(-)2,20,50.00
-----	------------	------------	------	---------------

पुनर्वि० (-)4,30,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 4,30,00.00 लाख की कमी पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 04 पूर्ववर्ती यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	50,00.00	50,00.00	0.00 (-)50,00.00
104 उपादान			
(7) 04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	40,00.00	40,00.00	0.00 (-)40,00.00
105 परिवार पेंशन			
(8) 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
800 अन्य व्यय			
(9) 08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता मूल	80.00	80.00	0.00 (-)80.00
(10) 09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
00			
092 अन्य कार्यालय			
(11) 07 परियोजना विकास निधि का गठन मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(12) 11 युवा आयोग उत्तराखण्ड मूल	10.03	10.03	0.00 (-)10.03
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
00			
200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन			
(13) 03 राज्य सरकार की विभिन्न सम्पत्तियों पर कर का भुगतान मूल	20,00.00	20,00.00	0.00 (-)20,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

	01 स्टाम्प न्यायिक				
	102 स्टाम्पों की ब्रिकी पर व्यय				
(1)	03 न्यायिक स्टाम्प				
	मूल	80.00	80.00	1,27.83	(+)47.83
	03 पंजीकरण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(2)	03 मुख्यालय				
	मूल	4,23.35			
			5,78.35	4,85.47	(-)92.88
	पुनर्वि०	1,55.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2021 को ₹ 1,55.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

2040 बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर

	00				
	800 अन्य व्यय				
(3)	05 वैट के अन्तर्गत वापसी				
	मूल	30,00.00	30,00.00	34,28.76	(+)4,28.76
	वर्ष 2020-21 के लेखे बंद होने के उपरान्त ₹ 4,54.75 लाख के पुनर्विनियोग आदेश प्राप्त हुए।				

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

	01 सिविल				
	101 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते				
(4)	03 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते				
	मूल	17,90,00.00			
			19,70,00.00	23,86,18.98	(+)4,16,18.98
	पुनर्वि०	1,80,00.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 1,80,00.00 लाख की वृद्धि पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
मूल	1,90,00.01		
		2,50,00.01	
पुनर्वि०	60,00.00	2,62,19.83	(+)12,19.82
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 2,40,00.00 लाख की वृद्धि पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 1,80,00.00 लाख की कमी पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण किये गए।			
(6) 105 परिवार पेंशन			
03 परिवार पेंशन			
मूल	8,70,00.00		
		10,50,00.00	
पुनर्वि०	1,80,00.00	10,08,76.13	(-)41,23.87
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 1,80,00.00 लाख की वृद्धि पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7) 04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
मूल	55,00.00	55,00.00	57,77.03
			(+)2,77.03
(8) 106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी			
03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान			
मूल	50.01		
		1,00.01	
पुनर्वि०	50.00	3,38.16	(+)2,38.15
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(9) 109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन			
03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
मूल	2,20,00.01		
		4,90,00.01	
पुनर्वि०	2,70,00.00	7,00,81.86	(+)2,10,81.85
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 2,70,00.00 लाख की वृद्धि पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10) 05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल	1,80,00.01	1,80,00.01	1,90,58.73 (+)10,58.72
117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान			
(11) 03 राज्य सरकार का अंशदान मूल	6,00,00.00	6,80,00.00	6,82,33.22 (+)2,33.22
पुनर्वि०	80,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को ₹ 80,00.00 लाख की वृद्धि पेंशन/ आनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)			

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 11,21,38.12 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	34,37,13.94	30,22,37.62	4,14,76.32
2016-17	40,10,55.80	37,83,87.27	2,26,68.53
2017-18	46,34,32.80	39,88,18.25	6,46,14.55
2018-19	51,74,62.33	44,75,32.44	6,99,29.89
2019-20	56,75,69.45	46,54,78.86	10,20,90.59

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2049 ब्याज अदायगियां			
01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(1) 21 राज्य विकास ऋण, जो 2010-11 में प्राप्त हुआ मूल	84,06.40	84,06.40	42,03.25 (-)42,03.15

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(2)	25 राज्य विकास ऋण, जो 2014-15 में प्राप्त हुआ मूल	1,95,61.00	1,95,61.00	1,07,86.75	(-)87,74.25
(3)	30 वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त बाजार ऋण मूल	4,58,52.00	4,58,52.00	4,05,67.07	(-)52,84.93
(4)	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 02 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज मूल	40,00.00	40,00.00	5,20.58	(-)34,79.42
(5)	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज मूल	10,00,00.00	10,00,00.00	7,28,46.44	(-)2,71,53.56
(6)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	14,00.00	14,00.00	12,46.85	(-)1,53.15
(7)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल	3,70,00.00	3,70,00.00	1,93,73.56	(-)1,76,26.44
(8)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल	4,50.00	4,50.00	2,73.56	(-)1,76.44
(9)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 101 जमाओं पर ब्याज 03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में) अवशेष मूल	1,75,00.00	1,75,00.00	77,33.67	(-)97,66.33
(10)	701 विविध 03 मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज मूल	35.00	35.00	11.87	(-)23.13

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	--------------------------------------

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

	00		
	092 अन्य कार्यालय		
(11)	03 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बंधित धनराशि		
	मूल	3,50.00	3,50.00
			1,29.22
			(-)2,20.78

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2049 ब्याज अदायगियां

	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज		
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज		
(1)	31 वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त बाजार ऋण		
	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00
			0.00
			(-)3,00,00.00
	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज		
(2)	11 उ०प्र० राज्य बि०प० के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बॉण्ड)		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			0.00
			(-)1,00.00
(3)	12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज		
	मूल	7,00.00	7,00.00
			0.00
			(-)7,00.00
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज		
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज		
(4)	05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज		
	मूल	3,30.00	3,30.00
			0.00
			(-)3,30.00
(5)	06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	108 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज		
(6)	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज		
	मूल	3,30.00	3,30.00
			0.00
			(-)3,30.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>05 आराक्षित निधियों पर ब्याज</i>			
(7)	105 सामान्य एवं अन्य रिजर्व फंड पर ब्याज		
	02 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष पर ब्याज		
	मूल	55,00.00	55,00.00
			0.00
			(-)55,00.00
<i>60 अन्य दायित्वों पर ब्याज</i>			
(8)	701 विविध		
	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज		
	मूल	22.00	22.00
			0.00
			(-)22.00
(9)	08 कैम्पा निधि के ब्याज का अंतरण		
	मूल	1,50,00.00	1,50,00.00
			0.00
			(-)1,50,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2049 ब्याज अदायगियां

<i>01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज</i>			
(1)	101 बाजार कर्जों पर ब्याज		
	22 राज्य विकास ऋण, जो 2011-12 में प्राप्त हुआ		
	मूल	1,21,58.00	1,21,58.00
			1,56,04.50
			(+)34,46.50
(2)	26 राज्य विकास ऋण, जो 2015-16 में प्राप्त हुआ		
	मूल	2,99,34.00	2,99,34.00
			3,03,34.00
			(+)4,00.00
(3)	27 राज्य विकास ऋण, जो 2016-17 में प्राप्त हुआ		
	मूल	4,07,95.90	4,07,95.90
			4,22,77.72
			(+)14,81.82
(4)	28 राज्य विकास ऋण, जो 2017-18 में प्राप्त हुआ		
	मूल	5,14,89.40	5,14,89.40
			7,13,99.40
			(+)1,99,10.00
<i>305 ऋण प्रबन्ध</i>			
(5)	03 ऋण प्रबन्धन पर व्यय		
	मूल	6,00.00	6,00.00
			8,58.81
			(+)2,58.81

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	-----------------------------------

04	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		
101	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत/योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज		
(6)	03 उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज		
	मूल	61,00.00	61,00.00
			68,43.42
			(+)7,43.42

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (xii) ₹ 1,39,34.95 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (xiii) ₹ 1,39,34.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 4,60,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xiv) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2015-16	67,65.10	52,34.06	15,31.04	
2016-17	3,94,13.49	83,60.20	3,10,53.29	
2017-18	4,51,99.70	1,89,58.43	2,62,41.27	
2018-19	3,28,12.73	1,67,78.70	1,60,34.03	
2019-20	2,96,55.47	90,30.27	2,06,25.20	

- (xv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

	01 कार्यालय भवन			
	051 निर्माण			
(1)	02 कोषागार/ उपकोषागार के निर्माण			
	मूल	2,50.00	2,50.00	1,49.30
				(-),1,00.70
	80 सामान्य			
	051 निर्माण			
(2)	03 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	4,00.00	4,00.00	1,74.72
				(-),2,25.28

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,00.00		
		4,65,00.00	4,10,28.86
पूरक	4,60,00.00		(-)54,71.14
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
700 अन्य आवासीय योजना			
(4) 02 मुख्य सचिव स्तर के आवासीय भवनों का निर्माण			
मूल	2,00.00	2,00.00	50.00
			(-)1,50.00
02 शहरी आवास			
800 अन्य व्यय			
(5) 03 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन का निर्माण			
मूल	5,00.00	5,00.00	40.69
			(-)4,59.31
(6) 15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार			
मूल	1,00.00	1,00.00	58.85
			(-)41.15

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xvi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 कार्यालय भवन				
051 निर्माण				
(1) 03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान				
मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
				वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।
(2) 04 राज्य योजना आयोग/ नियोजन निदेशालय भवन निर्माण				
मूल	98.99	98.99	0.00	(-)98.99
				वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
80 सामान्य			
051 निर्माण			
(3) 02 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य)			
मूल	8.00	8.00	0.00 (-)8.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
800 अन्य व्यय			
(4) 08 वित्त विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण			
मूल	9,00.00	9,00.00	0.00 (-)9,00.00
(5) 17 महत्वपूर्ण स्थापना कार्य			
मूल	45,00.00	45,00.00	0.00 (-)45,00.00
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
02 शहरी आवास			
800 अन्य व्यय			
(6) 11 मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन इस्टेट का अधिग्रहण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(7) 12 मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(8) 16 रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9) 19 जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय क निर्माण			
मूल	6,00.00	6,00.00	0.00 (-)6,00.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(10) 02 सचिवालय परिसर में अनावासीय भवनों का ध्वस्तीकरण/ जीर्णोद्धार/ नवनिर्माण			
मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	---------------------	---------------	-----------------------------------

7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

00

201 भवन निर्माण अग्रिम

(11)	03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

7615 विविध कर्ज

00

200 अन्य कर्ज

(12)	02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

(13)	03 विधायकों को आवास हेतु ऋण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

**पूँजीगत:
भारित-**

(xvii) विनियोग के पूँजीगत भारित के अंतर्गत ₹ 47,66,28.14 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(xviii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

101 बाजार कर्ज

(1)	04 गैर ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान			
	मूल	2.00	2.00	2.29 (+)0.29

110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम

(2)	03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान			
	मूल	11,00,00.00	11,00,00.00	56,61,41.51 (+)45,61,41.51

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	--------------------------------------

111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ			
(3) 03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान			
मूल	5,21,00.00	5,21,00.00	7,81,01.65 (+)2,60,01.65

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

01 योजनेतर कर्ज				
800 अन्य कर्ज				
(1) 03 पूर्वोत्तर उ०प्र० के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी				
मूल	1,00.00	1,00.00	43.87	(-)56.13

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज

101 एक मुश्त कर्ज तथा अग्रिम				
(2) 03 एक मुश्त उधार				
मूल	60,00.00	60,00.00	43,79.08	(-)16,20.92

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xx) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00				
108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज				
(1) 04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान				
मूल	20,48.00	20,48.00	0.00	(-)20,48.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

109 अन्य संस्थाओं से कर्ज

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------	---------------	--------------------------------------

800 अन्य कर्ज			
(3) 03 अन्य ऋण			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

04 केन्द्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए

800 अन्य कर्ज			
(4) 03 सहकारिता			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

		अनुदान सं० 08 आबकारी			
मुख्य लेखा शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)	
राजस्व:					
2039	राज्य उत्पाद शुल्क				
दत्तमत-					
	मूल	33,05,07			
			33,05,07	27,57,91	(-)5,47,16
	पूरक	...			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 5,47.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	20,10.39	18,19.45	1,90.94
2016-17	23,92.11	18,79.33	5,12.78
2017-18	25,40.58	22,81.99	2,58.59
2018-19	29,35.50	26,23.60	3,11.90
2019-20	29,63.39	25,39.78	4,23.61

अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 अधिष्ठान		
	मूल	8,00.04	
		7,72.04	6,66.23
	पुनर्वि०	(-28.00)	(-1,05.81)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2020 को ₹ 28.00 लाख की कमी कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय में हुई बचत के कारण किये गए।			
(2)	04 भट्टियाँ		
	मूल	25,05.03	
		25,33.03	20,91.67
	पुनर्वि०	28.00	(-4,41.36)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर 2020 को ₹ 28.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			

मुख्य लेखा शीर्ष		अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:					
2051 लोक सेवा आयोग					
दत्तमत-					
मूल	17,44,99				
		17,44,99	15,95,14		(-1,49,85
पूरक	...				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)					...
भारित-					
मूल	32,71,43				
		32,71,43	17,37,00		(-)15,34,43
पूरक	...				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)					...
पूँजीगत:					
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय					
दत्तमत-					
मूल	5,28,19				
		5,28,19	92,00		(-)4,36,19
पूरक	...				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)					...
टिप्पणियाँ एवं टीकायें					
राजस्व:					
दत्तमत-					
(i)	₹ 1,49.85 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी				
राजस्व:					
भारित-					
(ii)	₹ 15,34.43 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी				

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(iii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नवत रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	13,10.51	11,46.55	1,63.96
2016-17	28,96.83	19,47.69	9,49.14
2017-18	24,47.55	14,36.65	10,10.90
2018-19	29,12.01	17,34.80	11,77.21
2019-20	27,64.02	19,15.18	8,48.84

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल	32,71.43	32,71.43	17,37.00	(-)15,34.43
-----	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 4,36.19 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन का निर्माण

मूल	4,35.52	4,35.52	0.00	(-)4,35.52
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	--	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2055	पुलिस
2056	जेलें

दत्तमत-

मूल	21,23,83,48			
		21,42,74,66	18,65,14,58	(-)2,77,60,08
पूरक	18,91,18			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	50,50,00			
		50,50,00	31,73,90	(-)18,76,10
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 2,77,60.08 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 2,77,60.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 18,91.18 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	12,41,71.28	11,80,97.74	60,73.54
2016-17	15,89,83.37	14,40,06.40	1,49,76.97
2017-18	17,34,48.94	16,60,59.35	73,89.59
2018-19	19,38,77.78	18,33,47.98	1,05,29.80
2019-20	19,70,56.34	18,20,88.34	1,49,68.00

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	2055 पुलिस				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 मुख्यालय				
	मूल	45,87.41			
	पूरक	2.00	46,10.26	40,37.74	(-)5,72.52
	पुनर्वि०	20.85			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 0.85 लाख 26 मार्च 2021 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, सामग्री एवं सम्पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				
(2)	04 अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण अधिष्ठान				
	मूल	79,58.92			
	पूरक	1.00	79,69.92	71,03.19	(-)8,66.73
	पुनर्वि०	10.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई				
(3)	06 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान				
	मूल	1,52.66			
			1,59.86	1,19.45	(-)40.41
	पूरक	7.20			
(4)	08 राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ				
	मूल	63.00	63.00	53.27	(-)9.73
(5)	09 राज्य मनवाधिकार आयोग				
	मूल	3,00.00	3,00.00	1,00.00	(-)2,00.00
(6)	13 अभियोजन अधिष्ठान				
	मूल	10,17.98	10,17.98	8,54.14	(-)1,63.84

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो			
	मूल	4,95.40		
			5,78.60	
	पूरक	83.20	4,23.74	(-1,54.86)
(8)	15 लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,18.33
				(-)81.67
(9)	16 कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ मेला व्यवस्था			
	मूल	60,12.00	60,12.00	12,43.57
				(-)47,68.43
	003 शिक्षा और प्रशिक्षण			
(10)	04 शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य			
	मूल	15,11.45		
	पूरक	1,11.10	16,27.80	13,21.15
	पुनर्वि०	5.25		(-)3,06.65
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 10.25 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 5.00 लाख की कमी यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किये गए।			
(11)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	03 अभिसूचना अधिष्ठान			
	मूल	91,87.86		
	पूरक	6.25	91,38.21	77,74.95
	पुनर्वि०	(-)55.90		(-)13,63.26
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 55.90 लाख की कमी यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किये गए।			
(12)	04 सुरक्षा व्यवस्था			
	मूल	29,54.04		
	पूरक	12.00	29,26.54	24,94.34
	पुनर्वि०	(-)39.50		(-)4,32.20
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 39.50 लाख की कमी यात्रा भत्ता तथा गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13) 06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र का सुदृढीकरण			
मूल	2,43.38		
		2,43.88	
पूरक	0.50	1,56.20	(-)87.68
104 विशेष पुलिस			
(14) 03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य			
मूल	2,58,02.39		
पूरक	2,34.00	2,60,63.89	
पुनर्वि०	27.50	2,34,17.21	(-)26,46.68
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 27.50 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(15) 05 एस.टी.एफ.			
मूल	5,16.31		
		5,20.06	
पूरक	3.75	4,26.11	(-)93.95
108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
(16) 03 अपराध से पीड़ित सहायता कोष			
मूल	2,00.00	2,00.00	
		1,00.00	(-)1,00.00
109 जिला पुलिस			
(17) 04 रेडियो अधिष्ठान			
मूल	58,75.74		
		58,86.24	
पूरक	10.50	48,17.17	(-)10,69.07
(18) 05 मोटर परिवहन अधिष्ठान			
मूल	49,01.01		
पूरक	2.50	48,52.76	
पुनर्वि०	(-)50.75	42,06.28	(-)6,46.48
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2021 को ₹ 3.00 लाख तथा 18 मार्च 2021 को ₹ 47.75 लाख की कमी यात्रा भत्ता, गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि के क्रय में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19)	07 घुड़सवार पुलिस इकाई			
	मूल	4,83.04		
	पूरक	10.00	4,87.79	4,42.33
	पुनर्वि०	(-)5.25		(-)45.46
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 5.25 लाख की कमी यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किये गए।			
(20)	14 जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण			
	मूल	1,44.02		
			1,46.47	81.48
	पूरक	2.45		(-)64.99
(21)	16 ट्रैफिक लाईट के संचालन/ सड़क सुरक्षा हेतु			
	मूल	8,73.00		
			8,82.50	4,76.64
	पुनर्वि०	9.50		(-)4,05.86
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को ₹ 9.50 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(22)	111 रेल पुलिस			
	03 मुख्य			
	मूल	20,68.36	20,68.36	17,90.89
				(-)2,77.47
(23)	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण			
	04 चिकित्सालय व्यय			
	मूल	4,63.24		
			4,76.49	3,78.00
	पूरक	13.25		(-)98.49
(24)	11 अर्द्ध सैनिक बल कल्याण परिषद्			
	मूल	0.00		
			18.00	11.77
	पूरक	18.00		(-)6.23
(25)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,50.05	4,50.05	88.34
				(-)3,61.71

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	116 न्यायालयिक विज्ञान			
(26)	03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला			
	मूल	6,31.88		
			6,40.13	5,01.89
	पूरक	8.25		(-),38.24
	2056 जेलें			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(27)	03 कारागार अधिष्ठान			
	मूल	63,39.15		
			65,70.15	52,68.23
	पूरक	2,31.00		(-),13,01.92
(28)	04 कारागार मुख्यालय			
	मूल	2,20.89		
			2,21.39	1,43.79
	पूरक	0.50		(-),77.60

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2055 पुलिस			
	00			
	108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
(1)	02 निर्वाचन			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				(-),1,00.00
	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण			
(2)	10 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता/ पुरस्कार			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-),20.00
	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(3)	02 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
				(-),2,00.00

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
117 आन्तरिक सुरक्षा			
(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	10,00.01	10,00.01	0.00
			(-)10,00.01

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2055 पुलिस

00

110 ग्राम पुलिस

03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान

मूल 9,36.50

पूरक 2,10.00

पुनर्वि० 2,00.00

13,46.50

13,17.57

(-)28.93

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 18,76.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	17,80.06	14,88.82	2,91.24
2016-17	24,00.04	6,88.17	17,11.87
2017-18	26,50.02	18,06.73	8,43.29
2018-19	23,22.01	18,58.80	4,63.21
2019-20	53,72.65	36,06.51	17,66.14

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(ix)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय				
	00				
	207 राज्य पुलिस				
(1)	02 अग्निशमन एवं आपात सेवा				
	मूल	3,00.00	3,00.00	60.27	(-),39.73
	211 पुलिस आवास				
(2)	04 पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण				
	मूल	20,00.00	20,00.00	11,73.48	(-),8,26.52
(3)	06 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना				
	मूल	5,00.00	5,00.00	3,97.58	(-),1,02.42
(4)	09 पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण				
	मूल	4,00.00	4,00.00	2,11.84	(-),1,88.16
	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय				
	80 सामान्य				
	051 निर्माण				
(5)	02 जेलों का निर्माण /भूमि क्रय				
	मूल	15,00.00	15,00.00	10,50.00	(-),4,50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

00

210 अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण

02 पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला एवं संस्कृति

दत्तमत-

मूल	87,55,28,30	90,35,10,19	77,91,75,03	(-)12,43,35,16
पूरक	2,79,81,89			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत-

मूल	3,93,96,18	4,24,21,28	3,52,53,08	(-)71,68,20
पूरक	30,25,10			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 12,43,35.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 12,43,35.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 2,79,81.89 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	55,85,60.13	47,73,61.98	8,11,98.15
2016-17	65,13,93.12	52,00,75.18	13,13,17.94
2017-18	66,70,17.93	62,30,77.13	4,39,40.80
2018-19	76,09,74.26	70,67,32.74	5,42,41.52
2019-20	83,79,76.63	74,02,91.24	9,76,85.39

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 निदेशालय अधिष्ठान

मूल	5,88.58	5,88.58	4,39.05	(-),49.53
-----	---------	---------	---------	-----------

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(2) 04 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय

मूल	26,52,70.26	26,46,75.98	23,17,92.75	(-),3,28,83.23
-----	-------------	-------------	-------------	----------------

पुनर्वि० (-),5,94.28

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2020 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2021 को ₹ 6,09.28 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण किये गए।

(3) 08 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल

मूल	5,50.00	5,50.00	2,14.67	(-),3,35.33
-----	---------	---------	---------	-------------

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(4) 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के.जी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता

मूल	1,30,00.00	1,30,00.00	1,11,70.58	(-),18,29.42
-----	------------	------------	------------	--------------

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 14 सहायता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान			
मूल	8,30.54	8,30.54	6,25.84
			(-)2,04.70
(6) 18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान			
मूल	15,30.00		
		14,26.17	12,05.72
			(-)2,20.45
पुनर्वि०	(-)1,03.83		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को ₹ 1,03.83 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण किये गए			
104 निरीक्षण			
(7) 03 क्षेत्रीय निरीक्षण			
मूल	17,11.56		
		19,80.67	14,28.66
			(-)5,52.01
पुनर्वि०	2,69.11		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2021 को ₹ 2,69.11 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(8) 05 विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना			
मूल	43,58.33	43,58.33	33,77.63
			(-)9,80.70
106 शिक्षक तथा अन्य सेवाएं			
(9) 02 एजुकेशन पोर्टल			
मूल	22.77	22.77	9.60
			(-)13.17
112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(10) 02 मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी			
मूल	2,91.87	2,91.87	2,58.15
			(-)33.72
(11) 03 मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढीकरण			
मूल	1,56.41		
		10.00	10.00
			0.00
पुनर्वि०	(-)1,46.41		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को ₹ 1,46.41 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
02 माध्यमिक शिक्षा			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(12)	03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान		
	मूल	9,30.83	
		9,33.83	7,33.69 (-)2,00.14
	पुनर्वि०	3.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(13)	05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय		
	मूल	2,33.21	2,33.21 1,79.70 (-)53.51
(14)	06 अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय		
	मूल	95.12	95.12 70.13 (-)24.99
(15)	15 विभिन्न जनपदों में पुस्तकालयों का सुदृढीकरण		
	मूल	1,80.00	1,80.00 15.92 (-)1,64.08
004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(16)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	12,06.02	12,06.02 10,70.24 (-)1,35.78
(17)	03 सीमेट की स्थापना		
	मूल	2,06.56	2,06.56 1,77.34 (-)29.22
101 निरीक्षण			
(18)	03 क्षेत्रीय निरीक्षण		
	मूल	32,38.73	
		32,45.29	24,64.02 (-)7,81.27
	पुनर्वि०	6.56	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को ₹ 6.56 लाख की वृद्धि किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(19)	04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना		
	मूल	41,98.22	41,98.22 33,52.72 (-)8,45.50

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105	शिक्षकों का प्रशिक्षण			
(20)	02 प्रशिक्षण हेतु डायट का सशक्तिकरण			
	मूल	37.80	37.80	21.60
				(-)16.20
108	परीक्षाएं			
(21)	04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान			
	मूल	9,95.88		
			10,02.88	7,81.55
				(-)2,21.33
	पूरक	7.00		
109	राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(22)	03 बालक एवं बालिका			
	मूल	30,59,23.23		
	पूरक	1,60.00	30,65,01.48	25,66,34.34
	पुनर्वि०	4,18.25		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को ₹ 4,18.25 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(23)	07 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	26,60.00	26,60.00	18,90.22
				(-)7,69.78
(24)	15 राजीव गाँधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	1,59.10	1,59.10	63.89
				(-)95.21
(25)	16 विजिटिंग शिक्षको का मानदेय			
	मूल	70,00.00		
			65,27.16	50,67.56
	पुनर्वि०	(-)4,72.84		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को ₹ 4,72.84 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण किये गए।			
(26)	17 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक)			
	मूल	2,92.00	2,92.00	2,02.75
				(-)89.25
(27)	19 ब्लॉक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना			
	मूल	1,00.00	1,00.00	8.68
				(-)91.32

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(28)	20 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल	25.00	25.00	15.77	(-)9.23
(29)	21 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना मूल	16,00.00	16,00.00	14,05.11	(-)1,94.89
(30)	110 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल	1,50.00	1,50.00	1,16.96	(-)33.04
(31)	113 समग्र शिक्षा 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	8,62,99.70	9,04,27.72	8,13,69.97	(-)90,57.75
	पूरक	41,28.02			
(32)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 05 दून विश्वविद्यालय मूल	15,88.73	15,88.73	10,56.23	(-)5,32.50
(33)	06 संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मूल	8,50.00	8,50.00	2,95.25	(-)5,54.75
(34)	08 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय मूल	8,00.00	8,00.00	7,00.00	(-)1,00.00
(35)	12 अल्मोडा आवासीय विश्वविद्यालय मूल	2,17.41	2,17.41	1,42.41	(-)75.00
(36)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	20,00.00	20,00.00	2,83.76	(-)17,16.24

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(37)	12 एन० डी० ए० तथा आई० एम० ए० में चयनित छात्रों/छात्राओं को पुरस्कार मूल	1,00.00	1,00.00	21.00	(-)79.00
(38)	16 राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में एडूसेट के माध्यम से शिक्षा मूल	46.40	46.40	30.00	(-)16.40
(39)	17 राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापना मूल	80.00	80.00	56.00	(-)24.00
<i>05 भाषा विकास</i>					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(40)	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान मूल	99.90	99.90	61.93	(-)37.97
102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन					
(41)	04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान मूल	2,97.02	2,97.02	1,27.90	(-)1,69.12
103 संस्कृत शिक्षा					
(42)	03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल	1,69.98	1,69.98	1,19.79	(-)50.19
(43)	04 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान मूल	24,70.00	24,70.00	20,27.75	(-)4,42.25
(44)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण मूल	1,34.68	1,34.68	91.20	(-)43.48
(45)	07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण मूल	25.00	25.00	17.38	(-)7.62

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(46)	08 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन			
	मूल	84.28		
	पुनर्वि०	1.40	85.68	71.74 (-)13.94
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2021 को ₹ 1.40 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	<i>80 सामान्य</i>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(47)	03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	1,18.25	1,18.25	95.11 (-)23.14
(48)	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल			
	मूल	22,90.26	22,90.26	16,20.48 (-)6,69.78
(49)	05 एयर स्क्वाड्रन एन० सी० सी० की स्थापना			
	मूल	76.94	76.94	40.49 (-)36.45
	003 प्रशिक्षण			
(50)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	39,78.66	39,78.66	32,65.41 (-)7,13.25
(51)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरुष)			
	मूल	1,93.66	1,93.66	1,27.01 (-)66.65
	2203 तकनीकी शिक्षा			
	<i>00</i>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(52)	02 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्			
	मूल	1,92.55	1,92.55	1,35.89 (-)56.66
(53)	03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय			
	मूल	3,25.60		
	पूरक	93.97	3,44.57	2,65.35 (-)79.22
	पुनर्वि०	(-)75.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को ₹ 75.00 लाख की कमी वेतन, भत्ते तथा अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	105 बहु शिल्प (पॉलिटैक्रिक) विद्यालय				
(54)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	13,49.60	13,49.60	98.00	(-)12,51.60
(55)	03 सामान्य पॉलिटैक्रिक				
	मूल	1,29,78.17			
			1,29,93.17	99,32.14	(-)30,61.03
	पूरक	15.00			
	2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(56)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	3,27.90	3,27.90	17.04	(-)3,10.86
(57)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण				
	मूल	19,71.81	19,71.81	15,74.01	(-)3,97.80
(58)	05 युवा कल्याण परिषद् को अनुदान				
	मूल	61.00			
			75.27	55.03	(-)20.24
	पूरक	14.27			
(59)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता				
	मूल	35.00	35.00	18.43	(-)16.57
(60)	10 विभिन्न निर्वाचनों एवं कुम्भ मेला में तैनात पी.आर.डी. स्वयं सेवकों हेतु बजट व्यवस्था				
	मूल	30,76.00	30,76.00	4,97.27	(-)25,78.73
(61)	18 युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन				
	मूल	8,00.00	8,00.00	40.51	(-)7,59.49
(62)	19 युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण				
	मूल	60.00	60.00	51.05	(-)8.95

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(63)	20 पी० आर० डी० स्वयंसेवकों को अर्द्धसैनिकों का प्रशिक्षण मूल	25.00	25.00	17.11	(-)7.89
(64)	104 खेलकूद 05 क्रीडांगनों का विकास मूल	26.00	26.00	7.57	(-)18.43
(65)	07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार मूल	60.00	60.00	1.82	(-)58.18
(66)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मूल	1,50.00	1,50.00	59.22	(-)90.78
(67)	13 स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान मूल	5,65.00			
	पूरक	10.00	5,75.00	3,95.43	(-)1,79.57
(68)	21 अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता मूल	60.00	60.00	53.09	(-)6.91
(69)	24 सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता मूल	12.00	12.00	0.24	(-)11.76
(70)	30 पं० नैनसिंह सर्वेयर माउटेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र मूल	82.00			
	पूरक	10.00	92.00	8.11	(-)83.89
(71)	31 38 वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मूल	20,00.00			
	पुनर्वि०	(-)6,00.00	14,00.00	5,00.00	(-)9,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2021 को ₹ 6,00.00 लाख की कमी वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(72)	32 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज			
	मूल	89.60		
			1,22.20	67.45
	पूरक	32.60		(-)54.75
(73)	35 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना			
	मूल	80.00	80.00	20.94
				(-)59.06
2205 कला एवं संस्कृति				
00				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(74)	03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय			
	मूल	9,42.63		
			9,52.23	5,07.47
	पूरक	9.60		(-)4,44.76
(75)	05 धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान			
	मूल	84.70	84.70	5.77
				(-)78.93
101 ललित कला शिक्षा				
(76)	03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय			
	मूल	2,96.19	2,96.19	2,15.62
				(-)80.57
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन				
(77)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	20.25	20.25	0.06
				(-)20.19
(78)	03 स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान			
	मूल	55.00	55.00	10.00
				(-)45.00
(79)	04 स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान			
	मूल	22.46	22.46	14.65
				(-)7.81
(80)	08 रंगमंडल स्थापना			
	मूल	30.00	30.00	11.81
				(-)18.19

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(81)	09 वृद्ध कलाकारों लेखकों को मासिक पेंशन मूल	75.00	75.00	56.22	(-)18.78
(82)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन मूल	48.00	48.00	10.32	(-)37.68
(83)	23 महान विभूतियों की वर्षगाँठ का आयोजन मूल	10.00	10.00	0.34	(-)9.66
(84)	34 धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता मूल	8.00	8.00	2.50	(-)5.50
(85)	35 मेला समितियों को पारम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता मूल	1,20.00	1,20.00	20.50	(-)99.50
(86)	48 नेहरू हेरिटेज सेंटर का रख-रखाव/संचालन मूल	22.00	22.00	0.65	(-)21.35
(87)	49 आर्ट गैलरी का संचालन मूल	33.00	33.00	5.60	(-)27.40
	103 पुरातत्व विज्ञान				
(88)	02 पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन मूल	10.59	10.59	5.20	(-)5.39
(89)	03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल	2,45.59			
			2,46.17	1,55.74	(-)90.43
		0.58			
	104 अभिलेखागार				
(90)	03 राज्य अभिलेख मूल	2,05.83			
			2,07.95	1,30.71	(-)77.24
		2.12			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

105 सार्वजनिक पुस्तकालय			
(91) 03 केंद्रीय राज्य पुस्तकालय			
मूल	2,35.48		
		2,36.51	1,83.98
			(-)52.53
पुनर्वि०	1.03		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को ₹ 1.03 लाख की वृद्धि किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

107 संग्रहालय			
(92) 03 अधिष्ठान व्यय			
मूल	1,57.36		
		1,61.86	1,10.10
			(-)51.76
पूरक	4.50		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(1) 07 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन			
मूल	1,12.70		
		0.00	0.00
			0.00
पुनर्वि०	(-)1,12.70		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2021 को ₹ 1,12.70 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			
(2) 09 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जूनियर प्रभाग			
मूल	20.00		
		5.00	0.00
			(-)5.00
पुनर्वि०	(-)15.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2020 को ₹ 15.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए। वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	11 मध्यान भोजन योजना का सुदृढीकरण मूल 1,56.41	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,56.41		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2021 को ₹ 1,56.41 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।		
(4)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मूल 6,24.29	6,24.29	0.00 (-)6,24.29
	<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(5)	12 दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को अनुदान मूल 1,20.00	1,20.00	0.00 (-)1,20.00
(6)	14 स्व० श्री इन्द्रमणि बडोनी के जन्मोत्सव पर लोक संस्कृति दिवस का आयोजन मूल 9.50	9.50	0.00 (-)9.50
(7)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 18 जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
(8)	26 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल मूल 1,13.02	1,13.02	0.00 (-)1,13.02
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
	<i>03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</i>		
(9)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता 09 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना मूल 42.50	42.50	0.00 (-)42.50
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(10)	11 प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा केन्द्र उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को सहायता मूल	18.70	18.70	0.00	(-)18.70
(11)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 05 राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान मूल	2,16.00	2,16.00	0.00	(-)2,16.00
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(12)	13 विश्वविद्यालयों के कैम्पसों का आधुनिकरण, जैसे वाई फाई इत्यादि मूल	2,00.00	1,88.75	0.00	(-)1,88.75
	पुनर्वि०	(-)11.25			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2020 को ₹ 11.25 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(13)	18 मुख्यमंत्री नवाचार योजना मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(14)	19 एक भारत श्रेष्ठ भारत मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(15)	20 राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00
(16)	22 संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता मूल	0.00	20.00	0.00	(-)20.00
	पूरक	20.00			
(17)	23 शोध एवं विकास कार्य मूल	0.00	10.00	0.00	(-)10.00
	पूरक	10.00			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(18)	24 राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/प्राध्यापकों को प्रशिक्षण मूल 0.00 पूरक 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(19)	105 संकाय विकास कार्य 04 प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति मूल 32.00	32.00	0.00 (-)32.00
2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(20)	16 सीमा स्पर्श योजना मूल 6.00	6.00	0.00 (-)6.00
(21)	17 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र रखरखाव एवं प्रशिक्षण मूल 9.00	9.00	0.00 (-)9.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
104 खेल-कूद			
(22)	03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
(23)	11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रादेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था मूल 70.00	70.00	0.00 (-)70.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(24)	12 प्रादेशीय क्रीडा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीडा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान मूल 50.00	25.00	0.00 (-)25.00
पुनर्वि० (-)25.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2021 को ₹ 25.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25) 14 प्रतियोगिताओं का आयोजन मूल	15.00	15.00	0.00 (-)15.00
(26) 15 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन मूल	15.00	15.00	0.00 (-)15.00
(27) 22 प्रादेशिय क्रीडा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता मूल	17.60	17.60	0.00 (-)17.60
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(28) 36 निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00
2205 कला एवं संस्कृति			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(29) 04 कलाकार कल्याण कोष मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(30) 12 शहीद स्मारक मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(31) 19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का क्रय मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
(32) 25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना मूल	15.00	15.00	0.00 (-)15.00
वर्ष 2006-07 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(33) 32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मूल	15.00	15.00	0.00 (-)15.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(34)	33 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता मूल 15.00	15.00	0.00 (-)15.00
(35)	36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(36)	38 बट्टी-केदार उत्सव मूल 20.00 वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	20.00	0.00 (-)20.00
(37)	39 हरेला महोत्सव का आयोजन मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(38)	40 राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(39)	41 प्रदेश की अमूर्त संस्कृति विरासत, प्राचीन मंदिर व देवालयों तथा धार्मिक स्थलों, तीर्थों का रख-रखाव व जीर्णोद्धार मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(40)	42 चैतुला फण्ड/चैतुला उत्सव का आयोजन मूल 20.00 वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	20.00	0.00 (-)20.00
(41)	43 राज्योत्सव (राज्यस्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिताओं का आयोजन) मूल 50.00 वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	50.00	0.00 (-)50.00
(42)	44 हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव/संचालन मूल 60.00 वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	60.00	0.00 (-)60.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(43)	45 विशिष्ट शैली/वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,20,00.00			
	पूरक	8,67.56	1,37,27.08	1,37,27.08	0.00
	पुनर्वि०	8,59.52			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को ₹ 2,50.24 लाख और 30 मार्च 2021 को ₹ 6,09.28 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

2203 तकनीकी शिक्षा

00

104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता

(2)	03 के. एल. पालीटेक्निक, रुड़की				
	मूल	3,55.00			
			4,30.00	4,30.00	0.00
	पुनर्वि०	75.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को ₹ 75.00 लाख की वृद्धि वेतन, भत्ता तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं

00

104 खेल-कूद

(3) 28 सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट

मूल

0.01

6,00.01

6,00.00

(-)0.01

पुनर्वि०

6,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2021 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 71,68.20 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 71,68.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 30,25.10 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	6,08,92.44	2,38,12.18	3,70,80.26
2016-17	5,59,05.85	4,06,32.79	1,52,73.06
2017-18	2,77,14.26	1,65,17.37	1,11,96.89
2018-19	2,97,93.39	1,42,79.43	1,55,13.96
2019-20	4,47,23.43	2,57,91.14	1,89,32.29

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा

(1) 03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण

मूल

10,00.00

10,00.00

4,59.38

(-)5,40.62

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
202 माध्यमिक शिक्षा			
(2) 16 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण			
मूल	4,00.00		
		91.27	91.28
पुनर्वि०	(-)3,08.73		(+)0.01
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2020 को ₹ 3,08.73 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए।			
(3) 18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण			
मूल	1,00.00		
		16.76	16.76
पुनर्वि०	(-)83.24		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को ₹ 83.24 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए।			
(4) 19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	48.45
			(-)51.55
(5) 20 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण/निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	8.40
			(-)91.60
(6) 29 राजीव गाँधी अभिनव आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण			
मूल	4,00.00		
		1,28.55	1,28.55
पुनर्वि०	(-)2,71.45		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को ₹ 2,71.45 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए।			
(7) 30 माडल स्कूलों में भवन निर्माण			
मूल	10,00.00		
		5,55.90	4,14.32
पुनर्वि०	(-)4,44.10		(-)1,41.58
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2021 को ₹ 4,44.10 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	60,00.00		
		45,00.00	(-)26,91.35
पुनर्वि०	(-)15,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए			
(9) 17 मुक्त विश्वविद्यालय			
मूल	4,00.00	4,00.00	(-)2,44.29
03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
102 खेलकूद स्टेडियम			
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	50,00.00	50,00.00	(-)10,00.00
(11) 05 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)			
मूल	10,00.00		
		8,59.43	(-)1,48.58
पुनर्वि०	(-)1,40.57		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2020 को ₹ 1,40.57 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए			
(12) 16 आउटडोर फील्ड, इंडोर हाल व मिनी स्टेडियम का निर्माण			
मूल	4,00.00		
		2,90.35	0.00
पुनर्वि०	(-)1,09.65		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2021 को ₹ 1,22.97 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 13.32 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
04 कला और संस्कृति			
106 संग्रहालय			
(13) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,00.00	5,00.00	(-)4,38.96

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(14)	04 महान विभूतियों की मूर्तियाँ/शहीद स्मारक का निर्माण मूल	2,00.00	2,00.00	1,29.40	(-)70.60
(15)	06 प्रेक्षा गृह का निर्माण मूल	6,00.00	6,00.00	3,09.76	(-)2,90.24
	800 अन्य व्यय				
(16)	03 सांस्कृतिक परिषद्/कला केंद्र/विद्यालय आडिटोरियम आदि का निर्माण मूल	3,00.00	3,00.00	11.85	(-)2,88.15

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1)	31 सैनिक स्कूल जखोली का निर्माण मूल	50.00			
			0.00	0.00	0.00

पुनर्वि० (-)50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को ₹ 50.00 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए।

(2)	32 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरीखाल पौड़ी का भवन निर्माण मूल	3,50.00			
			54.74	0.00	(-)54.74
	पुनर्वि०	(-)2,95.26			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को ₹ 2,95.26 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 14 कुमाऊँ विश्वविद्यालय मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
-----	---	---------	---------	------	------------

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(4)	18 एफीलेटिंग विश्वविद्यालय			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 50.00 लाख की कमी पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए | वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(5)	19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 50.00 लाख की कमी पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए | वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(6)	23 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय			
	मूल	5,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,00.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख की कमी पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए | वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

205 भाषा विकास

(7)	08 राजकीय संस्कृत आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

600 सामान्य

(8)	02 एन.सी.सी. प्रशिक्षण एकेडमी का निर्माण			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
				(-)5,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
	02 तकनीकी शिक्षा				
	104 बहुशिल्प				
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	2,82.54	2,82.54	0.00	(-)2,82.54
(10)	16 पालीटेक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण				
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान				
(11)	05 इंजीनियरिंग कालेज घुड़दौड़ी				
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
(12)	10 इंजीनियरिंग कालेज टनकपुर				
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(13)	11 इंजीनियरिंग कालेज उत्तरकाशी				
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(14)	12 सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़				
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(15)	13 इंजीनियरिंग कॉलेज सल्ट (अल्मोड़ा) का भवन निर्माण				
	मूल	1,00.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

03 खेलकूद तथा युवा सेवा

102 खेलकूद स्टेडियम

(16) 22 त्रेपन सिंह नेगी, राज्य स्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना

मूल 1,00.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)1,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2021 को ₹ 86.68 लाख और 22 मार्च 2021 को ₹ 13.32 लाख की कमी वृहत निर्माण में हुई बचत के कारण किये गए। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

04 कला तथा संस्कृति

106 संग्रहालय

(17) 03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी का निर्माण

मूल 5,00.00

5,00.00 0.00 (-)5,00.00

(18) 08 संस्कृति ग्राम

मूल 1,00.00

1,00.00 0.00 (-)1,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 42,00.00

पूरक 30,21.55 82,30.23 1,00,27.38 (+)17,97.15

पुनर्वि० 10,08.68

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2021 को ₹ 2,95.26 लाख और 27 मार्च 2021 को ₹ 7,13.42 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	98 नाबार्ड पोषित मूल 25,00.00	29,44.10	27,19.20	(-)2,24.90
	पुनर्वि० 4,44.10			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2021 को ₹ 4,44.10 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 03 कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना मूल 18,00.00	33,00.00	33,00.00	0.00
	पुनर्वि० 15,00.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(4)	15 दून विश्वविद्यालय मूल 5,00.00	11,00.00	11,00.00	0.00
	पुनर्वि० 6,00.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 600.00 लाख की वृद्धि पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	02 तकनीकी शिक्षा			
(5)	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 06 पन्त कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पन्तनगर मूल 0.01	1,00.01	1,00.00	(-)0.01
	पुनर्वि० 1,00.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
03 खेल कूद तथा युवा सेवा			
102 खेलकूद स्टेडिया			
(6)	15 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम		
	मूल	9,00.00	
		11,09.65	11,09.65
	पुनर्वि०	2,09.65	0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2021 को ₹ 86.68 लाख 19 फरवरी 2021 को ₹ 1,22.97 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	18 विशेष आयोजनागत सहायता		
	मूल	0.01	
		1,40.58	1,40.57
	पुनर्वि०	1,40.57	(-)0.01
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2020 को ₹ 1,40.57 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (01) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	22,71,58,89			
		23,83,41,58	20,99,04,32	(-)2,84,37,26
पूरक	1,11,82,69			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	2,05,43,42			
		3,05,43,42	1,72,94,21	(-)1,32,49,21
पूरक	1,00,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,84,37.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 2,84,37.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 1,11,82.69 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2015-16	17,77,51.08	12,63,49.55	5,14,01.53
2016-17	17,75,93.95	13,23,63.27	4,52,30.68
2017-18	19,51,33.60	14,41,15.60	5,10,18.00
2018-19	22,22,90.42	17,26,45.40	4,96,45.02
2019-20	23,02,24.31	17,82,43.01	5,19,81.30

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 मुख्यालय अधिष्ठान

मूल	22,52.96			
पूरक	4,55.00	27,17.96	22,12.22	(-)5,05.74
पुनर्वि०	10.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन एवं प्रकाशन पर व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

110 अस्पताल तथा औषधालय

(2) 05 क्षय रोग चिकित्सालयों का निर्माण

मूल	28,43.15			
पूरक	10.00	25,23.15	22,95.62	(-)2,27.53
पुनर्वि०	(-)3,30.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 3,50.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किये गए | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(3) 10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना

मूल	1,11.15	1,11.15	52.65	(-)58.50
-----	---------	---------	-------	----------

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	11 ब्लड बैंक की स्थापना/अधिष्ठान				
	मूल	2,73.55	2,73.55	2,31.30	(-)42.25
(5)	14 विधान सभा में राजकीय एलोपैथी औषधालय की स्थापना				
	मूल	98.16	98.16	83.33	(-)14.83
(6)	16 सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में राजकीय एलोपैथिक औषधालय की स्थापना/अधिष्ठान				
	मूल	1,24.40			
			1,29.40	1,09.02	(-)20.38
	पूरक	5.00			
(7)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों का अधिष्ठान				
	मूल	25,84.17			
	पूरक	15.00	25,74.17	22,77.78	(-)2,96.39
	पुनर्वि०	(-)25.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 40.00 लाख की कमी कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय में हुई बचत के कारण की गई				
(8)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था				
	मूल	40.84	40.84	19.53	(-)21.31
(9)	23 गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना				
	मूल	5,81.51			
			61.51	50.45	(-)11.06
	पुनर्वि०	(-)5,20.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2021 को ₹ 5,20.00 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए				
(10)	24 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अधिष्ठान				
	मूल	3,51.91			
			3,83.83	2,03.92	(-)1,79.91
	पूरक	31.92			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें			
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,84.44		
			1,85.44	
	पूरक	1.00		
			1,29.84	(-)55.60
(12)	03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम (राज्य पोषित)			
	मूल	9,24.09	9,24.09	
			7,82.62	(-)1,41.47
(13)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना			
	मूल	2,53.07	2,53.07	
			1,91.75	(-)61.32
	800 अन्य व्यय			
(14)	06 विभिन्न मेलों/ तीर्थ यात्रा मार्गों/ कैलाश मानसरोवर यात्रा एवं स्वैच्छिक संस्थाओं हेतु बजट व्यवस्था			
	मूल	2,11.51		
			1,96.51	
	पुनर्वि०	(-)15.00		
			44.66	(-)1,51.85
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2021 को ₹ 15.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
	101 आयुर्वेद			
(15)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	10,00.00		
			25,00.00	
	पूरक	15,00.00		
			15,39.05	(-)9,60.95
(16)	03 निदेशन तथा प्रशासन			
	मूल	17,27.78	17,27.78	
			13,90.53	(-)3,37.25
(17)	04 विभागीय औषधि विनिर्माण			
	मूल	4,44.51	4,44.51	
			3,13.58	(-)1,30.93

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(18)	05 अस्पताल का रुजालय मूल	70.00	70.00	4.76 (-)65.24
(19)	06 गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान (आयुर्वेद) मूल	50.01	50.01	25.01 (-)25.00
(20)	08 आयुर्वेदिक मूल	2,03,53.60	2,03,63.60	1,67,39.01 (-)36,24.59
	पूरक	10.00		
(21)	102 होम्योपैथी 03 निदेशन तथा प्रशासन मूल	2,06.81	2,12.81	1,56.49 (-)56.32
	पूरक	6.00		
(22)	04 अस्पताल और औषधालय मूल	10,64.30		
	पूरक	20.00	11,00.30	8,96.48 (-)2,03.82
	पुनर्वि०	16.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को ₹ 16.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा संचालन, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद में हुई बचत के कारण किये गए।			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
(23)	03 सुदूर क्षेत्र के उप केन्द्रों में फार्मासिस्ट का अधिष्ठान मूल	56,80.93	49,55.93	47,41.36 (-)2,14.57
	पुनर्वि०	(-)7,25.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 75.00 लाख तथा 31 मार्च 2021 को ₹ 6,50.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(24)	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान			
	मूल	1,04,41.02		
			94,36.02	87,58.20
	पुनर्वि०	(-10,05.00)		(-6,77.82)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 8,00.00 लाख तथा 30 मार्च 2021 को ₹ 2,05.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा औषधि तथा रसायन में हुई बचत के कारण किये गए			
800	अन्य व्यय			
(25)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,07.35	1,07.35	81.84
				(-25.51)
	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102	होम्योपैथी			
(26)	03 अस्पताल और औषधालय			
	मूल	23,40.95		
			23,24.95	20,74.21
	पुनर्वि०	(-16.00)		(-2,50.74)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को ₹ 16.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण किये गए			
	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान			
105	पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(27)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,13.18	7,13.18	2,90.73
				(-4,22.45)
(28)	03 शिक्षा			
	मूल	50.03	50.03	2.02
				(-48.01)
(29)	04 मेडिकल कालेज			
	मूल	3,11,77.07		
			3,44,43.02	2,58,54.59
	पूरक	32,65.95		(-85,88.43)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(30)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा मूल	9,65.45	9,65.45	6,59.54 (-)3,05.91
(31)	09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय मूल	1,65.80	1,65.80	1,05.11 (-)60.69
	06 लोक स्वास्थ्य			
	003 प्रशिक्षण			
(32)	03 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठान मूल	3,76.31	3,76.31	2,96.89 (-)79.42
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(33)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,58.14	1,58.14	56.23 (-)1,01.91
(34)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण का अधिष्ठान मूल	54,40.93		
	पूरक	10.00	44,00.93	39,74.03 (-)4,26.90
	पुनर्वि०	(-)10,50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2021 को ₹ 10,50.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
(35)	06 कुष्ठ चिकित्सालयों का अधिष्ठान मूल	8,74.56		
	पूरक	4.00	8,88.56	7,36.34 (-)1,52.22
	पुनर्वि०	10.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(36)	08 राज्य एड्स एवं रक्त संचरण परिषद् हेतु (राज्यांश) मूल	40.01	40.01	30.00 (-)10.01

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(37)	12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना/ अधिष्ठान			
	मूल	85.61		
			1,06.11	(-)55.93
	पुनर्वि०	20.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 नवम्बर 2020 को ₹ 20.50 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(38)	13 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उपचार			
	मूल	2,00.00	2,00.00	(-)1,76.39
	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण			
(39)	04 उत्तराखण्ड खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन अधिष्ठान			
	मूल	3,46,52.39		
	पूरक	4.00	10,33.52	(-)2,85.94
	पुनर्वि०	(-)3,36,22.87		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 2020 को ₹ 3,36,02.37 लाख तथा 05 नवम्बर 2020 को ₹ 20.50 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए			
	800 अन्य व्यय			
(40)	07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	(-)24.40
	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(41)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	8,67.70		
			8,92.70	(-)3,23.45
	पुनर्वि०	25.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
	003 प्रशिक्षण			
(42)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,51.43	3,51.43	(-)1,22.97

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
(43)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,22,31.00		
	पूरक	10.00	1,22,16.00	(-)27,45.45
	पुनर्वि०	(-)25.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 25.00 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण किये गए।			

102	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			
(44)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,22.09	5,22.09	(-)1,90.95

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी

200 अन्य स्वास्थ्य सेवाएं

(1)	08 जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम का सुदृढीकरण			
	मूल	15.01	15.01	(-)15.01
	वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां

101 आयुर्वेद

(2)	12 उत्तराखण्ड आयुष नीति के अंतर्गत विनिवेश प्रोत्साहन			
	मूल	3,00.00	3,00.00	(-)3,00.00

05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 एलोपैथी

(3)	10 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय			
	मूल	5,00.00	5,00.00	(-)5,00.00

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

06 लोक स्वास्थ्य

104 औषधि नियंत्रण

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	9,00.13	9,00.13	0.00
				(-9,00.13)

800 अन्य व्यय

(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	15,01.71		
			1.71	0.00
				(-1.71)

पुनर्वि० (-)15,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु यू-हेल्थ कार्ड योजना का प्रबन्धन			
	मूल	0.01		
			5,12.01	4,76.45
				(-35.56)

पुनर्वि० 5,12.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 नवम्बर 2020 को ₹ 5,12.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

110 अस्पताल तथा औषधालय

(2)	03 एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों का अधिष्ठान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.26	3,06,22.63	2,81,37.68
	पुनर्वि०	3,06,22.37		(-)24,84.95

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 2020 को ₹ 3,36,02.37 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 27,80.00 लाख तथा 30 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा औषधि एवं रसायन में हुई बचत के कारण किये गए।

(3) 15 चिकित्सा प्रबंधन समिति के अधीन क्रियाशील चिकित्सालयों हेतु बजट व्यवस्था

	मूल	20,00.00		
	पूरक	5,00.00	35,00.00	34,97.00
	पुनर्वि०	10,00.00		(-)3.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को ₹ 2,00.00 लाख तथा 30 मार्च 2021 को ₹ 8,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी

110 अस्पताल तथा औषधालय

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,05,50.00		
	पूरक	4,00.00	3,84,80.00	3,82,89.27
	पुनर्वि०	75,30.00		(-)1,90.73

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 75,30.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 1,32,49.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 1,32,49.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 1,00,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	1,71,76.30	1,37,96.66	33,79.64
2016-17	1,48,25.17	1,15,97.02	32,28.15
2017-18	1,46,55.03	63,94.01	82,61.02
2018-19	2,29,80.07	1,87,40.30	42,39.77
2019-20	1,88,21.65	97,59.50	90,62.15

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1) 17 अनावासीय भवनों में वृहत स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण

मूल	6,00.00			
		4,92.81	4,79.43	(-)13.38
पुनर्वि०	(-)1,07.19			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2021 को ₹ 1,07.19 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(2) 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण

मूल	5,00.00	5,00.00	3,15.41	(-)1,84.59
-----	---------	---------	---------	------------

03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 एलोपैथी

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	61,92.91			
		1,51,92.91	69,03.49	(-)82,89.42
पूरक	90,00.00			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना मूल	2,00.00	2,00.00	78.42	(-)1,21.58
(5)	08 दून मेडिकल कालेज की स्थापना (एस.पी.ए.) मूल	30,00.00	30,00.00	24,50.15	(-)5,49.85
(6)	09 राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना मूल	2,00.00	2,00.00	1,03.79	(-)96.21
(7)	12 अलमोड़ा में नर्सिंग कालेज की स्थापना (एस.पी.ए.) मूल	35,00.00			
	पुनर्वि०	(-)11,67.32	23,32.68	1,89.00	(-)21,43.68
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 मार्च 2021 को ₹ 11,67.32 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1)	04 ब्लड बैंक आई.सी.यू इत्यादि का निर्माण कार्य मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
(2)	31 होम्योपैथी में निर्माण कार्य मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(3)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	3,00.01	3,00.01	0.00	(-)3,00.01
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(4) 03 राज्य सेक्टर			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
101 आयुर्वेद			
(5) 04 आयुर्वेद विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण			
मूल	56.74	56.74	0.00 (-)56.74
(6) 05 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
103 यूनानी			
(7) 02 पिरान कलियर में यूनानी कालेज की स्थापना			
मूल	4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
105 एलोपैथी			
(8) 10 नर्सिंग कालेजों की स्थापना			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9) 11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना			
मूल	2,13.70	2,13.70	0.00 (-)2,13.70
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1) 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था

मूल 3,00.00

4,07.19

4,07.19

0.00

पुनर्वि० 1,07.19

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2021 को ₹ 1,07.19 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 एलोपैथी

(2) 13 नर्सिंग कालेजों की स्थापना (चम्पावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी)

मूल 0.01

11,67.33

11,67.32

(-)0.01

पुनर्वि० 11,67.32

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 मार्च 2021 को ₹ 11,67.32 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2215	जल पूर्ति तथा सफाई
2216	आवास
2217	शहरी विकास

दत्तमत-

मूल	16,59,65,31			
		17,43,20,61	10,12,60,98	(-)7,30,59,63
पूरक	83,55,30			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021) ...				

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 24,01 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	13,00,70,02			
		17,33,80,60	11,00,40,43	(-)6,33,40,17
पूरक	4,33,10,58			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021) ...				

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 7,30,59.63 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ii) ₹ 7,30,59.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 83,55.30 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	9,30,33.01	6,30,33.75	2,99,99.26
2016-17	11,61,09.69	7,44,80.31	4,16,29.38
2017-18	7,55,41.21	5,84,16.33	1,71,24.88
2018-19	7,05,07.26	5,61,53.00	1,43,54.26
2019-20	6,81,49.01	5,20,75.06	1,60,73.95

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

	<i>01 जल पूर्ति</i>			
	001 निदेशन और प्रशासन			
(1)	04 रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान			
	मूल	7,00.00	7,00.00	5,13.83 (-)1,86.17
	005 सर्वेक्षण तथा जाँच-पड़ताल			
(2)	02 डी० पी० आर० निर्माण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,17.59 (-)82.41
	052 मशीनरी तथा उपस्कर			
(3)	02 नगरीय क्षेत्रों में वाटर मीटर			
	मूल	4,00.00	4,00.00	1,16.95 (-)2,83.05
	101 शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,30.90	1,30.90	22.18 (-)1,08.72
	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,65.00		
			29,85.05	1,04.60 (-)28,80.45
	पूरक	23,20.05		

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	04 जल स्रोतों का रख-रखाव तथा पुनर्जीवन मूल	1,10.00	1,10.00	66.56 (-)43.44
(7)	07 केन्द्रीय पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान मूल	30,00.00	30,00.00	15,09.74 (-)14,90.26
(8)	97 बाह्य/ विश्व बैंक सहायित परियोजना मूल	12,00.00	12,00.00	6,00.00 (-)6,00.00
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(9)	04 जल संस्थान के कार्मिकों के को सेवानिवृत्तिक लाभ के भुगतान हेतु अनुदान मूल	6,00.00	6,00.00	5,00.00 (-)1,00.00
	02 मल-जल तथा सफाई			
	105 सफाई सेवाएं			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10,00.00	10,00.00	1,43.39 (-)8,56.61
	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन और प्रशासन			
(11)	06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान मूल	6,55.51	6,55.51	4,84.14 (-)1,71.37
(12)	09 मेट्रो रेल कार्मिकों के वेतन का भुगतान व अन्य व्यय मूल	13,00.00	13,00.00	3,50.00 (-)9,50.00
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,32,80.01	1,42,80.01	1,09,59.84 (-)33,20.17
	पूरक	10,00.00		
(14)	03 नगरों का समेकित विकास मूल	18,80.00	18,88.60	7,26.56 (-)11,62.04
	पूरक	8.60		

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	800 अन्य व्यय				
(15)	12 मेट्रो ट्रेन का सर्वेक्षण/डी.पी.आर मूल	7,00.00	7,00.00	2,40.00	(-)4,60.00
	04 गंदी बस्तियों का विकास				
	001 निदेशन और प्रशासन				
(16)	03 शहरी विकास निदेशालय अधिष्ठान मूल	4,86.39	4,86.39	3,55.28	(-)1,31.11
	80 सामान्य				
	001 निदेशन और प्रशासन				
(17)	02 हरिद्वार कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान मूल	10,05,36.65	10,07,45.70	4,40,69.13	(-)5,66,76.57
	पूरक	2,09.05			
(18)	03 नगर पंचायतों का चुनाव मूल	4,59.38	4,59.38	3,18.05	(-)1,41.33
(19)	04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग मूल	84.41	84.41	58.64	(-)25.77
(20)	05 शहरी भूमि सीमा रोपण मूल	21.91	21.91	10.19	(-)11.72
(21)	06 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् मूल	3,90.44	3,90.44	76.43	(-)3,14.01
(22)	07 नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद् मूल	43.50	61.10	36.50	(-)24.60
	पूरक	17.60			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जल पूर्ति

001 निदेशन और प्रशासन

(1)	03 कंसल्टेंसी रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान			
	मूल	55.00	55.00	0.00
				(-)55.00

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

101 शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम

(2)	97 बाह्य/विश्वबैंक सहायतित			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
				(-)5,00.00

102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

(3)	10 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान			
	मूल	1,10.00	1,10.00	0.00
				(-)1,10.00

(4)	14 चाल खाल निर्माण, विकास एवं पुनर्जीवीकरण पर प्रोत्साहन राशी एवं जल संरक्षण पर वाटर बोनस हेतु अनुदान			
	मूल	11.00	11.00	0.00
				(-)11.00

02 मल-जल तथा सफाई

106 वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण

(5)	05 गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना			
	मूल	11.00	11.00	0.00
				(-)11.00

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

001 निदेशन और प्रशासन

(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,64.00	1,64.00	0.00
				(-)1,64.00

051 निर्माण

(7)	02 ई० डब्लू० एस० आवासों हेतु अनुदान			
	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00
				(-)15,00.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(8) 06 सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति कूड़ा बीनने वालो, सपेरा आदि हेतु अनुदान			
मूल	10.00	10.00	0.00
वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)10.00
(9) 10 आई० सी० सी० सी० केन्द्र का रख-रखाव			
मूल	10.00	10.00	0.00
			(-)10.00
80 सामान्य			
800 अन्य व्यय			
(10) 10 काँवड़ मेले के आयोजन हेतु अनुदान			
मूल	4,00.00	4,00.00	0.00
			(-)4,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 6,33,40.17 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 6,33,40.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 4,33,10.58 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	5,36,18.42	3,79,10.87	1,57,07.55
2016-17	4,84,31.85	3,09,87.25	1,74,44.60
2017-18	8,30,99.99	6,37,50.51	1,93,49.48
2018-19	11,15,16.99	5,97,86.24	5,17,30.75
2019-20	14,32,14.01	10,15,40.98	4,16,73.03

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(ix)		बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
		<i>01 जल पूर्ति</i>			
	102	ग्रामीण जल पूर्ति			
(1)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
		मूल	1,05,50.00		
				2,48,10.58	
		पूरक	1,42,60.58	2,04,45.79	(-43,64.79)
(2)	03	ग्रामीण पेयजल सेक्टर			
		मूल	12,00.00	12,00.00	5,14.00
					(-6,86.00)
(3)	97	बाह्य सहायित परियोजना			
		मूल	1,83,00.00	1,83,00.00	85,00.00
					(-98,00.00)
(4)	98	नाबार्ड वित्त पोषित			
		मूल	1,90,00.00	1,90,00.00	1,18,67.55
					(-71,32.45)
		<i>02 मल-जल तथा सफाई</i>			
	106	मल-जल सेवाएं			
(5)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
		मूल	55,00.00	55,00.00	34,41.32
					(-20,58.68)
	4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
		<i>80 सामान्य</i>			
	800	अन्य व्यय			
(6)	02	अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
		मूल	15,00.00	15,00.00	9,73.65
					(-5,26.35)
	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
		<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
	051	निर्माण			
(7)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
		मूल	2,32,00.00		
				2,97,50.00	
		पूरक	65,50.00	2,52,18.62	(-45,31.38)

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	04 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	32,00.00	32,00.00	21,61.08 (-)10,38.92
	800 अन्य व्यय			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,00,00.00		
			4,00,00.00	2,01,15.26 (-)1,98,84.74
	पूरक	2,00,00.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

01 जल पूर्ति

101 शहरी जल पूर्ति

(1) 04 अल्मोड़ा-सरयू-सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना

मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(2) 97 बाह्य सहायतित योजनाएँ

मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
-----	----------	----------	------	-------------

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

01 राज्य की राजधानी का विकास

051 निर्माण

(3) 02 मेट्रो रेल का निर्माण

मूल	1,00,00.01	1,00,00.01	0.00	(-)1,00,00.01
-----	------------	------------	------	---------------

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
051 निर्माण			
(4)	03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-)10.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(5)	05 स्मार्ट सिटी योजना		
	मूल	0.00	
		10,00.00	0.00
			(-)10,00.00
	पूरक	10,00.00	
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
(6)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ		
	मूल	10,00.00	10,00.00
			0.00
			(-)10,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			

(xi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

051 निर्माण

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ

मूल 90,00.00 90,00.00 94,00.00 (+)4,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	14 सूचना कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:				
2220	सूचना तथा प्रचार			
दत्तमत-				
मूल	1,00,29,42			
		1,31,29,42	1,06,43,21	(-)24,86,21
पूरक	31,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...
पूँजीगत:				
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत-				
मूल	1,00,00			
		1,00,00	...	(-)1,00,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 24,86.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 24,86.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 31,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2015-16	44,93.10	42,74.32	2,18.78
2016-17	1,02,71.96	97,95.75	4,76.21
2017-18	43,46.25	40,15.99	3,30.26
2018-19	1,27,74.27	1,18,82.51	8,91.76
2019-20	76,04.13	55,99.57	20,04.56

अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
2220 सूचना तथा प्रचार			
01 फिल्म			
105 फिल्मों का निर्माण			
(1)	06 फिल्म परिषद् की स्थापना		
	मूल	6,00.00	
		1,50.00	10.56
	पुनर्वि०	(-4,50.00)	(-1,39.44)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 4,50.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
60 अन्य			
101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार			
(2)	05 अधिष्ठान		
	मूल	65,59.31	
	पूरक	24,00.00	84,69.78
	पुनर्वि०	(-4,89.53)	76,75.10
			(-7,94.68)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 4,89.53 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			
102 सूचना केन्द्र			
(3)	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान		
	मूल	71.72	71.72
			50.73
			(-20.99)
(4)	04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर		
	मूल	26.28	26.28
			18.92
			(-7.36)
103 प्रेस सूचना सेवाएं			
(5)	04 पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना		
	मूल	50.00	50.00
			5.61
			(-44.39)

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	कुल अनुदान				
(6)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान मूल	4,25.58	4,30.16	3,12.59	(-1,17.57)
	पुनर्वि०	4.58			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 4.58 लाख की वृद्धि किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(7)	800 अन्य व्यय 03 स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस संबन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय मूल	1,00.00	8,00.00	4,58.96	(-3,41.04)
	पूरक	7,00.00			
(8)	06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मूल	60.00	60.00	27.67	(-32.33)
(9)	07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन मूल	60.00	60.00	41.29	(-18.71)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2220 सूचना तथा प्रचार

01 फिल्म

105 फिल्मों का निर्माण

03 अधिष्ठान

मूल

6,20.61

10,05.61

6,51.06

(-3,54.55)

पुनर्वि०

3,85.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 3,85.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,54.55 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-------------------	------------	------------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 मीडिया से सम्बंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-),00.00
-----	---------	---------	------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		

दत्तमत-

मूल	18,90,59,31			
		19,72,95,72	14,94,45,28	(-)4,78,50,44
पूरक	82,36,41			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 51,03,88 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूँजीगत:

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			

पूँजीगत-

मूल	1,23,50,16			
		1,51,98,16	72,75,05	(-)79,23,11
पूरक	28,48,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,78,50.44 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 4,78,50.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 82,36.41 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	14,89,12.59	10,92,23.98	3,96,88.61
2016-17	16,63,20.59	11,58,54.56	5,04,66.03
2017-18	14,96,97.05	11,72,14.13	3,24,82.92
2018-19	17,09,43.24	13,41,82.98	3,67,60.26
2019-20	18,59,21.41	14,44,05.00	4,15,16.41

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

001 निदेशन और प्रशासन

- (1) 03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान

मूल	4,58.30	4,58.30	3,51.37	(-),1,06.93
-----	---------	---------	---------	-------------
- (2) 05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान

मूल	15,35.62	15,35.62	11,04.76	(-),4,30.86
-----	----------	----------	----------	-------------
- (3) 06 आई.टी.सैल

मूल	1,11.50	1,11.50	77.57	(-),33.93
-----	---------	---------	-------	-----------

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 निदेशन और प्रशासन

- (4) 04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

मूल	1,46.78	1,46.78	32.45	(-),1,14.33
-----	---------	---------	-------	-------------

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	05 अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद् का गठन मूल 34.50	34.50	14.44 (-)20.06
	800 अन्य व्यय		
(6)	07 गोरखा कल्याण परिषद् मूल 31.75	31.75	16.08 (-)15.67
	04 अल्पसंख्यकों का कल्याण		
	001 निदेशन और प्रशासन		
(7)	03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान मूल 82.38	82.38	42.63 (-)39.75
(8)	04 अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान मूल 1,03.59	1,28.59	98.30 (-)30.29
	पूरक 25.00		
(9)	05 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय मूल 1,24.25	1,49.07	1,04.86 (-)44.21
	पुनर्वि० 24.82		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 नवम्बर 2020 को ₹ 24.82 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(10)	06 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान मूल 1,40.45	1,40.45	1,23.18 (-)17.27
	277 शिक्षा		
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 38.03	38.03	6.40 (-)31.63
(12)	03 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना मूल 10.00	10.00	0.20 (-)9.80

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	06 मदरसा अरबी फारसी बोर्ड			
	मूल	1,50.05		
	पूरक	7.00	1,32.23	86.20 (-)46.03
	पुनर्वि०	(-)24.82		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 नवम्बर 2020 को ₹ 24.82 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
	800 अन्य व्यय			
(14)	03 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय			
	मूल	8.00		
			16.00	10.36 (-)5.64
	पूरक	8.00		
(15)	09 वक्फ ट्रिब्यूनल हेतु सहायता			
	मूल	56.03	56.03	46.32 (-)9.71
(16)	10 अरेबिया मदरसों को अनुदान			
	मूल	1,00.00	1,00.00	74.57 (-)25.43
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	<i>02 समाज कल्याण</i>			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(17)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,00.02	3,00.02	1,49.15 (-)1,50.87
(18)	04 विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	1,34.81	1,34.81	91.81 (-)43.00
(19)	05 दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार			
	मूल	11.00		
			5.50	5.34 (-)0.16
	पुनर्वि०	(-)5.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 5.50 लाख की कमी यात्रा भत्ता तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(20)	07 दिव्यांग युवकों/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन मूल	50.00	50.00	16.00	(-)34.00
(21)	09 दिव्यांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन मूल	40.00	40.00	1.42	(-)38.58
(22)	11 दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वन हेतु कार्यक्रम मूल	44.58	44.58	22.72	(-)21.86
(23)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता मूल	50.00	50.00	22.44	(-)27.56
(24)	102 बाल कल्याण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	6,04,54.84	6,06,74.84	3,37,15.09	(-)2,69,59.75
	पूरक	2,20.00			
(25)	03 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय मूल	90,00.00	95,02.14	80,48.12	(-)14,54.02
	पूरक	5,02.14			
(26)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल	4,43.49	4,39.89	2,60.40	(-)1,79.49
	पुनर्वि०	(-)3.60			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 3.60 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(27)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना मूल 65.42 पुनर्वि० (-)1.50 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 1.50 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किये गए।	63.92	30.39 (-)33.53
(28)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें मूल 1,91.95 पूरक 15.25	2,07.20	1,15.50 (-)91.70
(29)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल 9,41.10 पुनर्वि० (-)3.60 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 3.60 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किये गए।	9,37.50	7,18.40 (-)2,19.10
(30)	15 निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था मूल 18,61.22 पूरक 50.00	19,11.22	13,87.91 (-)5,23.31
(31)	16 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (100% रा० यो०) मूल 25,00.00	25,00.00	5,97.64 (-)19,02.36
(32)	18 मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना मूल 13,00.00	13,00.00	2,45.74 (-)10,54.26
(33)	103 महिला कल्याण 10 राज्य महिला आयोग की स्थापना मूल 1,31.40	1,31.40	90.88 (-)40.52

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(34)	13 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण मूल	90.00	90.00	37.44	(-)52.56
(35)	14 मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन मूल	1,74.75	1,87.06	1,50.77	(-)36.29
	पुनर्वि०	12.31			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 3.60 लाख तथा 25 मार्च 2021 को ₹ 8.71 लाख की वृद्धि भोजन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(36)	16 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता मूल	10.00	10.00	4.72	(-)5.28
(37)	18 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टाफ की व्यवस्था मूल	50.00	50.00	25.20	(-)24.80
(38)	19 परिवीक्षा सेवा मुख्यालय मूल	1,14.62	1,11.01	70.82	(-)40.19
	पुनर्वि०	(-)3.61			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 3.61 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण किये गए।				
(39)	104 वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण 03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह मूल	1,65.51	1,65.51	36.06	(-)1,29.45
(40)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण मूल	92.84	92.84	57.98	(-)34.86
(41)	107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता 06 अनाथों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता मूल	16.00	16.00	7.69	(-)8.31

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(42)	07 मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति/महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
	मूल	55.00	55.00	
			42.39	
			(-)12.61	
	200 अन्य कार्यक्रम			
(43)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,00.00	6,00.00	
			2,20.25	
			(-)3,79.75	
(44)	04 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान			
	मूल	7,50.00	7,50.00	
			2,96.50	
			(-)4,53.50	
(45)	05 अंतरजातीय/अन्तर धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन			
	मूल	25.00	25.00	
			17.50	
			(-)7.50	
(46)	07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार			
	मूल	30.00	30.00	
			9.49	
			(-)20.51	
(47)	09 समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति			
	मूल	43.45		
			44.46	
			36.96	
			(-)7.50	
	पुनर्वि०	1.01		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2021 को ₹ 1.01 लाख की वृद्धि मानदेय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(48)	01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
	मूल	62,06.58	62,06.58	
			26,96.67	
			(-)35,09.91	
	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(49)	01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16,01.61	16,01.61	
			4,88.05	
			(-)11,13.56	

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
(50)	06 किसान पेंशन योजना		
	मूल	32,00.00	
		26,92.92	26,70.42
			(-)22.50
	पुनर्वि०	(-)5,07.08	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 5,07.08 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किये गए।		
	107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना		
(51)	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन		
	मूल	24,00.00	24,00.00
			19,24.17
			(-)4,75.83
	200 अन्य कार्यक्रम		
(52)	03 सैनिक कल्याण		
	मूल	43,70.31	
		45,79.66	36,99.82
			(-)8,79.84
	पूरक	2,09.35	
(53)	08 राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा		
	मूल	98.00	98.00
			39.75
			(-)58.25
	2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
	00		
	092 अन्य कार्यालय		
(54)	05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता		
	मूल	25.00	25.00
			16.00
			(-)9.00
(55)	07 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा		
	मूल	50.00	50.00
			13.02
			(-)36.98

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>				
	102 आर्थिक विकास				
(1)	02 उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	<i>03 पिछड़े वर्गों का कल्याण</i>				
	277 शिक्षा				
(2)	01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना				
	मूल	33,46.00			
	पूरक	0.01	12,49.52	0.00	(-)12,49.52
	पुनर्वि०	(-)20,96.49			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 20,96.49 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण किये गए वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(3)	02 शहीद ऊधम सिंह कम्बोज छात्रवृत्ति हेतु कार्पस फण्ड				
	मूल	5.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 5.00 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण किये गए				
(4)	06 राजा सुहेल देव छात्रवृत्ति योजना हेतु कार्पस फण्ड				
	मूल	5.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 5.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(5) 09 बाबा साहेब फुले योजना			
मूल	5.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-5.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 5.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
04 अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277 शिक्षा			
(6) 02 अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति			
मूल	2,03.00	2,03.00	0.00 (-)2,03.00
800 अन्य व्यय			
(7) 02 मदरसों का आधुनिकीकरण			
मूल	1,00.01	1,00.01	0.00 (-)1,00.01
(8) 06 मुख्यमंत्री कौशल योजना का संचालन			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
(9) 07 उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद्			
मूल	5.01	5.01	0.00 (-)5.01
(10) 08 उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक कौशल परिषद्			
मूल	5.01	5.01	0.00 (-)5.01
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 समाज कल्याण			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(11) 08 दिव्यांग जनों के लिए शिवरो/सेमिनारों का आयोजन			
मूल	7.00	7.00	0.00 (-)7.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(12) 13 दिव्यांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना			
मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00
वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	21 सुगम उत्तराखण्ड अभियान के अंतर्गत बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
	102 बाल कल्याण		
(14)	11 अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (राज्य योजना) मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
(15)	17 किशोर न्याय निधि की स्थापना मूल 20.01	20.01	0.00 (-)20.01
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
(16)	19 मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	103 महिला कल्याण		
(17)	01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल 20,00.01	20,00.01	0.00 (-)20,00.01
(18)	09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना मूल 10.97	10.97	0.00 (-)10.97
(19)	22 परित्यक्त महिलाओं की पुत्रियों को शादी हेतु अनुदान मूल 45.00	16.39	0.00 (-)16.39
	पुनर्वि० (-)28.61		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 28.61 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।		
(20)	32 मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना मूल 17,50.00	17,50.00	0.00 (-)17,50.00

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104 वृद्ध, अशक्त, निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(21) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
मूल	75.00	75.00	0.00 (-)75.00
(22) 08 वृद्धों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
200 अन्य कार्यक्रम			
(23) 06 दिव्यांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(24) 08 वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति			
मूल	19.25		
		18.24	0.00 (-)18.24
पुनर्वि०	(-)1.01		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2021 को ₹ 1.01 लाख की कमी किराया, उपशुल्क तथा करस्वामित्व में हुई बचत के कारण किये गए।			
(25) 11 मा० मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (समाज कल्याण)			
मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00
800 अन्य व्यय			
(26) 14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन			
मूल	13.20	13.20	0.00 (-)13.20
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(27) 07 पर्वतीय क्षेत्र में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन योजना			
मूल	1,00.00		
		0.00	0.00 0.00
पुनर्वि०	(-)1,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को ₹ 90.00 लाख तथा 26 मार्च 2021 को ₹ 10.00 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(28)	08 डंगरियों एवं जागरियों को मासिक पेंशन			
	मूल	1,00.00		
		0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,00.00)		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को ₹ 80.82 लाख तथा 26 मार्च 2021 को ₹ 19.18 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किये गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

102 आर्थिक विकास

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	24,68.00		
		36,73.88	29,77.33	(-)6,96.55
	पुनर्वि०	12,05.88		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को ₹ 99.50 लाख तथा 22 मार्च 2021 को ₹ 11,06.38 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति तथा छात्र वेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

277 शिक्षा

(2)	05 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना			
	मूल	2,00.00	2,12.05	(+)12.05

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

(3)	20 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के भरण पोषण हेतु अनुदान			
	मूल	76,00.00		
			84,90.61	84,84.71
	पुनर्वि०	8,90.61		(-)5.90
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 8,90.61 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

103 महिला कल्याण

(4)	15 निराश्रित विधावाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान			
	मूल	1,70,00.00		
	पूरक	1,05.02	1,77,10.39	1,77,10.16
	पुनर्वि०	6,05.37		(-)0.23
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 6,05.37 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

(5)	20 परित्यक्त/निराश्रित महिला, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण-पोषण अनुदान			
	मूल	5,15.00		
			6,85.82	6,84.54
	पुनर्वि०	1,70.82		(-)1.28
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को ₹ 1,70.82 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (1) एवं (3) से (5) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 79,23.11 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(viii) ₹ 79,23.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 28,48.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	56,56.07	17,43.61	39,12.46
2016-17	36,28.07	18,61.58	17,66.49
2017-18	64,55.44	20,54.03	44,01.41
2018-19	80,29.05	37,87.12	42,41.93
2019-20	1,09,36.07	70,14.21	39,21.86

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

800 अन्य व्यय

(1) 06 कब्रिस्तानों में चाहर दिवारी का निर्माण

मूल	10,00.01	10,00.01	8,74.54	(-)1,25.47
-----	----------	----------	---------	------------

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

102 बाल कल्याण

(2) 04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण

मूल	5,00.01	5,00.01	1,63.85	(-)3,36.16
-----	---------	---------	---------	------------

103 महिला कल्याण

(3) 09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण

मूल	3,00.01	3,00.01	1,50.00	(-)1,50.01
-----	---------	---------	---------	------------

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800 अन्य व्यय

(4) 03 सैनिक कल्याण

मूल	40.02	40.02	13.45	(-)26.57
-----	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
	<i>03 पिछड़ें वर्गों का कल्याण</i>		
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
(1)	03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूँजी		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
	277 शिक्षा		
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
	<i>02 समाज कल्याण</i>		
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण		
(3)	06 मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरषों/ महिलाओं एवं बालकों/ बालिकाओं के लिए गृह का निर्माण		
	मूल	3,00.00	3,00.00
			0.00
			(-)3,00.00
	102 बाल कल्याण		
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	33,00.01	33,00.01
			0.00
			(-)33,00.01
(5)	05 मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन का निर्माण एवं उच्चिकरण योजना		
	मूल	20,00.00	20,00.00
			0.00
			(-)20,00.00
(6)	06 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	103 महिला कल्याण		
(7)	10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना)		
	मूल	4,00.00	4,00.00
			0.00
			(-)4,00.00

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104 वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(8) 10 सुगम्य भारत			
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
800 अन्य व्यय			
(9) 04 शौर्य स्थल			
मूल	2,00.01	2,00.01	0.00 (-)2,00.01
4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
203 रोजगार			
(10) 02 अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
800 अन्य व्यय			
(11) 12 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन			
मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00
वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)			

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		

दत्तमत-

मूल	3,55,23,42		
		4,90,59,96	3,34,85,12
			(-1,55,74,84)
पूरक	1,35,36,54		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...

पूँजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय		

दत्तमत-

मूल	35,00,01		
		45,00,01	35,85,31
			(-9,14,70)
पूरक	10,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...

टिप्पियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,55,74.84 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,55,74.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 1,35,36.54 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	2,11,88.37	1,25,85.08	86,03.29
2016-17	2,19,73.67	1,47,36.92	72,36.75
2017-18	2,37,85.06	2,18,79.41	19,05.65
2018-19	3,68,17.83	2,21,60.48	1,46,57.35
2019-20	4,35,22.46	2,88,77.70	1,46,44.76

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,03,69.42		
			2,37,34.42	1,27,55.08
	पूरक	1,33,65.00		(-1,09,79.34)
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
	01 श्रम			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(2)	03 श्रम विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	3,73.23	3,73.23	2,86.46
				(-)86.77
	101 औद्योगिक संबन्ध			
(3)	03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन			
	मूल	9,44.24	9,44.24	7,41.41
				(-)2,02.83
(4)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड			
	मूल	55.90	55.90	27.89
				(-)28.01
(5)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान			
	मूल	2,51.34		
			2,66.84	1,72.20
	पूरक	15.50		(-)94.64
	102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा			
(6)	03 निरीक्षण अधिष्ठान			
	मूल	1,22.60	1,22.60	97.41
				(-)25.19

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	103 सामान्य श्रम कल्याण				
(7)	03 श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र मूल	59.32	59.32	43.27	(-)16.05
	02 रोजगार सेवाएं				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(8)	03 रोजगार संबन्धी अधिष्ठान मूल	11,36.77	11,36.77	9,54.12	(-)1,82.65
	004 अनुसन्धान, सर्वेक्षण सांख्यिकी				
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	22.00	22.00	1.00	(-)21.00
	101 रोजगार सेवाएं				
(10)	03 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना मूल	1,67.41	1,67.41	1,07.97	(-)59.44
	03 प्रशिक्षण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(11)	03 प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान मूल	4,94.53	5,02.53	4,28.06	(-)74.47
	पूरक	8.00			
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	19,75.60	19,75.60	4,60.22	(-)15,15.38
(13)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान मूल	1,18,18.52	1,18,18.52	97,85.27	(-)20,33.25

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

01 श्रम

103 सामान्य श्रम कल्याण

(1)	16 आम आदमी बीमा योजना (गरीबी रेखा से नीचे) (राज्यांश)			
	मूल	25.00	25.00	0.00
				(-)25.00

02 रोजगार सेवाएं

101 रोजगार सेवाएं

(2)	08 निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था			
	मूल	9.20	9.20	0.00
				(-)9.20

03 प्रशिक्षण

003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

(3)	08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति			
	मूल	12.81	12.81	0.00
				(-)12.81

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण

(4)	05 मुख्यमंत्री शिक्षता योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
				(-)2,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 9,14.70 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 9,14.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2015-16	15,60.00	14,70.64	89.36	
2016-17	14,24.64	12,88.71	1,35.93	
2017-18	14,25.00	10,71.22	3,53.78	
2018-19	14,00.22	10,95.96	3,04.26	
2019-20	15,34.49	4,21.74	11,12.75	

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण

मूल	4,00.00	4,00.00	85.31	(-),14.69
-----	---------	---------	-------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण

98 नाबार्ड पोषित

मूल	6,00.00	6,00.00	0.00	(-),6,00.00
-----	---------	---------	------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	--

राजस्व:

2401	फसल कृषि कर्म
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

दत्तमत-

मूल	10,37,17,73			
		11,76,45,59	9,88,47,75	(-) 1,87,97,84
पूरक	1,39,27,86			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय
6401	फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	10,93,05			
		11,03,05	27,21,63	(+) 16,18,58
पूरक	10,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,87,97.84 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,87,97.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 1,39,27.86 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2015-16	7,38,83.87	5,23,33.34	2,15,50.53
2016-17	8,93,88.30	6,41,85.78	2,52,02.52
2017-18	9,01,30.10	8,37,24.99	64,05.11
2018-19	11,37,96.89	9,68,12.47	1,69,84.42
2019-20	12,07,27.53	8,88,89.38	3,18,38.15

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	1,20,24.51	1,20,24.51	99,58.29 (-)20,66.22
(2)	06 जलागम प्रबन्ध निदेशालय/पी० एम० के० एस० वाई०			
	मूल	69.80	69.80	25.39 (-)44.41
(3)	11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद्			
	मूल	29.30	29.30	19.43 (-)9.87
(4)	18 मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना			
	मूल	18,00.00	18,00.00	7,71.32 (-)10,28.68
	102 खाद्यान्न फसलें			
(5)	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम			
	मूल	2,00.00	2,00.00	61.45 (-)1,38.55
	103 बीज			
(6)	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र			
	मूल	83.52	83.52	62.20 (-)21.32
	108 वाणिज्यिक फसलें			
(7)	03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	21,47.51	21,47.51	18,64.40 (-)2,83.11
(8)	06 गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड			
	मूल	24.90	24.90	1.80 (-)23.10
(9)	08 अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान			
	मूल	2,40,00.00		
	पूरक	2,67.92	2,42,67.92	1,86,60.59 (-)56,07.33

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	11 अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के कार्मिकों के लम्बित देयकों का भुगतान मूल	1,18.51	1,18.51	98.17 (-)20.34
(11)	12 गन्ना विकास/प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कार्मिकों हेतु अनुदान मूल	50.00	1,00.00	74.00 (-)26.00
	पूरक	50.00		
(12)	109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	43,08.00		
	पूरक	32,23.33	48,21.85	42,37.95 (-)5,83.90
	पुनर्वि०	(-)27,09.48		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2020 को ₹ 2,99.82 लाख तथा 28 अगस्त 2020 को ₹ 39.00 लाख की सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 30,48.30 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
(13)	04 सूचना सलाह केन्द्रों का सुदृढीकरण मूल	20.10	20.10	12.93 (-)7.17
(14)	110 फसल बीमा 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	4,00.00	4,00.00	1,89.27 (-)2,10.73
(15)	111 कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	68.90	68.90	4.61 (-)64.29
(16)	114 तिलहन विकास 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	79.00	40.00	17.62 (-)22.38
	पुनर्वि०	(-)39.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2020 को ₹ 39.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
<i>80 सामान्य</i>			
120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
(17) 03 कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को सहायक अनुदान			
मूल	2,22,00.00	2,22,00.00	1,92,00.00 (-)30,00.00
(18) 04 उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार			
मूल	24,00.00	24,00.00	15,54.00 (-)8,46.00
(19) 05 पन्त नगर विश्वविद्यालय में बाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	15.52 (-)84.48
(20) 13 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय जखोली			
मूल	2,79.21	2,79.21	62.96 (-)2,16.25
(21) 14 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भराड़ीसैण			
मूल	2,68.14	2,68.14	66.45 (-)2,01.69
(22) 15 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान डोईवाला			
मूल	3,59.76	3,59.76	68.05 (-)2,91.71
(23) 20 भरसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत माली ट्रेनिंग सेंटर, प्रतापनगर (टिहरी)			
मूल	35.90	35.90	11.35 (-)24.55
(24) 24 पुष्प बीज एवं प्रशिक्षण केन्द्र सेलाकुई			
मूल	1,71.00	1,71.00	88.00 (-)83.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म			
<i>00</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1) 16 कृषकों की आय दोगुना करना			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
108 वाणिज्यिक फसलें			
(2) 05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति			
मूल	40.00	40.00	0.00
(3) 07 गन्ना क्रय के सापेक्ष देय कमीशन की प्रतिपूर्ति			
मूल	2,00.01	2,00.01	0.00
111 कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
(4) 02 कृषि इंश्योरेंस सर्वेक्षण			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00
2415 कृषि अनुसंधान			
80 सामान्य			
120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
(5) 08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सृष्टीकरण की विशिष्ट योजना			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
(6) 09 पटवाडांगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,00,30.01

पूरक 1,03,86.61 2,31,65.10 2,11,38.10 (-)20,27.00

पुनर्वि० 27,48.48

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2020 को ₹ 2,99.82 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 30,48.30 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। शीर्ष के अंतर्गत ₹ 20,27.00 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 16,18.58 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (viii) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

103 बीज

- (1) 03 खाद्य/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित
मूल 0.00 0.00 14,99.99 (+)14,99.99

107 वनस्पति संरक्षण

- (2) 03 कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है
मूल 0.00 0.00 9,99.77 (+)9,99.77

उपरोक्त दो योजनाओं के अंतर्गत बिना प्रावधान के व्यय का कारण यह था कि अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के वसूलियों के अनुमान को घटाकर अनुदान पारित किया गया था।

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

113 कृषि इंजीनियरिंग

- (1) 02 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर हेतु विशेष अनुदान
मूल 3,00.00 3,00.00 1,13.98 (-)1,86.02

119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें

- (2) 02 भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास
मूल 4,00.00 4,00.00 62.89 (-)3,37.11

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसन्धान समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

108 वाणिज्यिक फसलें

(1)	03 गन्ना विकास विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण				
	मूल	1,48.00	1,48.00	0.00	(-),48.00

800 अन्य व्यय

(2)	98 नाबार्ड पोषित				
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-),2,00.00

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

00

109 वाणिज्यिक फसल

(3)	10 उत्तराखण्ड सहकारी क्षेत्र/निगम की मिलों को ऋण				
	मूल	0.01			
			10.01	0.00	(-),10.01
	पूरक	10.00			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 18 सहकारिता		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
	कुल अनुदान			बचत (-)
				(₹ हजार में)

राजस्व:

2425 सहकारिता

दत्तमत-

मूल	70,32,67			
		99,68,68	1,05,21,98	(+)5,53,30
पूरक	29,36,01			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूँजीगत:

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	1,00,00,00			
		1,00,00,00	...	(-)1,00,00,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 5,53.30 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है।

अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	45,27.81	38,67.72	6,60.09
2016-17	49,91.91	33,22.76	16,69.15
2017-18	62,06.50	59,22.34	2,84.16
2018-19	94,43.67	77,97.98	16,45.69
2019-20	87,06.32	50,94.25	36,12.07

(iii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2425 सहकारिता

00

106 बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता

03 समेकित सहकारी विकास परियोजना

मूल	2,00.00	2,00.00	15,86.70	(+)13,86.70
-----	---------	---------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2425 सहकारिता

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

मूल	34,34.50
-----	----------

	34,36.50	27,97.55	(-)6,38.95
--	----------	----------	------------

पूरक	2.00
------	------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 9,868 भी सम्मिलित है।

(2) 05 सहकारिता न्यायधिकरण

मूल	90.89
-----	-------

	1,23.40	79.73	(-)43.67
--	---------	-------	----------

पूरक	32.51
------	-------

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण मूल	65.25	65.25	40.02 (-)25.23
	003 प्रशिक्षण			
(4)	06 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान मूल	12.00	12.00	2.96 (-)9.04
	107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(5)	02 पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेपों के लिए गारन्टी योजना मूल	40.00	40.00	15.52 (-)24.48
	108 अन्य सहकारी समितियों का सहायता			
(6)	05 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु अनुदान मूल	40.00	40.00	10.00 (-)30.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:**दत्तमत-**

- (v) ₹ 1,00,00.00 लाख का संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
- (vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

00

108 अन्य सहकारी समितियों को ऋण

02 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण

मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00
-----	------------	------------	------	---------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
	कुल अनुदान			बचत (-)
				(₹ हजार में)

राजस्व:

2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत-

मूल	9,83,21,52			
		10,24,82,02	7,72,91,18	(-)2,51,90,84
पूरक	41,60,50			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 9,76,22 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूँजीगत:

4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत-

मूल	13,29,88,18			
		19,08,06,40	19,21,13,24	(+)13,06,84
पूरक	5,78,18,22			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 2,51,90.84 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,51,90.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 41,60.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2015-16	9,07,10.29	7,80,13.98	1,26,96.31	
2016-17	11,17,99.42	6,32,34.26	4,85,65.16	
2017-18	12,12,25.33	6,54,43.91	5,57,81.42	
2018-19	10,04,00.58	7,98,09.17	2,05,91.41	
2019-20	10,26,13.11	6,83,16.43	3,42,96.68	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

	<i>06 स्वरोजगार कार्यक्रम</i>				
	102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	60,00.00	60,00.00	33,69.18	(-)26,30.82
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 5,055 भी सम्मिलित है।				

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

	<i>00</i>				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(2)	03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान				
	मूल	4,65.86			
			4,95.86	3,83.77	(-)1,12.09
	पूरक	30.00			
(3)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान				
	मूल	1,78.71			
			1,82.71	1,39.76	(-)42.95
	पूरक	4.00			
(4)	05 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा				
	मूल	54,14.52	54,14.52	43,30.22	(-)10,84.30

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	003 प्रशिक्षण				
(5)	03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)				
	मूल	10,52.53	10,52.53	8,15.39	(-)2,37.14
(6)	04 उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम				
	मूल	1,40.00	1,40.00	1,03.62	(-)36.38
	101 पंचायती राज				
(7)	03 पंचायती राज अधिष्ठान				
	मूल	12,20.58			
			12,39.58	10,03.89	(-)2,35.69
	पूरक	19.00			
(8)	17 वन पंचायत				
	मूल	24.46	24.46	18.35	(-)6.11
(9)	18 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ				
	मूल	58.54			
			63.04	49.52	(-)13.52
	पूरक	4.50			
(10)	20 क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)				
	मूल	63,02.99			
			63,27.99	55,20.01	(-)8,07.98
	पूरक	25.00			
	102 सामुदायिक विकास				
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,47,20.01			
			1,77,20.01	57,89.79	(-)1,19,30.22
	पूरक	30,00.00			
(12)	03 जनपद/ विकास खण्ड अधिष्ठान				
	मूल	1,65,95.51	1,65,95.51	1,34,14.51	(-)31,81.00

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(13)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान			
	मूल	80,82.00		
		81,42.00	66,70.10	(-)14,71.90
	पूरक	60.00		
(14)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	48.78	48.78	36.34
				(-)12.44
(15)	26 डी० आर० डी० ए० प्रकोष्ठ			
	मूल	39.19	39.19	30.78
				(-)8.41
(16)	28 इंदिरा अम्मा भोजनालय के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान			
	मूल	7,00.00	7,00.00	62.15
				(-)6,37.85
(17)	32 गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
	मूल	17,64.91	17,64.91	13,14.32
				(-)4,50.59
(18)	34 ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग			
	मूल	1,32.89		
		1,50.89	58.31	(-)92.58
	पूरक	18.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

102 सामुदायिक विकास

(1) 13 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान

मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 29 राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का भुगतान मूल 30.00 30.00 0.00 (-)30.00 वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3) 35 मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना मूल 7,10.01 7,10.01 0.00 (-)7,10.01 वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4) 39 ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर (आर.बी.आई.) मूल 2,00.00 2,00.00 0.00 (-)2,00.00 उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 13,06.84 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (vii) ₹ 13,06.84 लाख की अंतिम आधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 5,78,18.22 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (viii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

00				
102 सामुदायिक विकास				
(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
मूल 9,35,50.00				
पूरक 5,28,18.22 14,82,71.89 15,70,78.74 (+)88,06.85				
पुनर्वि० 19,03.67				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2021 को ₹ 19,03.67 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। शीर्ष के अंतर्गत ₹ 88,06.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 03 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण/ एन.पी.बी. का भुगतान			
मूल	50,00.00		
पूरक	50,00.00	1,26,00.00	1,26,00.00
पुनर्वि०	26,00.00		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 26,00.00 लाख की वृद्धि भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
102 सामुदायिक विकास			
(1) 05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान			
मूल	40,00.00		
		14,00.00	9,99.79
पुनर्वि०	(-26,00.00)		(-4,00.21)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 26,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।			
(2) 07 विधायक निधि			
मूल	2,05,01.25	2,05,01.25	1,49,76.50
			(-55,24.75)
(3) 12 मेरा गाँव मेरी सड़क			
मूल	7,00.00		
		4,38.96	4,38.96
पुनर्वि०	(-2,61.04)		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2021 को ₹ 261.04 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।			
(4) 20 मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना (एम.बी.ए.डी.पी.)			
मूल	20,00.00		
		15,00.00	14,18.62
पुनर्वि०	(-5,00.00)		(-81.38)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 21 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आपातकालीन निधि			
मूल	10,00.00		
		4,00.00	0.00
पुनर्वि०	(-6,00.00)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2021 को ₹ 6,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए			
(6) 103 ग्राम विकास			
02 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अनावासीय भवनों का निर्माण			
मूल	1,58.11	1,58.11	(-1,09.66)
(7) 98 नाबार्ड पोषित			
मूल	50,06.16	50,06.16	(-13,83.97)
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)			

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

	00			
(1) 102 सामुदायिक विकास				
09 उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि				
मूल	42.63			
		0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-42.63)			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2021 को ₹ 42.63 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए				
(2) 98 नाबार्ड पोषित				
मूल	5,00.00			
		0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-5,00.00)			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए				
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)				

		अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़			
मुख्य लेखा शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)	
राजस्व:					
2700	मुख्य सिंचाई				
2701	मध्यम सिंचाई				
2702	लघु सिंचाई				
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास				
दत्तमत-					
	मूल	5,59,26,04			
			5,59,26,05	4,30,72,99	(-1,28,53,06
	पूरक	1			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...
पूँजीगत:					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
दत्तमत-					
	मूल	7,19,95,05			
			7,19,95,08	2,59,17,79	(-4,60,77,29
	पूरक	3			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...
टिप्पणियाँ एवं टीकायें					
राजस्व:					
दत्तमत-					
(i)	₹ 1,28,53.06 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।				

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	4,09,01.64	3,59,44.86	49,56.78
2016-17	4,61,65.46	3,61,08.45	1,00,57.01
2017-18	4,44,19.71	4,07,61.96	36,57.75
2018-19	5,00,17.70	4,27,96.45	72,21.25
2019-20	5,77,71.57	4,23,94.43	1,53,77.14

(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 निदेशन
मूल 48,15.56 48,15.56 37,48.30 (-)10,67.26

(2) 03 कार्यकारी अधिष्ठान
मूल 3,21,40.00
3,22,27.00 2,28,43.41 (-)93,83.59

पुनर्वि० 87.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 87.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3) 04 दैनिक वेतन भोगियो एवं कार्यशालाओं के कार्मिको हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारितो) हेतु एकमुश्त व्यवस्था
मूल 3,00.00

1,65.14 1,39.24 (-)25.90

पुनर्वि० (-)1,34.86

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 नवम्बर 2020 को ₹ 47.86 लाख तथा 18 मार्च 2021 को ₹ 87.00 लाख की कमी मजदूरी में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	06 उत्तराखण्ड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एवं रेगुलेटरी कमीशन जल संसाधन एवं प्रबंधन आयोग			
	मूल	9.56	9.56	4.37 (-)5.19
	005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण			
(5)	02 डी० पी० आर० निर्माण			
	मूल	3,00.00		
			3,00.01	81.38 (-)2,18.63
	पूरक	0.01		
	2701 मध्यम सिंचाई			
	80 सामान्य			
	003 प्रशिक्षण			
(6)	02 प्रशिक्षण			
	मूल	75.00	75.00	52.34 (-)22.66
	2702 लघु सिंचाई			
	02 भू जल			
	005 अन्वेषण			
(7)	03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण			
	मूल	37,49.97	37,49.97	29,83.89 (-)7,66.08
	03 रख-रखाव			
	101 जल टंकी			
(8)	03 निजी लघु सिंचाई योजनाएं			
	मूल	7,00.00	7,00.00	6,19.32 (-)80.68
	102 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं			
(9)	03 अनुरक्षण कार्य			
	मूल	11,50.00	11,50.00	9,22.84 (-)2,27.16
	80 सामान्य			
	005 अन्वेषण			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,52.94	3,52.94	67.91 (-)2,85.03

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2700 मुख्य सिंचाई

	00			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
(1)	04 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशी			
	मूल	40.00	40.00	0.00
				(-)40.00
(2)	05 मोटर गाड़ियों, पेट्रोल आदि हेतु			
	मूल	15.00	15.00	0.00
				(-)15.00
	संघ और राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में उपरोक्त वर्गीकरणों (लेखाशीर्ष 2700-00-101) का उल्लेख नहीं होने के कारण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा है।			

80 सामान्य

	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(3)	97 बाह्य साहयतित परियोजना			
	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00
				(-)7,00.00

2701 मध्यम सिंचाई

	00			
	101 रख-रखाव तथा मरम्मत			
(4)	02 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशी			
	मूल	35.00	35.00	0.00
				(-)35.00
(5)	03 मोटर गाड़ियों, पेट्रोल आदि हेतु			
	मूल	5.00	5.00	0.00
				(-)5.00
	संघ और राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में उपरोक्त वर्गीकरण (लेखाशीर्ष 2701-00-101) उल्लेखित नहीं होने के कारण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा है।			

16 नैनीताल झील एवं उनसे सम्बन्ध नालों/झीलों का अनुरक्षण

	102 रख रखाव			
(6)	02 अन्य रख रखाव			
	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00
				(-)1,50.00
	संघ और राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में उपरोक्त वर्गीकरण (मुख्य लेखाशीर्ष- 2701 के अंतर्गत लघुशीर्ष- 102) उल्लेखित नहीं होने के कारण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा है।			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2702 लघु सिंचाई

02 भू-जल

005 अन्वेषण

(7)	05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति मूल	21.16	21.16	0.00	(-)21.16
(8)	06 लघु सिंचाई सलाहकार समिति मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2700 मुख्य सिंचाई

01 सौंग बाँध परियोजना

800 अन्य व्यय

(1)	04 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि मूल	0.00	0.00	38.17	(+)38.17
-----	--	------	------	-------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 2700-00-101-04 से अंतरित किया गया।

(2)	05 मोटर गाड़ियों, पेट्रोल आदि हेतु मूल	0.00	0.00	14.08	(+)14.08
-----	---	------	------	-------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 2700-00-101-05 से अंतरित किया गया।

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3)	05 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान मूल	6.84	54.70	47.79	(-)6.91
	पुनर्वि०	47.86			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 नवम्बर 2020 को ₹ 47.86 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2701 मध्यम सिंचाई

	10 तुमरिया योजना			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
(4)	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	5,00.00	5,00.00	5,15.07 (+)15.07
(5)	03 मोटर गाड़ियों, पेट्रोल आदि हेतु			
	मूल	0.00	0.00	5.00 (+)5.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 2701-00-101-03 से अंतरित किया गया।

16 नैनीताल झील एवं उनसे सम्बन्ध नालों/झीलों का अनुरक्षण

	101 रख रखाव एवं मरम्मत			
(6)	02 अन्य रख रखाव			
	मूल	0.00	0.00	1,50.00 (+)1,50.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 2700-16-102-02 से अंतरित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 4,60,77.29 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

	04 नलकूपों का निर्माण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	02 अन्य रख रखाव व्यय			
	मूल	1,00.00	1,00.00	1.52 (-)98.48
(2)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	20,00.00		
			12,81.33	10,51.14 (-)2,30.19
	पुनर्वि०	(-)7,18.67		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 7,18.67 लाख की कमी वृहद् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनाएं</i>			
(3)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			1,37.64
			(-)62.36
(4)	98 नाबार्ड पोषित		
	मूल	1,20,00.00	
			87,52.16
			75,32.88
			(-)12,19.28
	पुनर्वि०	(-)32,47.84	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 32,47.84 लाख की कमी वृहद् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।		
<i>13 सौंग बाँध का निर्माण</i>			
(5)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	1,30,00.01	1,30,00.01
			15,69.26
			(-)1,14,30.75
<i>18 बाँध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार</i>			
(6)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	9,00.00	9,00.00
			3,31.03
			(-)5,68.97
<i>80 सामान्य</i>			
(7)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	03 सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अनुबंधों के अंतर्गत देय डिजिटल राशियों का भुगतान		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			9.97
			(-)90.03
(8)	04 जमरानी बाँध परियोजना हेतु एन.पी.वी/ भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि		
	मूल	2,10,00.01	2,10,00.01
			2,18.81
			(-)2,07,81.20
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
<i>80 सामान्य</i>			
(9)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	04 फ्लड प्लेन जोनिंग		
	मूल	3,00.00	3,00.00
			1,36.59
			(-)1,63.41

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	06 बलिया नाला का उपचार मूल	20,00.00	20,00.00	1,37.33 (-)18,62.67
(11)	003 प्रशिक्षण 04 प्रशिक्षण केन्द्र का उच्चीकरण मूल	60.00	60.00	14.98 (-)45.02
(12)	005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण (किशाउ बाँध सम्मिलित करते हुए) 03 निर्माण कार्य मूल	1,00.00	1,00.00	25.28 (-)74.72
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 00			
(13)	101 सतही जल 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	40,00.00	40,00.00	28,79.61 (-)11,20.39
(14)	800 अन्य व्यय 98 नाबार्ड मूल	17,00.00	17,00.00	11,77.35 (-)5,22.65
	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियंत्रण			
(15)	103 सिविल निर्माण कार्य 03 अनपेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव/पुनर्निर्माण मूल	5,00.00	5,00.00	2,23.28 (-)2,76.72
(16)	06 राज्य सेक्टर से पोषित रिवर ट्रेनिंग मूल	4,00.00	4,00.00	3,43.24 (-)56.76
(17)	07 मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यो का सम्पादन/ क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का पुर्निर्माण मूल	5,00.00	5,00.01	4,36.95 (-)63.06
	पूरक	0.01		

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	03 जल-निकास			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(18)	02 अन्य रख रखाव कार्य			
	मूल	2,00.00		
			2,00.01	1,20.05
				(-)79.96
	पूरक	0.01		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	15,00.01	15,00.01	0.00	(-)15,00.01
					वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।
	15 टिहरी बाँध परियोजना का पुनर्वास				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(2)	02 अन्य रख रखाव कार्य				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	051 निर्माण				
(3)	02 अन्य रख रखाव व्यय				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(4)	97 बाह्य साहयतित परियोजना				
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5) 02 जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण			
मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
(6) 03 नवीन सम्पूर्ति			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(7) 04 नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य			
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
संघ और राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में उपरोक्त वर्गीकरण (लेखाशीर्ष 4701-00-001) उल्लेखित नहीं होने के कारण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा है।			
(8) 05 नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(9) 02 अपर यमुना रिवर बोर्ड हेतु रिजर्व एवं बिल्टिंग फंड			
मूल	15.00	15.00	0.00 (-)15.00
(10) 05 निरीक्षण/कार्यालय भवनों का निर्माण			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
004 अनुसन्धान			
(11) 03 निर्माण कार्य			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(12) 03 उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम को अंश पूँजी			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
102 भूजल			
(13) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	10,00.00		
		10,00.01	0.00 (-)10,00.01
पूरक	0.01		
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(14) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)			
(ix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1) 98 नाबार्ड पोषित			
मूल	10,00.00		
		20,00.00	19,84.97 (-)15.03
पुनर्वि०	10,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 मुख्य सिंचाई- वाणिज्यिक			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(2) 02 जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण			
मूल	0.00	0.00	5,25.30 (+)5,25.30
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 4701-00-101-02 से अंतरित किया गया।			

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(3)	03 निर्माण आपूर्ति मूल	0.00	0.00	9.98	(+)9.98
-----	------------------------	------	------	------	---------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 4701-00-101-03 से अंतरित किया गया।

(4)	04 नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य मूल	0.00	0.00	1,38.76	(+)1,38.76
-----	--	------	------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 4701-00-101-04 से अंतरित किया गया।

4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

01 बाढ़ नियंत्रण

103 सिविल निर्माण कार्य

(5)	98 नाबार्ड पोषित मूल	50,00.00			
			79,66.51	69,11.86	(-)10,54.65

पुनर्वि० 29,66.51

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 29,66.51 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) एवं (5) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(x) **उचन्त लेन-देन "उचन्त"**

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

- (1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।
- (2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।
- (3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं। 2020-21 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट-III एवं IV** में दिया गया है।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 21 ऊर्जा		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
	कुल अनुदान			बचत (-)
(₹ हजार में)				

राजस्व:

2801	बिजली			
2810	नई और नवीकरणीय उर्जा			

दत्तमत-

मूल	13,04,20			
		24,31,70	20,54,48	(-)3,77,22
पूरक	11,27,50			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

दत्तमत-

मूल	3,53,00,03			
		3,53,00,03	1,70,55,87	(-)1,82,44,16
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 3,77.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 3,77.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 11,27.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	23,43.12	18,62.39	4,80.73
2016-17	17,66.12	17,40.97	25.15
2017-18	11,51.21	11,29.08	22.13
2018-19	13,23.86	11,10.86	2,13.00
2019-20	14,20.13	12,63.81	1,56.32

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	-------------------------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2810 नई और नवीकरणीय उर्जा				
00				
800 अन्य व्यय				
(1)	02 सोलर एनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता			
	मूल	1,40.38	1,40.38	1,07.00 (-)33.38
(2)	03 सोलर फोटो वोल्टायिक कार्यक्रम हेतु उरेडा को अनुदान			
	मूल	2,01.79	2,01.79	21.93 (-)1,79.86

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2810 नई और नवीकरणीय उर्जा				
00				
800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,45.00	1,45.00	0.00 (-)1,45.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।				

पूँजीगत: दत्तमत-

- (vi) ₹ 1,82,44.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	2,13,90.37	1,11,48.37	1,02,42.00
2016-17	4,80,64.02	1,66,59.30	3,14,04.72
2017-18	3,39,00.02	1,42,32.96	1,96,67.06
2018-19	3,17,30.06	2,44,14.98	73,15.08
2019-20	3,51,32.55	1,39,11.54	2,12,21.01

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	21 ऊर्जा समाप्त. कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------------

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
<i>01 हाइडल उत्पादन</i>				
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(1)	05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन			
	मूल	5,00.00	5,00.00	2,20.00 (-)2,80.00
(2)	06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश			
	मूल	80,00.00	80,00.00	40,00.00 (-)40,00.00
(3)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	14,00.01	14,00.01	5,39.00 (-)8,61.01
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज				
<i>00</i>				
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(4)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	30,41.99 (-)69,58.01
(5)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	4,00.00	4,00.00	2,54.88 (-)1,45.12

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
<i>05 संचरण तथा वितरण</i>				
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	60,00.00	60,00.00	0.00 (-)60,00.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)				

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
3054 सड़क तथा सेतु			
दत्तमत-			
मूल	9,66,85,63		
		9,86,85,65	7,69,69,95 (-)2,17,15,70
पूरक	20,00,02		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,27,89 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में हुई।			
भारित-			
मूल	9,00,00		
		11,00,00	7,53,89 (-)3,46,11
पूरक	2,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...
पूँजीगत:			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	10,79,70,02		
		12,79,70,02	10,44,63,80 (-)2,35,06,22
पूरक	2,00,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...
भारित-			
मूल	1		
		1	... (-)1
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,17,15.70 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,17,15.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 20,00.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	6,57,12.03	5,37,57.33	1,19,54.70
2016-17	7,07,65.91	6,46,00.64	61,65.27
2017-18	7,05,45.93	6,41,83.69	63,62.24
2018-19	8,75,36.29	7,16,30.12	1,59,06.17
2019-20	8,93,28.10	6,66,67.78	2,26,60.32

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य

80 सामान्य

	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 निदेशन				
	मूल	61,14.88			
	पूरक	0.01	61,14.89	48,69.62	(-)12,45.27
	051 निर्माण				
(2)	03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड				
	मूल	5,34,20.75			
	पूरक	0.01	5,34,20.76	3,99,14.37	(-)1,35,06.39
	053 रख-रखाव तथा मरम्मत				
(3)	02 सर्किट हाउस कार्यालय भवनों की निगरानी और रख रखाव सामान्य और विशेष मरम्मत				
	मूल	1,80.00	1,80.00	60.43	(-)1,19.57

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
2216 आवास				
80 सामान्य				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(4)	03 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण			
	मूल	6,00.00	6,00.00	4,18.41
				(-),1,81.59
3054 सड़क तथा सेतु				
01 राष्ट्रीय राजमार्ग				
337 सड़क निर्माण कार्य				
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	30,00.00		
			50,00.00	2,44.86
	पूरक	20,00.00		(-),47,55.14
03 राज्य राजमार्ग				
337 सड़क निर्माण कार्य				
(6)	05 सड़क सुरक्षा			
	मूल	7,00.00	7,00.00	2,79.85
				(-),4,20.15

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

**राजस्व:
भारित-**

- (v) ₹ 3,46.11 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 3,46.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 2,00.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	5,09.00	0.26	5,08.74
2016-17	7,40.00	6,01.77	1,38.23
2017-18	7,30.00	3,34.80	3,95.20
2018-19	11,00.00	4,86.57	6,13.43
2019-20	7,46.00	4,69.00	2,77.00

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
2059 लोक निर्माण कार्य			
01 कार्यालय भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत			
(1) 03 रख-रखाव तथा मरम्मत (भारित)			
मूल	3,80.00	3,80.00	2,12.06
			(-)1,67.94
2216 आवास			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(2) 02 राजभवन (देहरादून एवं नैनीताल)			
मूल	1,20.00	1,20.00	68.66
			(-)51.34
3054 सड़क तथा सेतु			
04 जिला एवं अन्य सड़के			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(3) 06 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान (भारित)			
मूल	4,00.00		
		6,00.00	4,73.17
			(-)1,26.83
पूरक	2,00.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (ix) ₹ 2,35,06.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (x) ₹ 2,35,06.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 2,00,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)		बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
		80 सामान्य			
	051	निर्माण			
(1)	02	लोक निर्माण (नए कार्य)			
		मूल	20.00	20.00	0.20
					(-)19.80
	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
		03 राज्य राजमार्ग			
	052	मशीनरी तथा उपस्कर			
(2)	04	उपकरण एवं सयंत्र का क्रय			
		मूल	1,00.00	1,00.00	67.40
					(-)32.60
(3)	05	नई खरीद			
		मूल	3,00.00	3,00.00	2,08.71
					(-)91.29
	101	सेतु			
(4)	03	पुलों का निर्माण और सुदृढीकरण			
		मूल	30,00.00	30,00.00	16,05.82
					(-)13,94.18
		04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	337	सड़क निर्माण कार्य			
(5)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
		मूल	1,00,00.01	1,00,00.01	85,17.85
					(-)14,82.16
(6)	03	राज्य सेक्टर			
		मूल	5,53,00.00		
				7,53,00.00	6,20,73.14
		पूरक	2,00,00.00		(-)1,32,26.86
(7)	04	सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण			
		मूल	30,00.00	30,00.00	17,86.78
					(-)12,13.22
(8)	97	बाह्य सहायतित योजना/ ए.डी.बी./ विश्व बैंक सहायतित योजना के अंतर्गत सुदृढीकरण			
		मूल	16,50.00	16,50.00	14,73.29
					(-)1,76.71

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	98 नाबार्ड पोषित मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	2,59,52.10 (-)40,47.90
	05 सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(10)	02 विशेष आयोजनागत सहायता अंतर्गत सड़कें/ पुलों का निर्माण मूल	10,00.00	10,00.00	6,18.31 (-)3,81.69

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(1)	06 क्रानिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

	05 सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(2)	03 मुख्य नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे डक्ट का निर्माण मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

	80 सामान्य			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(3)	03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूँजी/ भारत सरकार के कार्य पर सेन्टेज मूल	4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

पूँजीगत:
भारित-

(xiii) ₹ 0.01 लाख के सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहे।

(xiv) **उचन्त लेन-देन "उचन्त"**

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बढ़ते खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं। 2020-21 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट-V** में दिया गया है।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	23 उद्योग	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
					बचत (-)
					(₹ हजार में)

राजस्व:

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत-

मूल	3,31,82,25			
		3,68,47,68	2,22,20,87	(-)1,46,26,81
पूरक	36,65,43			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,81,14 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूँजीगत:

4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,10,50,04			
		1,10,50,04	10,10,71	(-)1,00,39,33
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 1,46,26.81 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

- (ii) ₹ 1,46,26.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 36,65.43 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	1,59,90.24	1,25,24.40	34,65.84
2016-17	2,30,57.76	1,24,17.98	1,06,39.78
2017-18	1,83,45.47	1,40,44.13	43,01.34
2018-19	2,50,87.27	1,97,83.36	53,03.91
2019-20	2,96,18.75	2,21,30.60	74,88.15

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 03 राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान
मूल 13,28.74 13,28.74 9,70.83 (-)3,57.91

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

00

101 औद्योगिक क्षेत्र

- (2) 04 मेगा इंडस्ट्रियल/ मेगा टेक्स्टाईल नीति के तहत अनुदान
मूल 50,00.00 50,00.00 12,65.00 (-)37,35.00

102 लघु उद्योग

- (3) 03 अधिष्ठान व्यय
मूल 26,99.09 27,69.09 19,03.17 (-)8,65.92

पुनर्वि० 70.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

- (4) 18 उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना
मूल 12.75 12.75 1.67 (-)11.08

		अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...			
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(5)	21 क्लस्टर विकास योजना मूल	2,00.00	2,00.00	1,25.32	(-)74.68
(6)	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहायता मूल	20,00.00			
	पुनर्वि०	(-)4,03.09	15,96.91	4,86.84	(-)11,10.07
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 4,03.09 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।				
(7)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल	36.18	36.18	24.63	(-)11.55
(8)	29 एम एस एम ई अवस्थापना विकास निधि मूल	2,00.00			
	पुनर्वि०	(-)36.91	1,63.09	1,63.09	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को ₹ 70.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 33.09 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(9)	35 स्टार्टअप एंड स्टैंडअप उद्यमिता विकास मूल	4,00.00	4,00.00	1,47.40	(-)2,52.60
(10)	36 औद्योगिक मेले/राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार मूल	3,00.00			
	पुनर्वि०	(-)1,80.00	1,20.00	54.00	(-)66.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2021 को ₹ 1,80.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।				

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	49 विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान			
	मूल	15,00.00		
	पुनर्वि०	(-5,00.00)	10,00.00	31.69
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			(-9,68.31)
(12)	103 हथकरघा उद्योग			
	18 वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश (सी.एस.एस. 70:30)			
	मूल	1,00.00	1,00.00	16.65
				(-83.35)
	2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(13)	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान			
	मूल	11,90.45		
			27,85.45	18,46.77
	पूरक	15,95.00		(-9,38.68)
(14)	04 राज्य खनिज विकास परिषद्			
	मूल	40.00	40.00	24.97
				(-15.03)
	102 खनिज खोज			
(15)	03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना			
	मूल	22.50	22.50	12.37
				(-10.13)
(16)	04 खनन सर्विलांश			
	मूल	64.50	64.50	40.84
				(-23.66)
	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
	60 अन्य			
	004 अनुसंधान तथा विकास			
(17)	05 अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता			
	मूल	3,56.00		
			3,56.09	38.00
	पूरक	0.09		(-3,18.09)

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	कुल अनुदान				
(18)	09 उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना मूल	4,11.00	4,11.00	1,47.81	(-)2,63.19
(19)	14 बायो टेक्नोलाजी कार्यक्रम हेतु सहायता मूल	12,55.00	12,55.00	5,75.00	(-)6,80.00
(20)	15 विज्ञान धाम मूल	5,00.00			
			5,00.11	3,64.00	(-)1,36.11
	पूरक	0.11			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

	00				
	102 लघु उद्योग				
(1)	33 कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(2)	34 एम.एस. एम. ई. परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(3)	40 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विनिवेश मेला मूल	22,00.00	22,00.00	0.00	(-)22,00.00
(4)	42 सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(5)	47 एम.एस. एम. ई की केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्यांश मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			
(6)	48 ग्रोथ सेंटर की स्थापना				
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
(7)	97 बाह्य साहयतित परियोजना				
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(8)	103 हथकरघा उद्योग				
	10 नंदा देवी योजना				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(9)	11 खादी संस्थाओं को सहयोग				
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(10)	13 समाज के निर्धन कर्मकारो हेतु बुनकर/शिल्पकार इत्यादि विकास योजना				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(11)	14 उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
(12)	16 हथकरघा, कताई-बुनाई महिला कर्मकारो को सहायता				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
	60 अन्य				
	600 अन्य योजनाएं				
(13)	04 राज्य की आई० टी० पालिसी के प्रतिपूर्ति/अनुदान				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)				

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
00			
102 लघु उद्योग			
(1) 27 माटी कला परिषद् के लिए सहायता			
मूल	10.00		
		80.00	80.00
पुनर्वि०	70.00		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
(2) 30 महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना			
मूल	7,00.00		
		10,00.00	9,85.75
पुनर्वि०	3,00.00		(-)14.25
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3) 38 इज ऑफ़ ड्रूईंग बिजनेस			
मूल	6,00.00		
		11,00.00	10,89.07
पुनर्वि०	5,00.00		(-)10.93
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2021 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
103 हथकरघा उद्योग			
(4) 07 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् को सहायता			
मूल	1,00.00		
		2,80.00	2,80.00
पुनर्वि०	1,80.00		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2021 को ₹ 1,80.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
	60 अन्य			
	004 अनुसंधान तथा विकास			
(5)	07 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता			
	मूल	7,00.00		
			7,73.20	(+)72.97
	पूरक	0.23		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) एवं (3) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (5) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

पूँजीगत: दत्तमत-

- (vii) ₹ 1,00,39.33 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2015-16	76,89.04	60,59.95	16,29.09
2016-17	1,73,51.01	1,38,84.53	34,66.48
2017-18	63,74.28	5,97.59	57,76.69
2018-19	73,36.01	26,68.46	46,67.55
2019-20	48,69.37	26,71.22	21,98.15

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय				
00				
102 लघु उद्योग				
(1)	01 प्लास्टिक इंजीनियरिंग और तकनीक केन्द्रीय संस्थान			
	मूल	10,00.00	10,00.00	1,57.46
				(-)8,42.54

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(2)	11 ग्रोथ सेंटर का संचालन मूल	10,00.00		
	पुनर्वि०	(-6.40)	9,93.60	3,91.31
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 6.40 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।			(-6,02.29)

(3)	98 नाबार्ड पोषित मूल	10,00.00	10,00.00	1,69.54	(-8,30.46)
-----	-------------------------	----------	----------	---------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

02 इलेक्ट्रानिक

800 अन्य व्यय

(1)	11 उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यू.सैक) भवन निर्माण मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-1,50.00)
(2)	15 क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-4,00.00)

4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश

190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(3)	08 सिडकुल को सहायता मूल	72,00.00	72,00.00	0.00	(-72,00.00)
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त. कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)	आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:		
4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय		
00			
103	हथकरघा उद्योग		
02	हरिराम टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना तथा सहायता		
	मूल	0.01	
		6.41	6.40
	पुनर्वि०	6.40	(-)0.01
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 6.40 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	24 परिवहन	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:					
2041	वाहन कर				
3053	नागर विमानन				
3055	सड़क परिवहन				
दत्तमत-					
	मूल	1,44,42,16			
			2,34,92,16	1,79,27,10	(-55,65,06
	पूरक	90,50,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...
पूँजीगत:					
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय				
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय				
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज				
दत्तमत-					
	मूल	4,48,06,02			
			4,48,06,02	48,85,88	(-3,99,20,14
	पूरक	...			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...
टिप्पणियाँ एवं टीकायें					
राजस्व:					
दत्तमत-					
(i)	₹ 55,65.06 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।				
(ii)	₹ 55,65.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 90,50.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।				

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2015-16	47,04.43	41,44.65	5,59.78	
2016-17	65,26.11	53,56.98	11,69.13	
2017-18	59,02.65	49,59.37	9,43.28	
2018-19	1,00,24.67	74,74.48	25,50.19	
2019-20	1,22,36.09	1,02,80.67	19,55.42	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2041 वाहन कर

00

800 अन्य व्यय

(1)	03 स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान				
	मूल	61.76	61.76	20.00	(-)41.76

3053 नागर विमानन

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	5,00.00	5,00.00	1,33.23	(-)3,66.77

(3)	09 उत्तराखण्ड उड्डयन विकास प्राधिकरण				
	मूल	15,00.01	15,00.01	11,50.00	(-)3,50.01

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(4)	03 नागरिक उड्डयन				
	मूल	1,52.54	1,52.54	1,15.81	(-)36.73

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
3055 सड़क परिवहन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5) 03 परिवहन संबन्धी अधिष्ठान			
मूल	40,75.09		
		41,25.09	35,18.34
पूरक	50.00		(-6,06.75)
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(6) 03 परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा/ डीबीटी के लिए निगम को प्रतिकार भुगतान			
मूल	20,50.00		
पूरक	20,00.00	23,58.24	10,49.66
पुनर्वि०	(-16,91.76)		(-13,08.58)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मई 2020 को ₹ 17,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2020 को ₹ 8.24 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7) 06 उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति			
मूल	3,50.00	3,50.00	1,40.06
			(-2,09.94)
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			
(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
3053 नागर विमानन			
02 विमान पत्तन			
102 हवाई अड्डा			
(1) 10 राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत अनुदान			
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
			(-5,00.00)
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा			
(2) 04 आपदा खोज एवं बचाव कार्यों हेतु अनुदान			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
			(-2,00.00)

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
3055 सड़क परिवहन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(3)	07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबन्धी अधिष्ठान मूल	16.76	
		8.52	0.00 (-)8.52
	पुनर्वि०	(-)8.24	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2020 को ₹ 8.24 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किये गए।		
800 अन्य व्यय			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	9,36.00	9,36.00 0.00 (-)9,36.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।		

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

3055 सड़क परिवहन

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

12 उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पर्वतीय मार्गों में बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति

मूल
 35,00.00 | | |

पूरक
 70,00.00 | 1,22,00.00 | 1,12,00.00 (-)10,00.00 |

पुनर्वि०
 17,00.00 | | |

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मई 2020 को ₹ 17,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। शीर्ष के अंतर्गत ₹ 10,00.00 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 3,99,20.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	70,96.01	11,75.24	59,20.77
2016-17	70,00.03	25,58.65	44,41.38
2017-18	1,52,13.06	1,32,90.41	19,22.65
2018-19	1,87,81.35	13,95.18	1,73,86.17
2019-20	1,73,50.02	30,47.35	1,43,02.67

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

02 विमानपत्तन

102 हवाई अड्डा

- | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|---------|---------|------------|
| (1) | 02 हवाई पट्टी/वाटर एयरो ड्रम का निर्माण | मूल | 5,00.00 | 5,00.00 | 47.52 | (-4,52.48) |
| (2) | 03 हैली पैड एवं हैंगर का निर्माण | मूल | 4,00.00 | 4,00.00 | 3,13.39 | (-)86.61 |

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

00

050 भूमि तथा भवन

- | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|----------|----------|-------------|
| (3) | 06 मुजफ्फरनगर-रूड़की रेल लाइन का निर्माण | मूल | 70,00.00 | 70,00.00 | 35,00.00 | (-)35,00.00 |
| (4) | 14 अल्मोड़ा में आई.एस.बी.टी. का निर्माण | मूल | 4,00.00 | 4,00.00 | 2,00.00 | (-)2,00.00 |
| (5) | 15 बस अड्डों का निर्माण | मूल | 10,00.00 | 10,00.00 | 3,45.04 | (-)6,54.96 |

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

800 अन्य व्यय			
(6) 03 चालकों के प्रशिक्षण हेतु आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण			
मूल	3,00.00	3,00.00	51.01 (-)2,48.99

7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

00			
101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण			
(7) 05 बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान			
मूल	12,00.00	12,00.00	4,28.92 (-)7,71.08

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

02 विमानपत्तन			
102 हवाई अड्डा			
(1) 07 हवाई पट्टी के निर्माण/ विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर/ अध्याप्ति/ एन० पी० वी० का भुगतान			
मूल	2,95,00.00	2,95,00.00	0.00 (-)2,95,00.00

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

00			
050 भूमि तथा भवन			
(2) 03 परिवहन आयुक्त/ सम्भागीय कार्यालयों के भवन भूमि क्रय			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
(3) 07 ऋषिकेश में आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना			
मूल	4,06.00	4,06.00	0.00 (-)4,06.00
(4) 08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00

अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 10 हल्द्वानी में आई.एस.बी.टी.की स्थापना (एस.पी.ए.) मूल 10,00.00 10,00.00 0.00 (-)10,00.00 वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(6) 13 रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की स्थापना मूल 4,00.00 4,00.00 0.00 (-)4,00.00			
(7) 16 नरेंद्र नगर में बस अड्डे का निर्माण मूल 1,00.00 1,00.00 0.00 (-)1,00.00 वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
00			
101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण			
(8) 06 उत्तरखण्ड परिवहन निगम को वी० आर० एस० हेतु कर्ज मूल 20,00.00 20,00.00 0.00 (-)20,00.00			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	25 खाद्य	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	----------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत-

मूल	2,22,49,16			
		2,23,14,17	92,13,81	(-)1,31,00,36
पूरक	65,01			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	12,00,00			
		12,00,00	93,17,41	(+)81,17,41
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 1,31,00.36 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,31,00.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 65.01 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	3,32,02.61	2,02,94.73	1,29,07.88
2016-17	3,77,26.58	2,05,60.29	1,71,66.29
2017-18	2,37,70.61	1,82,35.07	55,35.54
2018-19	2,57,69.11	1,71,23.37	86,45.74
2019-20	2,25,58.98	48,52.17	1,77,06.81

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	25 खाद्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार				
	01 खाद्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)				
	मूल	42,34.07			
			42,89.07	37,95.48	(-)4,93.59
	पूरक	55.00			
(2)	04 राज्य खाद्य आयोग				
	मूल	92.31	92.31	20.58	(-)71.73
(3)	05 खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव				
	मूल	2,50.00	2,50.00	1,37.35	(-)1,12.65
	102 खाद्य सहायता				
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	38,00.00	(-)62,00.00
(5)	05 शक्कर वितरण योजना अंतर्गत परिवहन व टैक्स का भुगतान				
	मूल	10,00.00	10,00.00	3,31.41	(-)6,68.59
	3456 सिविल पूर्ति				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,10.02			
			1,10.03	5.35	(-)1,04.68
	पूरक	0.01			
(7)	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय				
	मूल	6,40.86			
			6,45.86	5,69.68	(-)76.18
	पूरक	5.00			

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			
	102 सिविल पूर्ति योजना			
(8)	02 निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान			
	मूल	1,00.00	1,00.00	69.10
				(-)30.90
	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	00			
	106 भार और माप का विनियमन			
(9)	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	6,21.90		
			6,26.90	4,84.87
				(-)1,42.03
	पूरक	5.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

	2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार			
	01 खाद्य			
	102 खाद्य सहायता			
(1)	06 राज्य खाद्यान्न योजना			
	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00
				(-)50,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
	00			
	106 भार और माप का विनियमन			
(2)	01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
				(-)2,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 81,17.41 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (vii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय

01 खाद्य

101 अधिप्राप्ति तथा पूर्ति

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	7,50.00	7,50.00	91,67.41	(+)84,17.41
-----	---------	---------	----------	-------------

उपरोक्त योजना के अंतर्गत व्ययाधिक्य का कारण यह था कि अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के वसूलियों के अनुमान को घटाकर अनुदान पारित किया गया था।

- (viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय

02 भंडारण तथा भांडागार

800 अन्य व्यय

06 गोदामों का निर्माण

मूल	3,00.00	3,00.00	1,50.00	(-)1,50.00
-----	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

- (ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय

01 खाद्य

800 अन्य व्यय

- (1) 04 आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण

मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
-----	---------	---------	------	------------

- (2) 08 सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/ व.वी. अधिकारी/ गढ़वाल एवं कुमायूँ के उपयुक्त (मुख्यालय) के कार्यालय भवन का ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून में भवन निर्माण

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	26 पर्यटन कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	-------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

3452 पर्यटन

दत्तमत-

मूल	1,04,91,05			
		1,04,91,05	64,90,35	(-)40,00,70
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,80,54,19			
		1,80,54,20	1,23,30,69	(-)57,23,51
पूरक	1			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 40,00.70 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	52,92.48	48,75.67	4,16.81
2016-17	58,68.03	39,98.78	18,69.25
2017-18	66,77.14	58,36.84	8,40.30
2018-19	77,01.96	62,06.35	14,95.61
2019-20	98,75.11	57,52.30	41,22.81

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
3452 पर्यटन			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद्		
	मूल	52,29.90	52,29.90
			36,82.44
			(-15,47.46)
(2)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)		
	मूल	4,63.24	4,63.24
			3,63.06
			(-1,00.18)
(3)	09 केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण		
	मूल	6,10.00	6,10.00
			3,32.77
			(-2,77.23)
(4)	11 दीनदयाल मातृ-पितृ तीर्थाटन योजना		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			8.50
			(-1,91.50)
(5)	12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी		
	मूल	1,35.49	1,35.49
			1,05.02
			(-30.47)
104 संवर्धन तथा प्रचार			
(6)	07 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना		
	मूल	14,00.00	14,00.00
			11,85.00
			(-2,15.00)
(7)	18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान		
	मूल	4,32.40	4,32.40
			3,37.61
			(-94.79)
(8)	25 दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना		
	मूल	10,00.00	10,00.00
			3,57.41
			(-6,42.59)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(1)	26 उत्तरखण्ड पर्यटन नीति 2018 हेतु अनुदान			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5,00.00
(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजना			
	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00
				(-)4,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (v) ₹ 57,23.51 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	1,57,03.03	93,92.78	63,10.25
2016-17	1,89,90.03	1,18,25.96	71,64.07
2017-18	63,30.04	58,08.30	5,21.74
2018-19	1,12,58.72	57,47.81	55,10.91
2019-20	1,32,60.02	88,69.07	43,90.95

अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(1) 04 राज्य सेक्टर

मूल 44,52.88

पूरक 0.01 50,52.89 33,21.39 (-)17,31.50

पुनर्वि० 6,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) 09 उत्तराखण्ड ग्रामीण उत्थान (एकल ग्राम एवं कलस्टर ग्राम) योजना

मूल 5,00.00 5,00.00 45.00 (-)4,55.00

(3) 97 बाह्य सहायतित परियोजना

मूल 1,15,00.00

1,09,00.00 78,63.00 (-)30,37.00

पुनर्वि० (-)6,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 को ₹ 6,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

01 पर्यटक अवसंरचना

101 पर्यटक केन्द्र

03 इको टूरिज्म

मूल 5,00.00 5,00.00 0.00 (-)5,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

दत्तमत-

मूल	10,36,17,02			
		10,67,16,11	7,79,99,33	(-)2,87,16,78
पूरक	30,99,09			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	84,35,07			
		84,45,07	48,24,91	(-)36,20,16
पूरक	10,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 2,87,16.78 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 2,87,16.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 30,99.09 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	5,16,36.70	4,35,64.69	80,72.01
2016-17	6,48,38.35	4,38,30.77	2,10,07.58
2017-18	6,33,79.87	5,50,89.43	82,90.44
2018-19	7,42,16.69	6,13,53.90	1,28,62.79
2019-20	10,30,27.35	6,31,28.38	3,98,98.97

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 वानिकी			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	4,81,70.01		
			4,86,70.01	3,79,33.45
	पूरक	5,00.00		(-1,07,36.56)
(2)	08 कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य			
	मूल	2,21.21		
			2,41.21	1,62.84
	पूरक	20.00		(-)78.37
	003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण			
(3)	02 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास			
	मूल	98.51	98.51	59.45
				(-)39.06
	004 अनुसंधान			
(4)	03 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र			
	मूल	53.01	53.01	19.62
				(-)33.39
	101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	27,20.77		
	पूरक	22,62.45	49,21.03	33,79.02
	पुनर्वि०	(-)62.19		(-)15,42.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2021 को ₹ 62.19 लाख की कमी अनुरक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			
(6)	04 वन बन्दोबस्त			
	मूल	16.00	16.00	2.40
				(-)13.60

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(7)	06 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण मूल	13,88.02	13,88.02	9,66.72	(-)4,21.30
(8)	08 वनों की सुरक्षा योजना मूल	3,70.00	3,70.00	2,54.45	(-)1,15.55
(9)	09 वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना मूल	1,36.96	1,36.96	1,20.59	(-)16.37
(10)	10 बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्धन मूल	2,25.00	2,25.00	50.00	(-)1,75.00
(11)	14 इको टूरिज्म मूल	2,49.00	2,49.00	2,12.63	(-)36.37
(12)	15 गुजर एवं अन्य प्रभावित पुनर्वास योजना मूल	2,11.10	2,11.10	1,26.00	(-)85.10
(13)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 08 वोमेन कम्पोनेन्ट के अंतर्गत नर्सरी विकास कार्य मूल	33.00	33.00	17.09	(-)15.91
(14)	12 हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना मूल	1,10.00	1,10.00	76.61	(-)33.39
(15)	105 वन उत्पाद 03 इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज मूल	1,00.00	1,00.00	48.86	(-)51.14
(16)	800 अन्य व्यय 31 सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढीकरण मूल	28.01	28.01	8.68	(-)19.33
(17)	50 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना मूल	3,55.02	3,55.02	2,31.77	(-)1,23.25

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110 वन्य जीव परिरक्षण			
(18)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	49,31.72		
	पूरक	2,92.01	52,85.92	36,87.85
	पुनर्वि०	62.19		(-15,98.07)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2021 को ₹ 62.19 लाख की वृद्धि अन्य भत्ते तथा पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(19)	03 वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता			
	मूल	1,50.04	1,50.04	74.18
(20)	05 पर्यावरण निदेशालय का गठन			
	मूल	55.02	55.02	19.25
(21)	06 मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम			
	मूल	6,75.00	6,75.00	5,34.45
(22)	09 जीवों के वास स्थलों का विकास			
	मूल	3,75.00	3,75.00	2,67.36
(23)	10 कार्बेट एवं राजाजी टाइगर रिजर्व का संरक्षण एवं विकास योजना			
	मूल	12,00.07	12,00.07	10,00.00
	04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
	103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा			
(24)	02 प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा)			
	मूल	35,00.00	35,00.00	4,80.00
(25)	04 कैम्पा के अंतर्गत कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)			
	मूल	30,00.00	30,00.00	7,52.00
(26)	07 कैम्पा के अंतर्गत अन्य वृक्षरोपण, सुरक्षित क्षेत्र विकास, वृक्षों का पातन, चार दीवारी, अन्य- 1 एवं अन्य- 2			
	मूल	15,00.00	15,00.00	5,50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी				
<i>01 वानिकी</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	05	उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन		
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	101	वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण		
(2)	07	जंगली जानवर द्वारा सरकारी कर्मचारियों या जनता को जान माल का नुकसान पर क्षतिपूर्ति		
	मूल	5,00.01	5,00.01	0.00 (-)5,00.01
	102	समाज तथा फार्म वानिकी		
(3)	09	हमारा पेड़ हमारा धन योजना		
	मूल	1,65.00	1,65.00	0.00 (-)1,65.00
(4)	10	हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना		
	मूल	90.02	90.02	0.00 (-)90.02
800 अन्य व्यय				
(5)	14	मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार		
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
<i>02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव</i>				
110 वन्य जीव परिरक्षण				
(6)	11	हल्द्वानी में जू (चिड़ियाघर) का निर्माण		
	मूल	55.00	55.00	0.00 (-)55.00
(7)	12	पक्षियों का संरक्षण एवं उनके वासस्थलों का विकास		
	मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00

क्रम सं०	शीर्ष सं०	अनुदान सं०	27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(8)	13	गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए का संरक्षण मूल	85.00	85.00	0.00	(-)85.00
		<i>04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</i>				
	103	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा				
(9)	05	कैम्पा के अंतर्गत समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम मूल	35,00.00	35,00.00	0.00	(-)35,00.00
		वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(10)	06	कैम्पा से अर्जित ब्याज से व्यय मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
		उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)				

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 36,20.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 36,20.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 10.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

	<i>01 वानिकी</i>					
	101	वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण				
(1)	11	वनों की सुरक्षा योजना मूल	1,90.00	1,90.00	25.00	(-)1,65.00
(2)	12	वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना मूल	80.01	80.01	66.59	(-)13.42
(3)	14	भू-क्षरण की रोकथाम योजना मूल	1,50.00	1,50.00	82.25	(-)67.75

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(4)	15	मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन जीवों से खेती सुरक्षा योजना मूल	2,00.00	2,00.00	1,32.07	(-)67.93
	800	अन्य व्यय				
(5)	09	इको टूरिज्म मूल	1,00.00	1,00.00	10.90	(-)89.10
	02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव				
	110	वन्य जीव				
(6)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	12,00.01	12,10.01	1,67.46	(-)10,42.55
		पूरक	10.00			
(7)	06	मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम मूल	3,00.00	3,00.00	26.16	(-)2,73.84
	111	चिड़ियाँ घर				
(8)	02	मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण मूल	1,00.00	1,00.00	10.34	(-)89.66

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

	01	वानिकी				
	101	वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण				
(1)	13	वर्षा जल संरक्षण योजना मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
		वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	800	अन्य व्यय				
(2)	11	मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना के पूँजीगत कार्य मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
		वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

क्रम शीर्ष सं०	अनुदान सं०	27 वन समाप्त.	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
	110	वन्य जीव			
(3)	02	हल्द्वानी में जू (चिड़ियाघर) का निर्माण			
		मूल	11,00.00	11,00.00	0.00 (-)11,00.00
(4)	04	जीवों के वास स्थलों का विकास			
		मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
		वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
	800	अन्य व्यय			
(5)	03	पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम			
		मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
		वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01 वानिकी

101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

03 वन मोटर मार्गों, ट्रैक रूटों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण

मूल 4,05.00

5,49.80 4,68.91 (-)80.89

पुनर्वि० 1,44.80

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2021 को ₹ 1,44.80 लाख की वृद्धि अन्य भत्ते तथा पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2403	पशु पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन

दत्तमत-

मूल	3,86,76,55			
		4,02,45,98	3,21,83,80	(-)80,62,18
पूरक	15,69,43			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...

पूँजीगत:

4403	पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय
4404	डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	27,58,06			
		28,95,55	8,48,89	(-)20,46,66
पूरक	1,37,49			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)			...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 80,62.18 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 80,62.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 15,69.43 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	2,07,06.01	1,82,85.43	24,20.58
2016-17	2,77,68.35	2,03,81.39	73,86.96
2017-18	2,60,82.30	2,38,49.63	22,32.67
2018-19	3,16,17.49	2,90,78.31	25,39.18
2019-20	3,44,01.62	2,93,72.10	50,29.52

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2403 पशु पालन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 निदेशालय

मूल	2,34,91.54			
		2,35,06.69	2,00,00.33	(-35,06.36)
पूरक	15.15			

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

(2) 10 ब्लाक स्तर पर विभिन्न पशु चिकित्सालयों का संचालन एवं रख-रखाव

मूल	2,80.00	2,80.00	1,34.48	(-1,45.52)
-----	---------	---------	---------	------------

102 पशु तथा भैंस विकास

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	7,00.00	7,00.00	66.67	(-6,33.33)
-----	---------	---------	-------	------------

(4) 09 पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान

मूल	16,00.00			
		14,64.34	12,85.17	(-1,79.17)

पुनर्वि० (-)1,35.66

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2020 को ₹ 1,35.66 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	10 परजीवी कृमियों से बचाव मूल	16,00.00		
	पुनर्वि०	(-)8,99.00	7,01.00	4,00.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2020 को ₹ 8,89.00 लाख तथा 25 फरवरी 2021 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			(-)3,01.00
(6)	11 पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजना मूल	1,50.00	1,50.00	18.42
				(-)1,31.58
(7)	113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,16.76	1,16.76	1,01.00
				(-)15.76
	2404 डेरी विकास			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	03 दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान मूल	12,96.55	12,96.55	11,00.90
				(-)1,95.65
(9)	102 डेयरी विकास परियोजनाएं 04 महिला डेरी विकास योजना मूल	3,76.03	3,76.03	3,36.85
				(-)39.18
(10)	15 साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना मूल	3,00.00	3,00.00	2,15.82
				(-)84.18
(11)	16 पशुचारा परिवहन अनुदान योजना मूल	6,50.00	6,50.00	1,36.60
				(-)5,13.40
(12)	98 नाबार्ड मूल	6,00.00	6,00.00	5,08.76
				(-)91.24

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2405 मछली पालन			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(13) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	30.00	30.00	15.83 (-)14.17
(14) 03 अधिष्ठान			
मूल	11,92.07	11,92.07	9,89.23 (-)2,02.84
101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
(15) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (75% केन्द्रीय सहायता)			
मूल	7,78.50	13,17.50	9,63.51 (-)3,53.99
पूरक	5,39.00		
(16) 02 पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना			
मूल	1,50.00	1,50.00	1,32.60 (-)17.40

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2403 पशु पालन			
00			
106 अन्य पशुधन विकास			
(1) 98 नाबार्ड पोषित			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
2404 डेरी विकास			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(3)	08 सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
(4)	12 गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना मूल	6,00.00	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
(5)	14 दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2403 पशु पालन

00

(1)	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	9,55.24	19,79.90	19,01.73	(-)78.17
	पुनर्वि०	10,24.66			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2020 को ₹ 10,24.66 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। शीर्ष के अंतर्गत ₹ 78.17 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(2)	106 अन्य पशुधन विकास 06 पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना मूल	20.00	30.00	30.00	0.00
	पुनर्वि०	10.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2021 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 20,46.66 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 20,46.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 1,37.49 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	5,44.01	3,13.72	2,30.29
2016-17	11,38.51	8,31.92	3,06.59
2017-18	7,84.41	3,63.85	4,20.56
2018-19	27,27.78	8,96.86	18,30.92
2019-20	37,62.69	13,22.73	24,39.96

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4403 पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

- 101 पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य
- (1) 09 पशुपालन विभाग में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य
- | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|------------|
| मूल | 9,14.00 | 9,14.00 | 15.97 | (-)8,98.03 |
|-----|---------|---------|-------|------------|
- (2) 10 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण/ भूमि क्रय
- | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|----------|
| मूल | 1,00.00 | 1,00.00 | 43.66 | (-)56.34 |
|-----|---------|---------|-------|----------|
- 106 अन्य पशुधन विकास
- (3) 98 नाबार्ड पोषित
- | | | | | |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| मूल | 6,65.76 | 6,65.76 | 3,59.17 | (-)3,06.59 |
|-----|---------|---------|---------|------------|

4405 मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

- 101 अन्तर्देशीय मछली पालन
- (4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|------|---------|---------|---------|----------|
| मूल | 1,72.30 | | | |
| पूरक | 1,37.49 | 3,09.79 | 2,47.39 | (-)62.40 |

अनुदान सं० 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	98 नाबार्ड मूल	7,00.00	7,00.00	1,82.70 (-),17.30

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4403 पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

(1)	101 पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	81.00	81.00	0.00 (-),81.00
-----	---	-------	-------	-------------------

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

4404 डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

00

(2)	102 डेरी विकास परियोजनाएं 04 डेरी विकास निदेशालय निर्माण कार्य मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-),1,00.00
-----	--	---------	---------	---------------------

वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

4405 मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

(3)	001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	25.00	25.00	0.00 (-),25.00
-----	--	-------	-------	-------------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

राजस्व:

2401 फसल कृषि कर्म

दत्तमत-

मूल	3,80,85,69			
		4,20,67,36	3,23,51,15	(-)97,16,21
पूरक	39,81,67			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

भारित-

मूल	1,57,55			
		1,57,55	1,45,66	(-)11,89
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

पूँजीगत:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	12,00,00			
		12,00,00	14,31,08	(+)2,31,08
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 97,16.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 97,16.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 39,81.67 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2015-16	2,18,98.32	1,57,53.13	61,45.19
2016-17	2,59,67.56	2,10,21.30	49,46.26
2017-18	2,71,10.74	2,15,63.47	55,47.27
2018-19	3,07,44.45	2,62,82.24	44,62.21
2019-20	3,28,85.99	2,60,87.16	67,98.83

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

	119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	64,50.05		
	पूरक		83,54.67	65,50.41
				(-)18,04.26
(2)	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	1,95,31.08		
	पूरक		2,14,40.34	1,87,98.88
				(-)26,41.46
(3)	07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास			
	मूल	18,07.16		
	पूरक		18,24.95	14,50.64
				(-)3,74.31
(4)	09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान			
	मूल	11,75.00	11,75.00	6,94.00
				(-)4,81.00
(5)	10 मधु मक्खी पालन की योजना			
	मूल	40.77	40.77	25.80
				(-)14.97

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना मूल	60.22	60.22	40.92 (-)19.30
(7)	14 पुराने उद्यानों की घेरबाड़ मूल	2,00.00	2,00.00	1,37.35 (-)62.65
(8)	16 मानव संसाधन विकास की योजना मूल	11.00	11.00	0.84 (-)10.16
(9)	20 संगंध पौधा केन्द्र सेलाकुई को अनुदान मूल	2,00.00	2,00.00	50.00 (-)1,50.00
(10)	26 संगंध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं संगंध पौधों के क्लस्टर विकास मूल	21,00.00	21,00.00	18,00.00 (-)3,00.00
(11)	28 कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की स्थापना (माल्टा, पहाड़ी निम्बू, गलगल आदि) मूल	2,00.00	2,00.00	0.10 (-)1,99.90
(12)	34 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना मूल	15,00.00	15,00.00	2,91.42 (-)12,08.58
(13)	98 नाबार्ड पोषित मूल	21,00.00	21,00.00	5,00.00 (-)16,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म

00

(1)	119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
-----	---	-------	-------	---------------

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 23 एंटी हैल नेट की योजना (25 प्रतिशत राज्यांश)			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00
वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-),50.00
(3) 27 जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को अनुदान/ औषधीय क्लस्टर विकास			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-),50.00
(4) 32 राजकीय/ भेषज संघों की नर्सरियों के विकास व संवर्धन की योजना			
मूल	10.00	10.00	0.00
			(-),10.00
(5) 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
			(-),5,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			

राजस्व:

भारित-

- (vi) ₹ 11.89 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 2,31.08 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(viii) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

04 रोग रहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों की लागत

मूल	0.00	0.00	7,99.80	(+)7,99.80
-----	------	------	---------	------------

उपरोक्त योजना के अंतर्गत बिना प्रावधान के व्यय का कारण यह था कि अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के वसूलियों के अनुमान को घटाकर अनुदान पारित किया गया था।

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

13 राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण

मूल	2,00.00	2,00.00	1,31.27	(-)68.73
-----	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा			
2203	तकनीकी शिक्षा			
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205	कला एवं संस्कृति			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211	परिवार कल्याण			
2217	शहरी विकास			
2220	सूचना तथा प्रचार			
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401	फसल कृषि कर्म			
2403	पशु पालन			
2404	डेरी विकास			
2405	मछली पालन			
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2425	सहकारिता			
2505	ग्राम रोजगार			
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2810	नई और नवीकरणीय उर्जा			
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग			
3452	पर्यटन			

दत्तमत-

मूल	10,82,17,49			
		12,11,66,22	9,32,89,04	(-2,78,77,18)
पूरक	1,29,48,73			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,62,55 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	2,88,64,08			
		4,28,18,73	3,03,20,38	(-1,24,98,35
पूरक	1,39,54,65			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 2,78,77.18 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 2,78,77.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 1,29,48.73 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	12,70,86.46	7,80,47.80	4,90,38.66
2016-17	12,41,11.21	6,98,90.43	5,42,20.78
2017-18	10,06,20.97	7,61,08.62	2,45,12.35
2018-19	12,00,62.34	8,79,54.75	3,21,07.59
2019-20	12,09,53.24	8,29,57.32	3,79,95.92

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

	<i>01 प्रारम्भिक शिक्षा</i>			
	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(1)	03 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति			
	मूल	10,00.00		
			38,85.82	33,51.05
	पूरक	28,85.82		(-)5,34.77
	<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>			
	106 पाठ्य पुस्तकें			
(2)	02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाती के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक			
	मूल	6,80.00	6,80.00	5,03.88
				(-)1,76.12
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(3)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	19,84.47		
			19,86.77	16,82.57
	पूरक	2.30		(-)3,04.20
	113 समग्र शिक्षा			
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	80,00.00		
			1,11,06.78	93,30.63
	पूरक	31,06.78		(-)17,76.15

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<i>03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</i>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,00.00	5,00.00	23.72 (-)4,76.28
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
(6)	03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण			
	मूल	30.00	30.00	16.52 (-)13.48
	2205 कला एवं संस्कृति			
	<i>00</i>			
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(7)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	65.00	65.00	0.54 (-)64.46
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(8)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी			
	मूल	4,00.00	4,00.00	29.65 (-)3,70.35
	2211 परिवार कल्याण			
	<i>00</i>			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	11,15.41	11,15.41	8,60.25 (-)2,55.16
	2217 शहरी विकास			
	<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
	800 अन्य व्यय			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,36.05 (-)63.95

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(11) 07 एस.सी.पी/टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
मूल	89.15	89.15	66.97 (-)22.18
(12) 08 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय			
मूल	95.73	95.73	53.84 (-)41.89
102 आर्थिक विकास			
(13) 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना			
मूल	39.79	39.79	7.52 (-)32.27
(14) 06 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन			
मूल	1,52.50	1,52.50	75.80 (-)76.70
(15) 07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता			
मूल	20,00.00	20,00.00	16,73.50 (-)3,26.50
277 शिक्षा			
(16) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,46,52.50	1,46,52.51	51,47.28 (-)95,05.23
पूरक	0.01		
(17) 03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन			
मूल	3,60.33	3,94.49	2,38.95 (-)1,55.54
पुनर्वि०	34.16		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 नवम्बर 2020 को ₹ 34.16 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(18) 06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन			
मूल	6,72.78		
पुनर्वि०	(-34.16)	6,38.62	2,80.90
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 नवम्बर 2020 को ₹ 34.16 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			
(19) 07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना			
मूल	5,50.06	5,50.06	9.27
(-5,40.79)			
(20) 12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास			
मूल	4,73.29	4,73.29	1,98.10
(-2,75.19)			
(21) 16 कक्षा 1 से 10 तक के तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि०	(-5,79.13)	19,20.87	11,30.10
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को ₹ 5,79.13 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्र वेतन में हुई बचत के कारण किये गए।			
(22) 18 अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना			
मूल	2,45.25	2,45.25	1,45.10
(-1,00.15)			
(23) 20 अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण संचालित सेमिनार/ कार्यशाला/ सर्वेक्षण/ शोध/ प्रचार प्रसार			
मूल	20.00	20.00	5.41
(-14.59)			
283 आवास			
(24) 02 अटल आवास योजना			
मूल	4,00.00	4,00.00	20.30
(-3,79.70)			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
	02 रोजगार			
	101 रोजगार सेवाएं			
(25)	02 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	69.41		
			74.06	
	पूरक	4.65		
	03 प्रशिक्षण			
	003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(26)	02 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	मूल	1,05.50	1,05.50	
			11.65	
				(-)93.85
	102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण			
(27)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
			37.82	
	पूरक	37.82		
			17.49	
				(-)20.33
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	102 बाल कल्याण			
(28)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	40,63.23		
			41,10.43	
	पूरक	47.20		
			33,00.86	
				(-)8,09.57
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(29)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	20,75.00	20,75.00	
			7,84.08	
				(-)12,90.92
	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(30)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,94.72		
			5,94.73	
	पूरक	0.01		
			2,10.74	
				(-)3,83.99

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(31) 03 किसान पेंशन योजना			
मूल	8,40.00	8,40.00	3,67.24
			(-4,72.76)
2401 फसल कृषि कर्म			
<i>00</i>			
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(32) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	12,16.00		
पूरक	3,79.37	9,88.22	7,49.33
पुनर्वि०	(-6,07.15)		(-2,38.89)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 6,07.15 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
114 तिलहन विकास			
(33) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	18.00		
		4.22	4.22
पुनर्वि०	(-13.78)		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2021 को ₹ 13.78 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
2403 पशु पालन			
<i>00</i>			
102 पशु तथा भैंस विकास			
(34) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,64.92	1,64.92	23.74
			(-1,41.18)
2404 डेरी विकास			
<i>00</i>			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(35) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	3,67.01	3,67.01	2,25.44
			(-1,41.57)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2405 मछली पालन			
	00			
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
(36)	03 मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,77.72
				(-)22.28
	2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण			
(37)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	50.06		
			10.06	3.89
				(-)6.17
	पुनर्वि०	(-)40.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2021 को ₹ 40.00 लाख की कमी अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किये गए।			
(38)	02 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण			
	मूल	2,70.01	2,70.01	1,27.14
				(-)1,42.87
	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
(39)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	42,00.01		
	पूरक	50,34.89	91,34.33	40,50.02
	पुनर्वि०	(-)1,00.57		(-)50,84.31
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 1,00.57 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग			
	00			
	103 हथकरघा उद्योग			
(40)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	10.00	10.00	5.00
				(-)5.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

3452 पर्यटन

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(41)	03 दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना			
	मूल	1,00.00	1,00.00	58.25 (-)41.75

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2203 तकनीकी शिक्षा

00

112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

(1)	03 पन्त कॉलेज ऑफ टैक्नॉलोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	2,87.00	2,87.00	0.00 (-)2,87.00
	वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

(2)	04 इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को सहायक अनुदान			
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

(3)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी को सहायता अनुदान (पौड़ी)			
	मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(4)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00

104 खेल-कूद

(5)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान			
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(6)	06 राज्य समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड (50 प्रतिशत के0पो0)		
	मूल	22.32	22.32
			0.00
			(-)22.32
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
102 आर्थिक विकास			
(7)	04 अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना		
	मूल	40.00	40.00
			0.00
			(-)40.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(8)	05 शिल्पी ग्राम योजना		
	मूल	25.00	25.00
			0.00
			(-)25.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
793 अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,60.00	1,60.00
			0.00
			(-)1,60.00
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(10)	20 नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के भरण पोषण		
	मूल	0.00	
	पूरक	8,85.86	0.00
	पुनर्वि०	(-)8,85.86	0.00
			0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 8,85.86 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किये गए		
2403 पशु पालन			
<i>00</i>			
113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी			
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	8.50	8.50
			0.00
			(-)8.50

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2404 डेरी विकास

	00			
	102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)2,00.00

2810 नई और नवीकरणीय उर्जा

	00			
	800 अन्य व्यय			
(13)	02 सोलर एनर्जी			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				(-)1,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(1)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	18,95.00		
			27,80.86	27,48.26
	पुनर्वि०	8,85.86		(-)32.60
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 8,85.86 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(2)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	1,10,20.00		
			1,15,99.13	1,15,76.94
	पुनर्वि०	5,79.13		(-)22.19
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को ₹ 5,79.13 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

	<i>04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास</i>		
	101 राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम		
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,00.00	
		2,40.00	2,40.00
	पुनर्वि०	40.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2021 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		

2505 ग्राम रोजगार

	<i>02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएं</i>		
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना		
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	45,00.00	
		46,00.57	46,00.57
	पुनर्वि०	1,00.57	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2021 को ₹ 1,00.57 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) एवं (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 1,24,98.35 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 1,24,98.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 1,39,54.65 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------------	-------------------	----------------------	---

(ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	3,12,68.66	1,77,91.75	1,34,76.91
2016-17	3,25,23.18	2,07,27.58	1,17,95.60
2017-18	3,06,23.93	2,44,35.21	61,88.72
2018-19	3,31,33.26	2,35,05.53	96,27.73
2019-20	3,26,65.51	2,38,00.03	88,65.48

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	10,00.00			
पूरक	30,00.00	41,29.98	29,94.45	(-11,35.53)
पुनर्वि०	1,29.98			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2020 को ₹ 1,29.98 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2) 02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

मूल	3,00.00			
		1,70.02	1,27.78	(-42.24)
पुनर्वि०	(-1,29.98)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 दिसंबर 2020 को ₹ 1,29.98 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

02 तकनीकी शिक्षा

104 बहुशिल्प

(3) 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण

मूल	1,00.00	1,00.00	35.20	(-64.80)
-----	---------	---------	-------	----------

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	04 कला तथा संस्कृति			
	800 अन्य व्यय			
(4)	03 कला और संस्कृति का संवर्धन			
	मूल	20.00	20.00	9.99
				(-)10.01
	4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 जल पूर्ति			
	102 ग्रामीण जल पूर्ति			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	22,00.00		
			1,26,54.65	1,05,08.47
				(-)21,46.18
	पूरक	1,04,54.65		
	02 मल-जल तथा सफाई			
	106 मल जल सेवाएं			
(6)	01 केंद्रीय पुरोनिधानित योजना			
	मूल	20,00.00	20,00.00	15,92.52
				(-)4,07.48
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,18.50	3,18.50	89.29
				(-)2,29.21
(8)	02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण (50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) (चालू कार्य)			
	मूल	3,21.75	3,21.75	1.25
				(-)3,20.50
(9)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण			
	मूल	1,52.94	1,52.94	69.00
				(-)83.94

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(10)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	25,77.00	
		30,77.00	26,85.31
	पूरक	5,00.00	(-3,91.69)
(11)	04 विधायक निधि		
	मूल	50,58.75	50,58.75
			36,95.50
			(-)13,63.25
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/ अन्य योजनाएं			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(12)	02 अन्य रख-रखाव व्यय		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			1,49.25
			(-)50.75
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
101 सतही जल			
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	10,00.00	10,00.00
			80.31
			(-)9,19.69
800 अन्य व्यय			
(14)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	2,20.00	2,20.00
			1,26.36
			(-)93.64
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(15)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			1,02.09
			(-)97.91

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
<i>04 जिला तथा अन्य सड़कें</i>			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(16)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	63,50.00	63,50.00
			41,98.67
			(-)21,51.33
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
800 अन्य व्यय			
(17)	03 चालक परीक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण		
	मूल	40.00	40.00
			10.00
			(-)30.00
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
<i>80 सामान्य</i>			
104 संवर्धन तथा प्रचार			
(18)	04 पर्यटन विकास की नई परियोजनाएं (राज्य क्षेत्र)		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			23.97
			(-)1,76.03
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>			
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(1)	04 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	05 इंजीनियरिंग कालेज घुरदौड़ी		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
102 खेलकूद स्टेडिया			
(3) 04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
4211 परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा			
(4) 03 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण			
मूल	50.00	50.00	0.00
			(-)50.00
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 जल आपूर्ति			
101 शहरी जल आपूर्ति			
(5) 05 नगरीय पेयजल			
मूल	1,65.00	1,65.00	0.00
			(-)1,65.00
102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(6) 02 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00
			(-)3,00.00
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(7) 03 अनुसूचित जाति निगम को स्वरोजगार हेतु अंश पूँजी			
मूल	30.00	30.00	0.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)30.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
277	शिक्षा			
(8)	05 अनुसूचित जाति के बालकों/ बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवसीय विद्यालय का निर्माण			
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
	वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 समाज कल्याण			
	102 बाल कल्याण			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
	101 सतही जल			
(10)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान			
	मूल	2,20.00	2,20.00	0.00 (-)2,20.00
	102 भूजल			
(11)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान			
	मूल	1,10.00	1,10.00	0.00 (-)1,10.00
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	05 संचरण तथा वितरण			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(12)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय					
<i>00</i>					
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश					
(13)	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों/ बस डिपो के निर्माण मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज					
<i>05 पारेषण एवं वितरण</i>					
190 सरकारी क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश					
(14)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	7,00.00	7,00.00	0.00	(-)7,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	---------------------------------------

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला एवं संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रचार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्राम रोजगार		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2810	नई और नवीकरणीय उर्जा		
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत-

मूल	3,52,19,87			
		3,92,64,30	2,80,14,30	(-)1,12,50,00
पूरक	40,44,43			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,76,23 हजार नहीं लिए गये है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
----------------	------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	1,46,43,72			
		1,57,66,54	85,89,47	(-)71,77,07
पूरक	11,22,82			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2021)				...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 32,77,41 हजार नहीं लिए गये है जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,12,50.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 1,12,50.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 40,44.43 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2015-16	3,12,91.70	1,95,06.70	1,17,85.00	
2016-17	3,44,48.80	2,06,33.71	1,38,15.09	
2017-18	3,15,42.40	2,25,08.42	90,33.98	
2018-19	3,63,87.92	2,41,78.87	1,22,09.05	
2019-20	3,84,32.74	2,39,02.84	1,45,29.90	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

02 माध्यमिक शिक्षा

106 पाठ्य पुस्तकें

(1) 02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

मूल	85.00	85.00	47.78	(-)37.22
-----	-------	-------	-------	----------

113 समग्र शिक्षा

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	12,00.00			
पूरक	6,50.65	18,50.65	10,88.06	(-)7,62.59

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

103 राजकीय कालेज तथा संस्थान

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	2,50.00	2,50.00	22.11	(-)2,27.89
-----	---------	---------	-------	------------

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी

110 अस्पताल तथा औषधालय

(4) 03 कुष्ठ रोगियों की सहायता

मूल	49.13			
पूरक	5.00	54.13	31.40	(-)22.73

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	06 लोक स्वास्थ्य			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(5)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी			
	मूल	2,00.00		
			1,39.00	6.24
	पुनर्वि०	(-)61.00		(-)1,32.76
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 61.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
	2211 परिवार कल्याण			
	00			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,30.02	3,30.02	2,37.45
				(-)92.57
	2217 शहरी विकास			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	800 अन्य व्यय			
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,00.00	1,00.00	29.31
				(-)70.69
	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	02 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन			
	मूल	4,62.81	4,62.81	16.34
				(-)4,46.47
(9)	03 जनजाति कल्याण निदेशालय			
	मूल	2,18.50	2,18.50	1,72.79
				(-)45.71
(10)	04 उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान			
	मूल	49.67		
			83.82	70.58
	पूरक	34.15		(-)13.24

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	05 जनजाति सलाहकार परिषद् मूल	38.61	38.61	21.44 (-)17.17
	102 आर्थिक विकास			
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	18,00.00	3,00.00	2,53.91 (-)46.09
	पुनर्वि०	(-)15,00.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
(13)	02 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना मूल	42.04	42.04	35.84 (-)6.20
(14)	06 बुक्सा और राजी जनजाति का विकास मूल	1,00.00	1,00.00	21.96 (-)78.04
	277 शिक्षा			
(15)	03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं रखरखाव मूल	2,61.54	2,61.54	1,06.82 (-)1,54.72
(16)	04 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रखरखाव मूल	31,12.56	31,12.56	15,02.73 (-)16,09.83
(17)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं अनावित्त मूल	3,50.00	3,50.00	70.73 (-)2,79.27
(18)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	5,78.73	5,78.73	3,12.24 (-)2,66.49
(19)	10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग मूल	50.00	50.00	32.29 (-)17.71
	283 आवास			
(20)	02 अटल आवास योजना मूल	3,00.00	3,00.00	3.59 (-)2,96.41

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...					
क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	794 जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता				
(21)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	6,00.00	6,00.00	3,00.14	(-)2,99.86
	800 अन्य व्यय				
(22)	21 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों के शादी हेतु सहायता				
	मूल	5,00.00	5,00.00	4,49.50	(-)50.50
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
	<i>02 रोजगार सेवाएं</i>				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(23)	02 कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट रोजगार केन्द्र				
	मूल	33.59			
			36.39	26.41	(-)9.98
	पूरक	2.80			
	101 रोजगार सेवाएं				
(24)	02 शिक्षण/मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना				
	मूल	52.19	52.19	27.34	(-)24.85
	<i>03 प्रशिक्षण</i>				
	003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
(25)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान				
	मूल	68.50	68.50	3.78	(-)64.72
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
	<i>02 समाज कल्याण</i>				
	102 बाल कल्याण				
(26)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	19,40.87			
			19,78.77	12,93.34	(-)6,85.43
	पूरक	37.90			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
200 अन्य कार्यक्रम			
(27) 02 किसान पेंशन योजना			
मूल	1,25.00		
पुनर्वि०	(-51.18	73.82	71.62
			(-)2.20
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को ₹ 51.18 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(28) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,40.75	5,40.75	1,52.84
			(-)3,87.91
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(29) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,42.96	1,42.96	38.26
			(-)1,04.70
2401 फसल कृषि कर्म			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(30) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	10,65.71		
पुनर्वि०	(-15.25	10,50.46	4,32.57
			(-)6,17.89
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को ₹ 15.25 लाख की कमी सहायक अनुदान (गैर वेतन) में हुई बचत के कारण किये गए।			
119 बागवानी और वनस्पति फसलें			
(31) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,95.00	1,95.00	1,50.00
			(-)45.00
(32) 05 राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण			
मूल	76.76	76.76	60.34
			(-)16.42
(33) 06 मधुमक्खी पालन योजना			
मूल	12.00	12.00	5.91
			(-)6.09

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(34)	10 केन्द्र पोषित सिल्क समग्र योजना				
	मूल	1,07.89	1,07.89	38.80	(-)69.09
(35)	16 राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना				
	मूल	1,34.68	1,34.68	1,00.00	(-)34.68
2403 पशु पालन					
00					
102 पशु तथा भैंस विकास					
(36)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	85.29	85.29	11.32	(-)73.97
2404 डेरी विकास					
00					
102 डेयरी विकास परियोजनाएं					
(37)	02 डेरी विकास				
	मूल	20.00	20.00	13.61	(-)6.39
2405 मछली पालन					
00					
101 अन्तर्देशीय मछली पालन					
(38)	02 राजि, थारू एवं बुक्सा जनजाति के लिए फिश फार्मिंग				
	मूल	70.00	70.00	59.00	(-)11.00
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी					
01 वानिकी					
101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण					
(39)	02 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण				
	मूल	2,00.02	2,00.02	1,34.58	(-)65.44
102 समाज तथा फार्म वानिकी					
(40)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,30.50			
			86.63	20.83	(-)65.80
	पुनर्वि०	(-)43.87			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2021 को ₹ 43.87 लाख की कमी मशीन, उपकरण, सज्जा एवं संयंत्र में हुई बचत के कारण किये गए।					

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	2505 ग्राम रोजगार				
	02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना				
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना				
(41)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	11,28.00	11,28.00	10,08.54	(-),19.46
	2851 ग्राम तथा लघु उद्योग				
	00				
	103 हथकरघा उद्योग				
(42)	04 उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद को सहायता				
	मूल	10.00	10.00	5.00	(-)5.00
(43)	05 थारू, बोक्स एवं अन्य जनजातियों के महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना				
	मूल	50.00	50.00	26.39	(-)23.61

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

	2203 तकनीकी शिक्षा				
	00				
	112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान				
(1)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी (पौड़ी)				
	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
	2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(2)	02 प्रतियोगिताओं का आयोजन				
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(3)	03 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2205 कला एवं संस्कृति			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(4) 02 जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना			
मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(5) 03 पारंपरिक वाद्ययंत्रों एवं वेशभूषा का क्रय			
मूल	25.00	25.00	0.00 (-)25.00
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
102 आर्थिक विकास			
(6) 04 शिल्पी ग्राम योजना			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(7) 05 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परियोजनाएं			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
277 शिक्षा			
(8) 08 गौर देवी कन्या धन योजना			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9) 09 इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण योजना			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(10) 11 बुक्सा जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	12 थारू जनजाति हेतु चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना		
	मूल	50.00	50.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।	0.00	(-)50.00
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	02 समाज कल्याण		
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना		
(12)	10 किसान पेंशन योजना		
	मूल	1,25.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,25.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 मार्च 2021 को ₹ 1,25.00 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण किये गए।		
	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
	01 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
	003 प्रशिक्षण		
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	10,00.00	
		21,86.00	0.00
	पूरक	11,86.00	(-)21,86.00
	संघ और राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में उपरोक्त वर्गीकरण (लेखाशीर्ष 2501-01-003) उल्लेखित नहीं होने के कारण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा है।		
	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	00		
	102 सामुदायिक विकास		
(14)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	9,00.01	
		17,74.52	0.00
	पूरक	8,74.51	(-)17,74.52
	2810 नई और नवीकरणीय उर्जा		
	00		
	800 अन्य व्यय		
(15)	02 सोलर फोटो बोल्टाइक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता		
	मूल	10.00	10.00
		0.00	(-)10.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	03 लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट परियोजना			
	मूल	22.00	22.00	0.00
				(-)22.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।			
(vi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
(1)	02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना			
	मूल	2,50.90		
	पूरक	12.50	3,24.40	2,72.54
	पुनर्वि०	61.00		(-)51.86
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 61.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	27,00.00		
			42,00.00	27,26.27
	पुनर्वि०	15,00.00		(-)14,73.73
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
	03 प्रशिक्षण			
	102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.00		
			17.49	37.82
	पूरक	17.49		(+)20.33

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

104 वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(4) 02 वृद्धावस्था पेंशन			
मूल	20,35.10		
पूरक	1,02.09	23,46.87	23,43.25
पुनर्वि०	2,09.68		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को ₹ 84.68 लाख तथा 20 मार्च 2021 को ₹ 1,25.00 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110 वन्य जीव परिरक्षण			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,50.00		
पूरक	1.00	1,94.87	1,94.38
पुनर्वि०	43.87		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2021 को ₹ 43.87 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

04 एकीकृत ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम

003 प्रशिक्षण			
(6) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	0.00	0.00	24,24.53
			(+)24,24.53

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय लेखा शीर्ष 2501-01-003-01 से अंतरित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) एवं (6) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (1), (2) तथा (4) एवं (5) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 71,77.07 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 71,77.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2020 को प्राप्त ₹ 11,22.82 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पाँच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2015-16	1,17,20.32	55,68.66	61,51.66
2016-17	1,19,11.78	59,27.08	59,84.70
2017-18	1,09,16.63	72,51.67	36,64.96
2018-19	1,51,17.59	97,09.35	54,08.24
2019-20	1,32,21.59	97,77.38	34,44.21

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

- 01 सामान्य शिक्षा
- 202 माध्यमिक शिक्षा
- (1) 02 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार
- | | | | | |
|----------|------------|---------|-------|----------|
| मूल | 2,50.00 | | | |
| | | 1,03.74 | 19.87 | (-)83.87 |
| पुनर्वि० | (-)1,46.26 | | | |
- प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2021 को ₹ 1,46.26 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

- 01 जल पूर्ति
- 102 ग्रामीण जल पूर्ति
- (2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-------------|
| मूल | 7,00.00 | | | |
| | | 15,22.82 | 3,81.08 | (-)11,41.74 |
| पूरक | 8,22.82 | | | |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
02 मल-जल तथा सफाई			
106 मल-जल सेवाएं			
(3) 01 केंद्रीय पुरोनिधानित योजना			
मूल	6,32.00	6,32.00	1,64.19
			(-)4,67.81
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
277 शिक्षा			
(4) 05 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण			
मूल	1,50.00		
		1,36.89	43.37
			(-)93.52
पुनर्वि०	(-)13.11		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को ₹ 13.11 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।			
(5) 06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण			
मूल	2,50.00	2,50.00	1,22.37
			(-)1,27.63
(6) 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा			
मूल	1,50.00	1,50.00	42.98
			(-)1,07.02
800 अन्य व्यय			
(7) 03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
मूल	4,00.00	4,00.00	3,29.99
			(-)70.01
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(8) 04 विधायक निधि			
मूल	10,65.00	10,65.00	7,78.00
			(-)2,87.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(9) 03 मेरा गाँव, मेरी सड़क			
मूल	2,47.63	2,47.63	21.30
			(-)2,26.33

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
(10)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 नलकूपों का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	33.96 (-)66.04
	06 निर्माणाधीन नहरें			
(11)	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 सिंचाई नहरों का निर्माण			
	मूल	3,00.00	3,00.00	1,08.02 (-)1,91.98
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
(12)	101 सतही जल			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,00.00	3,00.00	18.70 (-)2,81.30
(13)	02 जनजाति क्षेत्र हेतु गूल, हौज़ एवं पाईप लाइन का निर्माण			
	मूल	90.00	90.00	60.31 (-)29.69
	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
(14)	103 सिविल निर्माण कार्य			
	03 सिविल निर्माण कार्य			
	मूल	3,00.00	3,00.00	72.46 (-)2,27.54
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
(15)	337 सड़क निर्माण कार्य			
	02 नया निर्माण कार्य			
	मूल	30.00	30.00	0.20 (-)29.80
(16)	03 चालू निर्माण कार्य			
	मूल	55,00.00	55,00.00	38,49.14 (-)16,50.86

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल	2,70.00	2,70.00	33.94 (-)2,36.06
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय				
	80 सामान्य			
	104 संवर्धन तथा प्रचार			
(18)	02 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान मूल	2,00.00	2,00.00	36.30 (-)1,63.70

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
(1)	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(2)	03 इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी, पौड़ी को सहायक अनुदान मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
	101 युवा छात्रावास			
(3)	02 प्रादेशिक विकास दल मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	04 कला तथा संस्कृति			
	800 अन्य व्यय			
(4)	02 अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में सांस्कृतिक भवन/ जन मिलन केन्द्र आदि निर्माण मूल	70.00	70.00	0.00 (-)70.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 जल पूर्ति			
102 ग्रामीण जल पूर्ति			
(5) 02 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठान			
मूल	1,10.00	1,10.00	0.00 (-),1,10.00
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(6) 03 अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वरोजगार अंश पूँजी (49% केन्द्रीय सहायता)			
मूल	51.00	51.00	0.00 (-)51.00
वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
800 अन्य व्यय			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,04.01		
		1,04.01	0.00 (-),1,04.01
पुनर्वि०	(-)1,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।			
4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
102 भूजल			
(9) 03 ट्राइबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत हाईड्रम स्पीकलरों का निर्माण			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

05 संचरण तथा वितरण

(10)	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	2,97.00	2,97.00	0.00
	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-2,97.00)

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

00

(11)	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैंडों के निर्माण हेतु अनुदान			
	मूल	54.00	54.00	0.00
	वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-54.00)

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

(12)	104 संवर्धन तथा प्रचार			
	04 राज्य सेक्टर			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-50.00)

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

00

(13)	190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	6,93.00	6,93.00	0.00
	वर्ष 2019-20 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-6,93.00)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जुलाई 2021)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	<i>01 सामान्य शिक्षा</i>		
	202 माध्यमिक शिक्षा		
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	8,00.00	
		9,46.26	9,46.26
	पुनर्वि०	1,46.26	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2021 को ₹ 1,46.26 लाख की वृद्धि पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
	<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>		
	800 अन्य व्यय		
(2)	05 निदेशालय जनजाति कल्याण		
	मूल	0.01	
		13.12	13.12
	पुनर्वि०	13.11	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को ₹ 13.11 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------------	------------	---------------	--------------------------------------

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
00

102 सामुदायिक विकास

(3) 05 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/ एनपीबी का भुगतान

मूल 3,50.00

पूरक 3,00.00 7,50.00 7,50.00 0.00

पुनर्वि० 1,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2020-2021 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	04	2014 न्याय प्रशासन	1,81,60
2	04	2014 न्याय प्रशासन	1,05,78
3	07	2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,24,39
4	07	3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	13,43
5	07	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,14,20,25
6	15	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	51,03,88
7	18	2425- सहकारिता	1
8	19	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	9,76,22
9	23	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3,81,14
10	30	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,62,55
11	31	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	4,72,66
12	31	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,03,57
13	31	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	32,77,41
योग			2,26,22,89

परिशिष्ट- II

(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	प्राक्कलन	
			राजस्व	पूँजीगत (₹ हजार में)
1	17-कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	...		25,00,00
2	18-सहकारिता
3	25-खाद्य	...		23,15,00,00
4	29-औद्योगिक विकास	...		8,00,00
	योग	...		23,48,00,00

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूँजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूँजीगत
...	29,65,58	...	(+)4,65,58
...	2,65,36	...	(+)2,65,36
...	21,88,04	...	(-)22,93,11,96
...	9,53,63	...	(+)1,53,63
...	63,72,61	...	(-)22,84,27,39

परिशिष्ट -III

[संदर्भ: - टिप्पणी (x), अनुदान-20]

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2020-21	31 मार्च 2021 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
2701-मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(+)83,20.70	(+)83,20.70
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)7.88	(-)7.88
कार्यशाला उचंत	(+)4,36.51	(+)4,36.51
योग	(+)87,49.33	(+)87,49.33
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
कार्यशाला उचंत
योग

परिशिष्ट -IV

[सन्दर्भ: टिप्पणी (x), अनुदान 20]

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूँजीगत प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2020-21	31 मार्च 2021 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)2,68,61.41	(+)2,68,61.41
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)61,06.76	(+)61,06.76
योग	(+)3,29,68.17	(+)3,29,68.17
4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-)7.82	(-)7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
योग	(-)7.82	(-)7.82
4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)5,13.95	(+)5,13.95
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)13.66	(-)13.66
कार्यशाला उचंत
योग	(+)5,00.29	(+)5,00.29

परिशिष्ट -V

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xiv), अनुदान-22]

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2020-21	31 मार्च 2021 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+) 1,56,73.71	(+) 1,56,73.71
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,62,76.51	(+) 2,62,76.51
योग	(+) 4,19,50.22	(+) 4,19,50.22

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>